13. वित्त

वित्त मंत्रालय सरकार का विशेष प्रशासन देखता है। यह उन सभी वित्तीय मामलों से संबद्ध है जिनका प्रभाव समूचे देश पर पड़ता है। इसमें विकास और अन्य कार्यों के लिए संसाधन जुटाना भी शामिल है। यह सरकार के व्यय का नियमन करता है, जिसमें राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले संसाधन भी शामिल हैं। इस मंत्रालय के चार विभाग हैं : (i) आर्थिक मामले, (ii) व्यय, (iii) राजस्व और (vi) विनिवेश।

आर्थिक मामले

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के प्रमुख विभाग हैं—(i) वित्त प्रभाग, (ii) बजट प्रभाग, (iii) बैंकिंग और बीमा प्रभाग, (iv) पूंजी बाजार, (v) द्विपक्षीय सहयोग, (vi) विदेश व्यापार, (vii) फंड बैंक प्रभाग, (viii) राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएन) और प्रशासन, (ix) सहायता, खाते एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा (x) आर्थिक प्रभाग। यह विभाग अन्य कार्य करने के साथ चालू आर्थिक प्रवृत्तियों पर नजर रखता है, तथा सरकार को देश की आंतरिक और विदेशी आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न विषयों के बारे में परामर्श देता है, जैसे—मूल्य, ऋण, राजकोषीय एवं मुद्रा नीति तथा पूंजीनिवेश नियमन। यह विभाग राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन एवं सामान्य बीमा संबंधी नीतियों की भी देखरेख करता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग भारत सरकार की टकसाल और मुद्रा मुद्रणालयों, सिक्युरिटी प्रेसों और सिक्युरिटी पेपर मिलों का प्रबंधन भी संभालता है। खाद्य एवं कृषि संगठनों (एफएओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) जैसे विशेष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए मिलने वाली सहायता, और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय/द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत प्राप्त सहायता को छोड़कर शेष सभी विदेशी तथा तकनीकी सहायता पर भी यह विभाग नजर रखता है। आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के बजट तैयार करके उन्हें संसद में पेश करता है।

हाल के घटनाक्रम

2005–06 के आम बजट में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 7 से 8 प्रतिशत विकास दर हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए किए गए प्रमुख उपायों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (पहले राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कहा जाता था) के लिए अधिक धन आवंटित करना और अन्त्योदय अन्न योजना का विस्तार 2.5 करोड़ परिवारों तक करना शामिल है। अधिक ध्यान देने के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं दोपहर के भोजन की योजना के लिए अधिक आवंटन, सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए धन जुटाने के वास्ते बनाए गए और कभी व्ययगत न होने वाले प्रांरभिक शिक्षा कोष के लिए अधिक धन आवंटन, पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं में सुधार,

कृषि विविधता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, कृषि विपणन ढांचे का विकास/सुदृढ़ीकरण, 2005-06 के लिए खरीफ और रबी फसलों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) जारी रखना तथा ऋण मुहैया कराने संबंधी लघु वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत मदद पहुंचाने का लक्ष्य दो लाख स्वयं सहायता समूहों से बढ़ाकर 2.5 लाख स्वयं सहायता समूहों तक करना।

बजट में लघु वित्त विकास कोष का नाम बदलकर 'लघु वित्त विकास एवं इक्विटी कोष' रखा गया। इसकी राशि बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये की गई। जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत 9 राज्यों में 16 जिलों के लिए पायलट परियोजनाएं शामिल की जाएंगी। इसके अंतर्गत करीब 700 जल निकायों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया जायेगा। 2005-06 के दौरान गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ प्रबंधन और भूमि कटाव नियंत्रण के लिए 180 करोड़ रुपये और फरक्का बैराज परियोजना के लिए 52 करोड़ रुपये परिव्यय निर्धारित किया गया।

विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता महसूस करते हुए बजट में लघु और मझोले उद्यमियों की सहायता के लिए एक 'मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम' शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। अन्य महत्वपूर्ण उपायों में वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष के वास्ते आवंटन बढ़ाना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत कवरेज का विस्तार करना शामिल है। 2005-06 में इंदिरा आवास योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 2,750 करोड़ रुपये किया गया तथा वर्ष के दौरान 15 लाख आवास बनाने का प्रस्ताव किया गया।

वर्ष 2005-06 के बजट में देश के समग्र विकास पर बल देते हुए 'भारत निर्माण' कार्यक्रम की परिकल्पना की गई, जिसे चार वर्ष की अवधि में लागू किया जाना है।

भारत निर्माण कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं : (क) एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को पक्की सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत लाना; (ख) 1000 (या पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 500) की आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना; (ग) निर्धनों के लिए 60 लाख अतिरिक्त आवास बनाना; (घ) अभी तक कवर न की जा सकी 74,000 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराना; (ङ) बकाया 1,25,000 गांवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना और 2.3 करोड़ परिवारों को बिजली का कनेक्शन देना; और (च) बकाया 66,822 गांवों को टेलीफोन लाइनों से जोड़ना।

भारत निर्माण कार्यक्रम जोर-शोर से लागू किया जा रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम के लिए विशाल बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 2005-06 में पूर्वोत्तर घटक सहित 12,160 करोड़ रुपयों के प्रावधान के मुकाबले 2006-07 के बजट में भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए 54 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 18,696 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया। 2006-07 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए सुनिश्चित सिंचाईऋण, विविधता और कृषि उत्पादों के लिए बाजार बनाने जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया है।

जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और उन्हें पूर्वावस्था में लाने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। राज्यों के साथ परामर्श कर कार्यक्रम का खाका तैयार किया गया है। परियोजना के पहले चरण में 14.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 20,000 जल निकायों की पहचान की गई है। बजट 2006-07 में खरीफ और रबी 2006-07 के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को चालू रखने की घोषणा की गई है। सार्वजनिक-व्यक्तिगत भागीदारी मॉडल देश के अलग-अलग हिस्सों में मॉडल टर्मीनल मार्केट स्थापित करने में अपनाया जाएगा। बजट में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 2006-07 के लिए 150 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं।

सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम

वर्ष 2006-07 के दौरान सामाजिक क्षेत्र में कई पहल/कार्यक्रमों के लिए पहले से अधिक व्यय मुहैया कराया गया है। संप्रग सरकार के आठ सूत्रीय कार्यक्रमों के तहत सामाजिक क्षेत्र के लिए बढ़े हुए संसाधनों को निर्दिष्ट किया गया था। ये आठ कार्यक्रम हैं : सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना, राजीव गांधी पेयजल मिशन, पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्युवल मिशन। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुखता मिली। वर्ष 2006-07 के लिए शिक्षा के लिए आवंटन 31.5 प्रतिशत बढ़ाकर 24,115 करोड़ रुपये कर दिया गया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटन 22.0 प्रतिशत बढ़ाकर 12,546 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।

वर्ष 2005-06 में आठ सूत्रीय कार्यक्रमों के लिए कुल आवंटन 34,927 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष में कुल आवंटन 50,015 करोड़ रुपये रखा गया है जो 15,088 करोड़ या 43.2 प्रतिशत अतिरिक्त है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) : बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए एसएसए के लिए 2006-07 में परिव्यय 2005-06 के 7156 करोड़ रुपये के मुकाबले 7156 करोड़ से बढ़ाकर 10041 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 5,00,000 अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने तथा 1,50,000 अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान शिक्षा कर से प्राप्त 8746 करोड़ रुपयों को प्रारंभिक शिक्षा कोष में स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है।

मिड-डे मील योजना : मिड-डे मील योजना के अंतर्गत 12 करोड़ बच्चों को कवर किया गया है। विश्व में यह सबसे बड़ा स्कूल लंच कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए 2006-07 में आवंटन राशि 3010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4813 करोड़ रुपये कर दी गई है।

पेयजल और स्वच्छता : वर्ष 2006-07 में 213 करोड़ रुपये की गैर आवर्तक सहायता के लिए एक प्रावधान किया गया है जिसके तहत जनपद स्तर पर पानी के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं तथा क्षेत्रीय स्तर पर पानी परीक्षण किट स्थापित करने की योजना है। चालू वर्ष में राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिए पिछले साल के 3645 करोड़ रुपयों के मुकाबले 4680 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण स्वच्छता अभियान के लिए 2006-07 में पिछले साल के 630 करोड़ रुपये के मुकाबले 720 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल, 2005 को शुरू किया गया था। 2006-07 में दो लाख से अधिक संयुक्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के (एएसएचए) पूर्ण रूप से क्रियाशील होने की उम्मीद है और 1000 से अधिक ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौबीसों घंटे सेवाएं मुहैया करने में सक्षम होने की आशा है। पिछली साल के 6553 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वित्त वर्ष के लिए एनआरएचएम का बजट आवंटन 8207 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) : आईसीडीएस के कुल आवंटन 3315 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4087 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सरकार की एक प्रमुख योजना है। वर्ष 2006-07 के

लिए ग्रामीण रोजगार हेतु कुल आवंटन 14,300 करोड़ रुपये है जिसमें 11,300 करोड़ रुपये (एनईआर भाग सहित) एनआरईजी अधिनियम के अंतर्गत होने तथा 3,000 करोड़ रुपये (एनईआर के हिस्से सहित) एसजीआरवाई के अंतर्गत आवंटित होंगे। क्योंकि एनआरईजी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के लिए कानूनी गारंटी मिली है इसलिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर और अधिक धन मुहैया कराया जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्युवल मिशन : जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्युवल मिशन तीन दिसंबर, 2005 को शुरू किया गया। इस मिशन को 4595 करोड़ रुपये की सहायता मुहैया कराई गई है। मुंबई मेट्रो रेल और बंगलुरु मेट्रो रेल सहित चार परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजनाएं विचाराधीन हैं। सुनियोजित शहरीकरण विकास, रोजगार और बेहतर जीवन स्तर के लिए एक उत्साही तरीका हो सकता है। सरकार नए शहरों के स्थापन को प्रोत्साहित करेगी विशेषकर खास इंडस्ट्री आधारित; उदाहरण के लिए सूचना टेक्नोलॉजी या कोई विशेष थीम, उदाहरण के रूप में शिक्षा अथवा स्वास्थ्य।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम : 65 वर्ष के ऊपर आयु वाले निराश्रय व्यक्तियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत वृद्ध आयु पेंशन दी जाती है। पूर्व में 75 रुपये प्रतिमाह की राशि काफी अपर्याप्त थी। अब इसको बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। 2006–07 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 1430 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं।

महिलाएं और बच्चे : महिलाओं और बच्चों के लिए 32 मंत्रालयों और विभागों में जेंडर बजटिंग सैल स्थापित किए गए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए केवल एससी और एसटी लाभार्थियों के लिए योजनाओं के लिए 14.5 प्रतिशत आवंटन में वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले 2006–07 के दौरान 2902 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एससी और एसटी के लिए कम से कम 20 प्रतिशत आवंटन के साथ 13.9 प्रतिशत बढ़ाकर 9690 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राष्ट्रीय एससी वित्त और विकास निगम को निष्पक्ष सहयोग के रूप में 37 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम को 2006–07 में 80 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

बारहवां वित्त आयोग

बारहवें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने एक नवम्बर, 2002 को किया, जिसे 2005–10 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र–राज्य राजकोषीय संबंधों के निर्दिष्ट पहलुओं के बारे मे सिफारिशें देने का काम सौंपा गया। सभी पहलुओं को शामिल करते हुए आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 दिसम्बर, 2004 को सौंपी।

आयोग ने राजकोषीय हस्तांतरण की एक योजना की सिफारिश की है, जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के दायरे के भीतर समानता और सक्षमता के लक्ष्य हासिल कर सके। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपेक्षित इस उपाय को केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के रूप में देखने की आवश्यकता है। शिखर और समांतर संतुलन कायम करने, सार्वजनिक और गुणवत्ता युक्त वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को अपने–अपने राजस्व आधारों से सापेक्षिक राजस्व के स्तर बढ़ाने और अवांछित व्यय प्रतिबद्धताओं से बचने की आवश्यकता है।

एक अप्रैल, 2005 से प्रारंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए आयोग ने सिफारिश की है कि हिस्सेदारी योग्य केंद्रीय करों में विशुद्ध प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 30.5 प्रतिशत होगा। इस प्रयोजन के लिए बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों को केंद्रीय करों के सामान्य पूल का हिस्सा माना जाएगा। यदि कर किराया व्यवस्था समाप्त की जाती है, और राज्यों को बिना किसी निर्धारित सीमा के इन वस्तुओं पर बिक्री कर (या वैट) लागू करने की अनुमति दी जाती है, तो हिस्सेदारी योग्य केंद्रीय करों की विशुद्ध प्राप्तियों में राज्यों की हिस्सेदारी घटकर 29.5 प्रतिशत रह जाएगी। संविधान के 88वें संशोधन के अधिसूचित होने के बाद यदि सेवा कर के बारे में कोई कानून बनाया जाता है, तो उसमें यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला राजस्व उस हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, जो उस स्थिति में राज्य को मिलता, जबकि समूचे सेवा कर से प्राप्त राशि हिस्सेदारी योग्य पूल का हिस्सा होती।

राजस्व के स्रोत

केंद्रीय कर राजस्व के मुख्य स्रोत हैं : सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, कंपनी कर और आय कर। गैर-कर राजस्व में मुख्यत: ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश और लाभ होते हैं। जिसमें रेलवे से प्राप्त लाभांश और ब्याज भी शामिल है। राज्यों के राजस्व की मुख्य मदें हैं—राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर और शुल्क, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों में राज्यों का हिस्सा और केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाले अनुदान। संपत्ति शुल्क, चुंगी कर तथा सीमा कर स्थानीय संस्थाओं के राजस्व के मुख्य साधन हैं।

संसाधनों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण किया जाना हमारे देश की संघीय वित्त व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। राज्यों को केंद्र सरकार से करों व शुल्कों में से उनका हिस्सा तो मिलता ही है, साथ ही राज्यों को वैधानिक तथा अन्य अनुदान, विकास तथा गैर-विकास कार्यों के लिए ऋण भी मिलते हैं। वर्ष 2001-02 से विभिन्न राज्यों को सीधे हस्तांतरित संसाधनों की कुल राशि का विवरण और वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए बजट अनुमान सारणी 13.1 में दर्शाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को भी संसाधन हस्तांतरित किए जाते हैं, जिन्हें राज्यों के बजट के माध्यम से नहीं भेजा जाता।

सारणी : 13.1 राज्यों को हस्तांतरित संसाधनों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

अवधि	कर और शुल्क	अनुदान	ऋण (सकल)	कुल
2001-02	52,841	41,493	24,154	1,18,488
2002-03	56,122	42,136	27,720	1,25,978
2003-04	65,766	47,320	25,061	1,38,147
2004-05(सं.अ.)	78,617	51,485	27,108	1,57,210
2005-06(ब.अ.)	94,959	77,274	1,179	1,73,412

लघु बचतों की शुद्ध जमा राशि को सार्वजनिक लेखा से राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को ऋण रूप में हस्तांतरित करने की एक नई पद्धति एक अप्रैल, 2002 से प्रचलित है।

वार्षिक बजट

संघ की आगामी वित्तीय वर्ष की सभी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का पूर्वानुमान प्रतिवर्ष संसद में रखा जाता है। इसे *वार्षिक वित्तीय वक्तव्य* या *बजट* कहा जाता है। इसमें पिछले वर्ष, चालू वर्ष (जब बजट पेश किया जाता है) और आगामी वित्त वर्ष, जिसे बजट वर्ष कहा जाता है, का केंद्र सरकार के देश के अंदर और देश से बाहर के सभी प्रकार के लेन-देन का विवरण रहता है।

बजट पेश होने के बाद संसद के दोनों सदनों में इस पर आम बहस होती है। भारत की संचित निधि में से होने वाले अनुमानित खर्चों को लोकसभा के सामने 'अनुदान मांगों' के रूप में रखा जाता है। संचित निधि में से निकाली जाने वाली सभी राशियों को प्रतिवर्ष संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से अधिकृत किया जाता है। बजट के कर प्रस्तावों को एक विधेयक में शामिल किया जाता है, जिसे वर्ष के *वित्त अधिनियम* के रूप में पारित किया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकारें वित्त वर्ष शुरू होने से पहले अपने-अपने विधानमंडलों में प्राप्तियों और खर्चों के अनुमान पेश करती हैं तथा खर्च के लिए विधायी स्वीकृति भी उसी तरीके से प्राप्त की जाती है। वर्ष 2001-02 से केंद्र सरकार की बजट-स्थिति सारणी 13.2 में दर्शाई गई है।

सारणी 13.2 बजट स्थिति

(करोड़ रुपये में)

मद	2001-02 वास्तविक	2002-03 वास्तविक#	2003-04 वास्तविक#	2004-05 संशोधित अनुमान था	2005-06 बजट अनुमान था
1. राजस्व प्राप्तियां	2,01,306	2,30,834	2,63,878	3,00,904	3,51,200
2. राजस्व व्यय	3,01,468	3,38,713	3,62,140	3,86,068	4,46,513
3. राजस्व घाटा	1,00,162	1,07,879	98,262	85,164	95,313
4. पूंजी-प्राप्ति	1,62,500	1,80,531	2,07,490	1,83,862$	1,60,004$
5. ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां	20,049	37,342*	84,218*	65,656*	12,000
6. ऋण और अन्य दायित्व	1,42,451	1,43,189	1,23,272	1,18,206	1,48,004
7. पूंजी व्यय	60,842	74,535**	1,09,228**	1,19,723**	67,831
8. कुल प्राप्तियां	3,63,806	4,11,365	4,71,368	4,84,766	5,11,204
9. कुल व्यय	3,62,310	4,13,248	4,71,368	5,05,791	5,14,344
10. बजट घाटा	−1,496	1,883	0	21,025	3,140
11. वित्तीय घाटा [(1+5)-9=6+10]	1,40,955	1,45,072	1,23,272	1,39,231	1,51,144

नोट : इन आंकड़ों में लघु बचत संग्रह में राज्यों की हिस्सेदारी का हस्तांतरित शामिल नहीं है।

2002-03 और 2003-04 के अनंतिम वास्तविक पर आधारित।

* ऋण अदला बदली योजना के कारण राज्यों से प्राप्तियां शामिल हैं।

** इनमें राष्ट्रीय लघु बचत कोष को पुनर्भुगतान शामिल है।

$ 2004-05 के संशोधित अनुमान में 65,481 करोड़ रुपये और 2005-06 के बजट अनुमान में बाजार स्थिरीकरण के अंतर्गत जुटाए जाने वाले में 85,500 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। यह केंद्र सरकार की नकद शेष राशि होगी और व्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाएगी।

सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण में देश के अंदर लिए गए ऋण, जैसे—बाजार-ऋण, मुआवजे और अन्य बॉन्ड; राज्य सरकारों, वित्त मंत्रालय को जारी किए गए ट्रेजरी बिल; अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई अविनिमेय बिना ब्याज वाली रुपया प्रतिभूतियां तथा देश के बाहर से लिए गए ऋण, अर्थात् विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि से लिए गए ऋण शामिल हैं। कुछ चुनिंदा वर्षों के अंत में सार्वजनिक ऋण और अन्य देयताओं की स्थिति का विश्लेषण सारणी 13.3 में किया गया है। *अन्य देयताओं* में विभिन्न लघु बचत योजनाओं; भविष्य-निधि खातों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी प्रतिभूतियों, विशेष बचत योजनाओं में जमा राशि, रिजर्व कोष तथा जमा राशियों के बकाया शामिल हैं।

सारणी : 13.3

भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियां

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपये में)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 सं. अ.	2005-06 ब. अ.
क-सार्वजनिक ऋण					
1 घरेलू-ऋण (i से vii तक)	9,13,061	10,20,689	11,41,706	12,70,272	14,06,525
i बाजार-ऋण	5,16,517	6,19,105	7,07,965	7,58,999	8,70,836
ii अन्य[1] (विशेष बियरर बॉन्ड सहित)	61,635	1,14,375	1,93,551	2,77,213	2,98,375
iii 91 दिन ट्रेजरी बिल	5,047	9,673	7,184	7,184	7,184
iv ट्रेजरी बिलों के बदले में रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,01,818	61,818	0	0	0
v विशेष फ्लोटिंग और अन्य ऋण	22,551	23,617	22,139	21,388	21,631
vi भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां	3,222	3,596	3,596	1,867	1,868
vii लघु बचतों पर प्रतिभूतियां	2,02,271	1,88,505	2,02,271	2,03,621	2,06,631
2. विदेशी ऋण*	71,546	59,612	46,124	54,359	63,215
कुल सार्वजनिक ऋण (1+2)	9,84,607	10,80,301	11,87,830	13,24,631	14,69,740
3. अन्य देयताएं@	3,81,801	4,78,900	5,48,848	6,56,883	7,62,146
कुल सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देयताएं	13,66,408	15,59,201	17,36,678	19,81,514	22,31,886

* इनमें मुख्यत: वे अविनिमेय और गैर-ब्याज वाली सिक्यूरिटीज शामिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा एशियाई विकास बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की जाती हैं।

@ इनमें राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधि, गैर-सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमा राशियों तथा अन्य आरक्षित (रिजर्व) कोषों एवं जमा राशियों के उपचय शामिल हैं।

नोट—विदेशी ऋण अंकित मूल्य पर है।

सं.अ.—संशोधित अनुमान था

ब.अ.—बजट अनुमान था

राजकोषीय प्रबंधन में नई पहल

लगातार बढ़ रहे राजकोषीय घाटे और उसके साथ बढ़ते सार्वजनिक ऋण को आर्थिक विकास की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली कठिन चुनौती माना गया है। आर्थिक मापदंडों पर राजकोषीय, अनुशासनहीनता का बुरा असर रोकने के उद्देश्य से संसद ने 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम एक्ट) पारित किया, जो जुलाई, 2004 से अमल में आ गया। इस अधिनियम से अन्य बातों के अलावा सरकार को 2007-08 तक राजस्व घाटे के उन्मूलन का समादेश मिल गया। 2004 में इस अधिनियम में एक संशोधन के जरिए लक्ष्य वर्ष बदल कर 2008-09 कर दिया गया। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नए नियम राजस्व घाटे में हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के बराबर की कटौती निर्धारित करते हैं।

एफआरबीएम अधिनियम 2003 तथा एफआरबीएम अधिनियम 2004 के अंतर्गत सरकार के दायित्व इस प्रकार हैं : (i) राजकोषीय घाटे में इतनी कमी लाना कि सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 0.3 प्रतिशत हो, ताकि 2007-08 तक यह घट कर सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत रह जाए। (ii) किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी को सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत तक सीमित करना। (iii) अतिरिक्त देनदारियों को (मौजूदा विनियम दर में विदेशी ऋण सहित) 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत, 2005-06 में 8 प्रतिशत, 2006-07 में 7 प्रतिशत तथा 2007-08 में 6 प्रतिशत तक सीमित करना। (iv) एक अप्रैल, 2006 के बाद से रिजर्व बैंक से सीधे उधार न लेना। (v) संसद में आर्थिक बजट के साथ माइक्रोइकौनॉमिक फ्रेमवर्क, राजकोषीय नीति और मध्यावधि राजकोषीय नीति पर बयान पेश करना। (vi) 2006-07 से पहले अधिक राजकोषीय पारदर्शिता की ओर अग्रसर होना तथा राजस्व बकाया और गारंटी तथा परिसंपत्ति आदि विनिर्दिष्ट सूचना देना शुरू करना।

2005-06 में निर्धारित घाटे संबंधी लक्ष्य इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	मद	संशोधित अनुमान 2004-05	बजट अनुमान 2005-06	लक्ष्य 2006-07	लक्ष्य 2007-08
1.	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा	2.7	2.7@	2.0	1.1
2.	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	4.5@@	4.3	3.8	3.1
3.	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर-राजस्व	9.8	10.6	11.1	12.6
4.	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया देयताएं	68.8	68.6	68.2	67.3

@ 2005-06 के बजट में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है, ताकि 01.04.2005 स्तरीय मूल्य संवर्धित कर प्रणाली लागू होने से राज्यों के राजस्व में होने वाले घाटे की भरपाई की जा सके। परंतु इस अनुमानित खर्च को पुन: शामिल करने की स्थिति में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.6 प्रतिशत रह जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि यह धन राज्यों के राजस्व की भरपाई करने में खर्च नहीं करना पड़ेगा, और यह प्रावधान केवल राज्यों को आश्वस्त करने के उपाय के रूप में किया गया है।

@@ वित्तीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए विनिवेश प्राप्तियों को संसाधन न माने जाने की स्थिति में यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत होगा।

विदेशी सहायता

बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संगठनों से विदेशी सहायता प्राप्त करने और इसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आर्थिक मामलों का विभाग नोडल विभाग है। विदेशी सहायता प्राप्त करने के इच्छुक राज्य सरकारें और अन्य संगठन, केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय की मार्फत अपने प्रस्ताव डीईए को भेज सकते हैं। मंत्रालय/विभाग को इन प्रस्तावों पर आर्थिक मामलों के विभाग के पास सिफारिशें भेजते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि विदेशी सहायता संबंधी प्रस्ताव/योजनाएं योजना-संबंधी प्राथमिकताओं, बजट-संबंधी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति तथा योजना आयोग की स्वीकृति उपयुक्त समय पर लेने के बाद भेजी गई है। डीईए ने विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्ताव, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मई, 2005 में नए दिशा-निर्देश जारी किए।

केंद्र/राज्य सरकारों के सभी परियोजना-प्रस्तावों के बारे में बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से किए गए समझौतों पर केंद्र सरकार की ओर से डीईए (केंद्र सरकार के नोडल विभाग के रूप में) हस्ताक्षर करता है, क्योंकि यह केंद्रीय सूची का विषय है। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समग्र विदेशी सहायता से संबद्ध नीतिगत मामलों के लिए भी यही जिम्मेदार है।

वित्त वर्ष 2005-06 से विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त विदेशी सहायता राज्यों को उन्हीं शर्तों के आधार पर दे दी जाती है, जिन पर विदेशी वित्तीय एजेंसी से प्राप्त की गई हो। वर्ष 2004-05 में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 17,137.43 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्राप्त की गई। जबकि वर्ष 2003-04 के दौरान यह राशि 17,355.68 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में 8,716.69 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि वर्ष 2003-04 में यह राशि 9,324.36 करोड़ रुपये थी।

डीईए द्वारा 20 सितंबर, 2004 को घोषित नई नीति के अंतर्गत सभी जी-8 देशों, यानी जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूसी परिसंघ और यूरोपीय आयोग से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा जी-8 से इतर यूरोपीय संघ के देशों से भी ऐसी सहायता ली जाएगी, बशर्ते भारत को दिया जाने वाला द्विपक्षीय सहायता का पैकेज न्यूनतम 2.5 करोड़ अमेरिकी डालर का हो। गैर सरकारी संगठनों, स्वायत्त संस्थानों, और विश्वविद्यालायों द्वारा द्विपक्षीय विकास भागीदारों के जरिए प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों का तेजी से निपटारा करने के लिए एक सरल प्रक्रिया लागू की गई है।

भारत-अमरीका द्विपक्षीय संबंध

भारत को अमरीकी विकास सहायता 1951 में मिलनी शुरू हुई थी, और मई, 2004 तक भारत को करीब 14 अरब अमरीकी डॉलर की कुल सहायता प्राप्त हो चुकी थी। यह सहायता मुख्यत: विकास परियोजनाओं, खाद्य वस्तुओं और तकनीकी सहायता के रूप में प्राप्त हुई। अमरीकी सहायता का संचालन मुख्य रूप से अमरीका की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता एजेंसी (यूएसऐड) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यूएसऐड द्वारा दी जाने वाली समूची सहायता अनुदान के रूप में दी जा रही है।

शुरू में भारत को दी जाने वाली अमरीकी सहायता में मुख्य जोर ऐसी परियोजनाओं पर दिया जाता था, जिनका लक्ष्य प्रमुख संस्थानों को मजबूत बनाना और कृषि एवं सामाजिक वानिकी में ढांचागत कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का हस्तांतरण करना हो। 1980 के दशक के मध्य से प्राथमिकता में विविधता आई और उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आयाम शामिल किए गए। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी

के व्यावसायीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। फिलहाल यह विकास सहायता चार प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए मिल रही है। ये हैं : वित्तीय बाजार सुधार, राज्य राजकोषीय सुधार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऊर्जा आपदा प्रबंधन। इन क्षेत्रों में यूएसऐड की सहायता से 11 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध

भारत को जापान सरकार से वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए 13,446.6 करोड़ येन (लगभग 5,600 करोड़ रुपये) की सरकारी विकास सहायता का आश्वासन मिला है। किसी एक वित्तीय वर्ष में जापान सरकार की ओर से दी जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी ऋण सहायता है। यह वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए जापान द्वारा दी जाने वाली कुल वैश्विक सरकारी विकास सहायता का 19.2 प्रतिशत है। इसे मिलाकर जापान से भारत को मिलने वाला कुल सरकारी विकास सहायता ऋण प्रतिबद्धता के आधार पर 31 मार्च 2005 तक 2193.67 अरब येन (लगभग 89,406 करोड़ रुपये, 100 येन = 40.7 रुपये) हो गया। 29 मार्च, 2005 को भारत सरकार और जापान सरकार ने 8 परियोजनाओं के लिए 13,446.6 करोड़ येन (लगभग 5,600 करोड़ रुपये) के सरकारी विकास सहायता ऋण संबंधी दस्तावेज का आदान-प्रदान किया। इन परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है :

परियोजना	राशि लाख येन में
दिल्ली मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना **(VI)**	1,92,920
नार्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना **(I)**	1,59,160
राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	1,15,550
तमिलनाडु वानिकी परियोजना **(II)**	98,180
कर्नाटक स्थाई वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण परियोजना	1,52,090
गंगा कार्रवाई योजना परियोजना (वाराणसी)	1,11,840
बंगलौर जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजना फेज **(II-I)**	4,19,970
उत्तर प्रदेश बौद्ध परिक्रमा विकास परियोजना	94,950

उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर भी 31 मार्च, 2005 को कर दिए गए।

वैश्विक भागीदारी की समग्र संभावनाओं को महसूस कर दोनों देशों ने आठ सूत्रीय पहल और उन्हें लागू करने का फैसला किया। इनमें परस्पर सहयोग के आठ क्षेत्र शामिल हैं : (i) दोनों देशों के बीच वार्ता व्यवस्था को मजबूत करना, उच्चस्तरीय विचार-विमर्श पर अधिक बल देना, उच्चस्तरीय वार्ता शुरू करना और मौजूदा वार्ता व्यवस्था का पूर्ण उपयोग शामिल है; (ii) सामान और सेवाओं में व्यापार के विस्तार, पूंजीनिवेश में वृद्धि और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों के जरिए व्यापक आर्थिक संबंधों की स्थापना और भारत-जापान आर्थिक भागीदारी समझौते की संभावनाएं तलाशना; (iii) सुरक्षा वार्ता और सहयोग में वृद्धि; (iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग की पहल; (v) सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग के उपाय, तथा परस्पर परिचय और प्रभाव बढ़ाने के लिए दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना; (vi) नए एशिया युग की शुरुआत में सहयोग; (vii) संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्तर पर सहयोग, जिनमें संयुक्त राष्ट्र, विशेषकर सुरक्षा परिषद में सुधारों को शीघ्र मूर्त रूप देने में सहयोग शामिल है; और (viii) वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का लाभ उठाने में सहयोग।

जापान अनुदान सहायता कार्यक्रम की पुन: शुरुआत 28 अगस्त, 2003 को 'मुंबई में सर जेजे हास्पिटल, कामा और एल्बलेस हॉस्पिटल्स के लिए चिकित्सा उपकरणों के परिष्कार' परियोजना

के दस्तावेजों के आदान-प्रदान से हुई। इस परियोजना के लिए 75,90,00,000 येन के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसी प्रकार 'एनआईसीईडी कोलकाता में अतिसार अनुसंधान एवं नियंत्रण केंद्र निर्माण' परियोजना के लिए 25 जून, 2004 को 2,13,40,00,000 येन के एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंध

ब्रिटेन 1958 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान कर रहा है। भारत को दी जाने वाली समस्त सहायता ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय सहायता विभाग (डीएफआईडी) द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। भारत को फिलहाल अनुदान के मामले में ब्रिटेन से सर्वाधिक द्विपक्षीय विकास सहायता मिल रही है। मार्च, 1999 में यह फैसला किया गया था कि ब्रिटेन से मिलने वाली अनुदान सहायता संबद्ध राज्यों को गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप मे दी जाएगी। डीएफआईडी अनुदान सहायता के लिए भारत में आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को वरीयता देता है। डीएफआईडी अन्य राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आदि में भी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू की जा रही परियोजनाओं के जरिए विकास सहायता प्रदान करता है।

वित्तीय सहायता (भारत सरकार के बजट के माध्यम से) और तकनीकी सहायता के रूप में भी ब्रिटेन से भारत को सहायता मिलती है। इसके तहत डीएफआईडी द्वारा परामर्श सेवाओं, विशेषज्ञों, प्रशिक्षण, आदि के लिए किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान शामिल है। मार्च, 2004 में डीएफआईडी ने 2004-08 की अवधि के लिए भारत में अपनी नई कंट्री प्लान शुरू किया, जिसे 'इंडिया कंट्री प्लान-पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट' नाम दिया गया। शिक्षा, मलिन बस्ती सुधार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वानिकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहमति के आधार पर शुरू की गई परियोजनाओं के लिए डीएफआईडी की सहायता से 28 परियोजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। इसमें सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) जैसे केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम (सीएसएस) भी शामिल हैं। डीएफआईडी एक और केंद्र प्रायोजित परियोजना—प्रजनन एवं स्वास्थ्य (आरसीएच)-II परियोजना के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।

भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंध

यूरोपीय आयोग 1976 से भारत को सहायता दे रहा है। यूरोपीय आयोग से भारत को मिलने वाली समूची सहायता अनुदान के रूप में मिलती है और वर्तमान में इस सहायता के लिए पर्यावरण, जन-स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

यूरोपीय आयोग द्वारा भारत में निम्नांकित विकास सहयोग कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जा रही है :

1. सर्व शिक्षा अभियान- यूरोपीय आयोग द्वारा मिलने वाली सहायता में शिक्षा क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीआईपी) आंशिक रूप से यूरोपीय संघ की 15 करोड़ यूरो की मदद से चलाया जा रहा है, जो दिसंबर 2002 में समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के विस्तार के रूप में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा देश के 42 जिलों में लागू किए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान के वास्ते यूरोपीय आयोग ने 20 करोड़ यूरो की सहायता देने का वायदा किया। पहले चरण में 3 करोड़ यूरो का उपयोग किया जा चुका है। दूसरे चरण के लिए फरवरी, 2005 में यूरोपीय आयोग ने 2.4 करोड़ यूरो की सहायता मंजूर की। इस कार्यक्रम के लिए सहायता देने वालों

में अन्य भागीदार हैं—आईडीए/विश्व बैंक और डीएफआईडी, ब्रिटेन जो क्रमश: 39 करोड़ यूरो तथा 27 करोड़ यूरो की सहायता प्रदान कर रहे हैं।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास के लिए सहायता– यूरोपीय आयोग द्वारा उसके क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (एसआईपी) के अंतर्गत प्रायोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास सहायता कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का पुनर्गठन करना है। क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ ही प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) और सुरक्षित मातृत्व एवं अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इनके लिए यूरोपीय आयोग की सहायता राशि 24 करोड़ यूरो है।

3. राज्य भागीदारी कार्यक्रम– यूरोपीय आयोग ने अब अपनी विकास सहयोग नीति में बदलाव लाते हुए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण की बजाय एक या दो भारतीय राज्यों के साथ भागीदारी दृष्टिकोण अपनाने का निश्चय किया है। इसके तहत इन राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए अपने व्यापक संसाधनों को लगाना है। तदनुरूप, आयोग और भारत सरकार ने आपसी सहमति से यूरोपीय आयोग के राज्य भागीदारी कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान को चुना। आयोग ने इन राज्यों में विकास भागीदारी कार्यक्रमों के लिए 16 करोड़ यूरो की सहायता देने का वायदा किया है।

4. यूरोपीय संघ (ईयू)-भारत छात्रवृत्ति कार्यक्रम– यूरोपीय संघ-भारत छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए यूरोपीय आयोग के साथ 3.3 करोड़ यूरो की वित्त व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस राशि का उपयोग यूरोपीय संघ के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 2005-09 की अवधि में भारतीय छात्रों द्वारा उच्चतर शिक्षा (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों) के लिए 1,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के वास्ते किया जाएगा।

भारत-स्विट्जरलैंड संबंध

भारत को स्विट्जरलैंड से अनुदानों के रूप में सहायता मिलती रही है और यह स्थानीय लागत तथा तकनीकी सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई है। पहले, स्विट्जरलैंड ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत अनुदान और 60 प्रतिशत ऋण के रूप में मिश्रित ऋण सहायता प्रदान करता रहा है। केरल राज्य की नरियामंगलम पन बिजली परियोजना 25 जून, 1991 को हुए स्विस मिश्रित ऋण समझौते के तहत लागू की गई है। वर्तमान में स्विस सहायता मुख्यरूप से भारत में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित परियोजनाओं को मिल रही है। पिछले वर्ष के दौरान स्विट्जरलैंड ने भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है।

भारत-इटली द्विपक्षीय संबंध

इटली भारत को 1981 से सहायता प्रदान कर रहा है। 5 जून, 1996 को हुई भारत-इटली सहयोग बैठक में इटली ने 100 अरब लीरा की सहायता देने का वायदा किया था। इस समझौते के तहत निम्नलिखित दो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं :

(i) एनएसआईसी को ऋण सहायता : 100 अरब लीरा की सहायता का जो वायदा इटली ने किया था, उसमें से 50 अरब लीरा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) को आवंटित की गई, ताकि भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए पूंजीगत सामान और तकनीकी सहायता की आपूर्ति के वास्ते मुक्त ऋण वित्त व्यवस्था की जा सके। एनएसआईसी ने 21 मार्च, 2000 को 10 अरब लीरा की पहली किस्त के वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। शेष 40 अरब लीरा (दूसरी

किस्त) के बारे में सितंबर 2004 से पहले प्रचलित भारत सरकार की नीति को देखते हुए बकाया राशि न लेने का फैसला किया गया। यह निर्णय इटली सहित छोटे द्विपक्षीय भागीदारों से विकास सहायता न लेने की नीति के तहत लिया गया।

(ii) पश्चिम बंगाल में जलापूर्ति और ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना : पश्चिम बंगाल में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था के वास्ते 50 अरब लीरा का इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए डीईए ने इटली दूतावास के साथ 5 फरवरी 2003 को समझौता दस्तावेज का आदान-प्रदान किया था। संशोधित प्रस्ताव के अनुसार 38 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के लिए ब्याज दर 0.1 प्रतिशत वार्षिक होगी, जिसमें 17 वर्ष की रियायत अवधि भी शामिल है। सरकार ने द्विपक्षीय विकास सहायता संबंधी नीति में संशोधन किया है। इटली से सहायता स्वीकार करने की भारत सरकार की संशोधित नीति को देखते हुए एनएसआईसी ने विदेश विभाग से अनुरोध किया है कि 40 अरब लीरा की बकाया विकास सहायता राशि को प्राप्त करने के प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाए।

भारत-फ्रांस द्विपक्षीय सहायता

द्विपक्षीय भागीदारों के साथ सहायता नीति की समीक्षा की गई। फ्रांस से मिलने वाली सहायता फ्रांसीसी वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात से जुड़ी हुई है। फ्रांस विशेष परियोजनाओं के लिए सहायता मंजूर करता है, जिनमें फ्रांसीसी कपंनियों को ठेके देने होते हैं। फ्रांसीसी सहायता के अंतर्गत स्थानीय लागत के लिए धन की व्यवस्था नहीं की जाती।

20 सितंबर, 2004 को घोषित नीति के अनुसार उन देशों की सूची में फ्रांस (जी-8 का सदस्य होने के नाते) का नाम शामिल किया गया, जिनसे भारत को विकास सहायता स्वीकार्य होगी। हालांकि भारत फ्रांस से मिलने वाली विकास सहायता का स्वागत करता है लेकिन सशर्त सहायता स्वीकार नहीं करेगा। फ्रांस को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के लिए सशर्त सहायता स्वीकार करना संभव नहीं है, भले ही वह सहायता अनेक मुक्त घटकों के पैकेज के साथ ही क्यों न दी गई हो।

भारत-डेनमार्क द्विपक्षीय संबंध

विदेशी सहायता संबंधी भारत की नई नीति के अनुसार डेनमार्क के साथ सरकार के स्तर पर कोई द्विपक्षीय विकास सहयोग नहीं किया जाएगा। डेनमार्क सरकार ने भी 2005 के अंत तक जारी परियोजनाओं सहित सहायता बंद करने का फैसला किया है। भारत सरकार भी इस निर्णय से सहमत है। परिणामस्वरूप 31 दिसंबर 2005 के बाद भारत-डेनमार्क परियोजनाओं के लिए कोई ऋण जारी नहीं होगा। भारत ने डेनमार्क के सभी ऋण अदा कर दिए हैं, और भारत पर डेनमार्क की अब कोई देनदारी नहीं है।

भारत-जर्मनी द्विपक्षीय सहायता

संघीय जर्मन गणराज्य भारत की सर्वाधिक सहायता प्रदान करने वाला यूरोपीय देश है और वह भारत को 1958 से वित्तीय तथा तकनीकी दोनों तरह की सहायता मुहैया करा रहा है। वित्तीय सहायता मुख्यत: आसान ऋण, मिश्रित ऋण (वाणिज्यिक ऋण के साथ आसान ऋण) और अनुदान के रूप में दी गई है। यह सहायता जर्मन सरकार के विकास बैंक, केएफडब्ल्यू के माध्यम से वितरित होती है। फिलहाल, संचालित परियोजनाओं में से 32 को वित्तीय और 18 परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है। जारी परियोजनाओं के लिए कुल सहायता क्रमश: 9873.49 लाख यूरो तथा 499.8

लाख यूरो प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त शुरू होने वाली 18 वित्तीय सहयोग और 31 तकनीकी सहयोग वाली परियोजनाओं के लिए क्रमश: 6612.3 लाख यूरो और 637.55 लाख यूरो राशि की सहायता का वायदा किया गया है।

भारत-जर्मनी वार्षिक वार्ता-2004, जुलाई 2004 में आयोजित हुई, जिसमें 1235.3 लाख यूरो की सहायता का वायदा किया गया (इसमें पुनर्निर्धारित कार्यक्रम कोष से 155.3 लाख यूरो की सहायता शामिल है)। भारत जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के अतंर्गत वर्ष 2004-05 के लिए जर्मनी के केएफडब्ल्यू के साथ निम्नांकित वित्त व्यवस्था/ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए :

क्र.सं.	परियोजना	राशि (लाख यूरो में)
1.	पल्स पोलियो कार्यक्रम (पांचवां, छठा और सातवां चरण)	267 (अनुदान)
2.	कर्नाटक में माध्यमिक स्तरीय अस्पताल (चरण-II)	143 (अनुदान)
3.	आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा बिजली परियोजना	2810.57

वर्ष 2004 के लिए जर्मनी द्वारा तकनीकी सहयोग के बारे में किए गए वायदों के संदर्भ में संघीय जर्मनी गणराज्य सरकार और भारत सरकार के बीच 2290.5 लाख यूरो की सहायता के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

बैंकिंग

भारतीय प्रबंधन के अधीन पहला सीमित दायित्व वाला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। उसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। 1906 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन से कई *वाणिज्यिक बैंकों* की स्थापना में प्रोत्साहन मिला। वर्ष 1913-17 के दौरान बैंकिंग संकट तथा पांचवें दशक में विभिन्न राज्यों में 588 बैंकों के दिवालिया हो जाने से वाणिज्यिक बैंकों के नियमन और उन पर नियंत्रण की आवश्यकता को बल मिला। बैंकिग कंपनी अधिनियम फरवरी, 1949 में पारित हुआ, जिसे संशोधन के बाद 'बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949' के रूप में जाना गया। इस अधिनियम के जरिए बैंकिंग व्यवस्था पर नियमन का कानूनी अधिकार रिजर्व बैंक को मिल गया।

देश के सबसे बड़े बैंक 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया और इसका नाम बदल कर 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' कर दिया गया। इसके बाद 1959 में इसके सात सहयोगी बैंकों का गठन किया गया। निश्चित सामाजिक दायित्वों के साथ वाणिज्यिक बैंकों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए 19 जुलाई, 1969 को एक अध्यादेश जारी किया। 15 अप्रैल, 1980 को छह अन्य वाणिज्यिक बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

आठवें दशक के अंत में बैंकिंग व्यवस्था में कुछ अनियमितताएं पाई गईं। सरकार को लगा कि इन्हें दूर किया जाना चाहिए, ताकि वित्तीय प्रणाली एक कुशल और प्रतिस्पर्धापूर्ण अर्थव्यवस्था बनाने की अपनी भूमिका निभा सके। तदनुसार, वित्तीय ढांचे, संगठन, कामकाज और प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं की जांच के लिए 14 अगस्त, 1991 को श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (सीएफएस) गठित की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर 1992-93 में बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार प्रारंभ किए गए। 1991 में वित्त प्रणाली समिति द्वारा वित्तीय क्षेत्र के बारे में सुझाए गए सुधार के उपायों के कार्यान्वन की समीक्षा और भविष्य में सुधार के बारे में सुझाव देने के लिए

केंद्र सरकार ने दिसंबर, 1997 में एम.नरसिंहम की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने अप्रैल, 1998 में अपनी रिर्पोट पेश की। विवेकसम्मत लेखा मापदंडो, खासतौर से पूंजी पर्याप्तता अनुपात, सरकारी गांरटी वाले अग्रिमों के वर्गीकरण, मानक अग्रिमों में आवश्यक व्यवस्थाओं और बैंकों के तुलन-पत्र (बैलंसशीट) में अधिक प्रकटीकरण आदि के बारे में इस समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली गयीं, और उनको कार्यान्वित किया गया। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार, वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में जो पहल की गयी हैं, वे बैंकों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रबंधन संबधी दिशानिर्देशों, लेखा मानकों के परिपालन, समेकित लेखा विधि और पर्यवेक्षण, आय-मान्यता के विवेकसम्मत मापदंडों को ठीक-ठाक करना, परिसंपत्ति वर्गीकरण, अशोध्य ऋणों के लिए व्यवस्था आदि के बारे में हैं। बैंकिग क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं: विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए दिशार्निदेश, उधारदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता, कारपोरेट सुशासन, काले धन को सफेद धन बनाने से रोकने के उपाय आदि। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन से बैंकों को अशोध्य ऋणों के प्रबंधन में प्रभावी ढंग से सहायता मिलने की संभावना है।

1993 में बैंकिग प्रणाली में अधिक स्पर्धा पैदा करने की आवश्यकता अनुभव करते हुए भारतीय बैंकिग प्रणाली में नये बैंकों की स्थापना करने की अनुमति निजी क्षेत्र को दी गयी। कुछ शर्तो को पूरा करना इन नये बैंकों के लिए अनिवार्य था। निजी क्षेत्र के नये बैंकों के लिए कुछ और मार्गप्रदर्शक नियम 3 जनवरी, 2001 को जारी किए गए।

नय बैंक खोलने के निर्धारित समय में मिले आवेदनों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक ने की। इनमें से दो आवेदकों को 7 फरवरी, 2002 को सिद्धांत के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया। इनमें से एक 'कोटक महिंद्रा बैंक' को अन्य औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद 6 फरवरी, 2003 को बैंकिग लाइसेंस जारी किया गया। इस बैंक ने 22 मार्च, 2003 से काम करना शुरू कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसार बाद में इसे 12 अप्रैल, 2003 को रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया।

सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 24 मई, 2004 को 'येस बैंक लिमिटेड' को लाइसेंस जारी किया गया। इस बैंक ने 16 अगस्त, 2004 को काम शुरू कर दिया और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसार 21 अगस्त, 2004 से रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया।

निजी क्षेत्र में बैंकों के स्वामित्व और संचालन के बारे में 2 जुलाई, 2004 को व्यापक नीति का मसौदा विचार-विमर्श और फीडबैक के लिए जारी किया गया। सभी संबद्ध पक्षों से फीडबैक मिलने और भारत सरकार से सलाह मशिवरा करने के बाद रिजर्व बैंक ने 28 फरवरी, 2005 को निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और प्रशासन के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों में अंतर्निहित सिद्धांतों में अन्य बातों के अलावा निम्नांकित मुद्दे सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है : निजी क्षेत्र के सभी बैंकों की विशुद्ध पूंजी 300 करोड़ रुपये हो, निजी क्षेत्र के बैंकों का अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण भलीभांति विविधता युक्त हो, महत्वपूर्ण शेयर धारक (यानी 5 प्रतिशत और उससे अधिक शेयर रखने वाले व्यक्ति) 3 फरवरी, 2004 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 'उपयुक्त एवं समुचित' हों और बैंक के कामकाज का प्रबंधन करने वाले निदेशक और सीईओ 25 जून, 2004 को जारी परिपत्र के अनुसार 'उपयुक्त एवं समुचित' हों। दिशा निर्देशों में 6 जुलाई, 2004 को जारी परिपत्र में किए गए

प्रावधान के अनुसार एक बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान के पांच प्रतिशत या अधिक शेयर रखने पर प्रतिबंध लगाने और सृदढ़ कंपनी प्रशासन सिद्धांतों का पालन करने की भी व्यवस्था है। रिजर्व बैंक ने स्थिति की समीक्षा के लिए बैंकों के साथ विचार–विमर्श किया।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एक अप्रैल, 1935 में हुई थी। एक जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीकरण किया गया। देश में एक रुपये के सिक्कों/नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर अन्य मुद्रा जारी करने का एक मात्र अधिकार रिजर्व बैंक को ही प्राप्त है। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले एक रुपये के नोटों, सिक्कों तथा छोटे सिक्कों के वितरण का कार्य करता है। रिजर्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ किए गए अनुबंधों के अनुसार उनके बैंकर के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के उधारी कार्यक्रम का संचालन भी करता है। यह ऋण के समुचित उपयोग से मूल्यों में स्थिरता लाने के साथ–साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए मुद्रा नीति तैयार करता है, और उसे लागू करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में व्यवस्था बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में भारत की सदस्यता के नाते सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह विकास और संवर्धन के विभिन्न कार्यों के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था, शहरी सहकारी बैंकों और गैर–बैंकिग वित्तीय क्षेत्र का नियमन तथा निरीक्षण भी करता है।

बैंकिंग प्रणाली की संरचना

भारत में बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुल 218 अनुसूचित (विदेशी बैंकों सहित) वाणिज्यिक बैंक हैं। इनमें से 161 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं जिनमें से 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबीज) हैं और ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का 75.2 प्रतिशत एकत्र करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋण लेने वालों को और अधिक ऋण मुहैया कराने के लिए विशेष रूप से की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा बाकी 28 बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत, एसबीआई समूह के 8 बैंक और आईडीबीआई लिमिटेड शामिल है और ये सभी तरह का बैंकिंग व्यवसाय करते हैं। 1999 से भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग की प्रगति संबंधी कुछ प्रमुख संकेतक सारणी 13.4 में दर्शाए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच 31 मार्च, 2006 को राष्ट्रीयकृत बैंक समूह (आईडीबीआई लि० सहित) सबसे बड़ी इकाई है जिसके 33.868 कार्यालय, 10,13,664 करोड़ रुपये जमा राशि और 7,21,066 करोड़ रुपये अग्रिम थे। 13,820 कार्यालयों, 4,90,375 करोड़ रुपये जमा राशि और 3,50,961 करोड़ रुपये के अग्रिम के साथ भारतीय स्टेट बैंक समूह (एसबीआई और इसके सात सहायक) दूसरा सबसे बड़ा समूह है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह का हिस्सा (जमा और उधार सहित) राष्ट्रीयकृत बैंकों के समूह का हिस्सा (आरआरबी को छोड़कर) 67.3 प्रतिशत बैठता है तथा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल व्यवसाय का 48.0 प्रतिशत है। स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों का हिस्सा एक समूह के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए कुल कारोबार (आरआरबी को छोड़कर) का 23.3 प्रतिशत है। (स्रोतः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा और उधार के त्रैमासिक आंकड़े–मार्च 2006)।

निधि संग्रह और उसका उपयोग

राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जून 1969 के अंत में इन बैंकों में जमा राशि केवल 4,646 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2006 को

यह रकम बढ़कर 20,93,042 करोड़ रुपये हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जून, 1969 में कुल जमा रकम 3,871 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2006 को यह रकम 15,74,664 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। (स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा और उधार के त्रैमासिक आंकड़े मार्च-2006) बैंकों द्वारा जमा की गई राशि का उपयोग—(i) ऋण और अग्रिम राशि देने, (ii) नकदीकरण की निर्धारित शर्तें पूरी करने के लिए सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों में, तथा (iii) कॉमर्शियल पेपर, शेयर डिबेंचरों आदि में निर्धारित सीमा तक निवेश करने में होता है।

सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह जून, 1969 में 1,361 करोड़ रुपये था; मार्च, 2006 में ये 7,17,454 करोड़ रुपये हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की राशि जून, 1969 में केवल 3,599 करोड़ रुपये थी, मार्च 2006 के अंत तक ये 15,07,077 करोड़ रुपये तक हो गई। (स्रोत—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन—अगस्त 2006)

प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशियां

राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंपा गया एक प्रमुख कार्य अर्थव्यवस्था के अब तक उपेक्षित वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध कराना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंकों ने कृषि, लघु उद्योगों, सड़क और जल परिवहन, फुटकर व्यापार और छोटे मोटे व्यापार में लगे उन लोगों को ऋण देने की योजनाएं बनाई हैं, जिनकी परंपरागत रूप से बैंक ऋण में बहुत कम भागीदारी होती थी। कृषि और लघु स्तरीय उद्योग क्षेत्र को शामिल करते हुए प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने में तेजी तथा सुधार लाने के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहल की गई हैं :

- प्राथमिक क्षेत्र के भीतर उधारी विषय संबंधी निश्चित परिस्थितियों के साथ बैंकों द्वारा मोर्टेज बेक्ड सिक्युरिटीज में किए गए निवेश को आवास के लिए सीधा उधार ऋण के रूप में माना जाए;
- बैंकों द्वारा एक अप्रैल, 2005 को या इसके बाद कुछ विशेष संस्थानों द्वारा जारी विशेष बॉन्ड्स में किया गया निवेश प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं होगा। (बैंकों द्वारा) 31 मार्च, 2005 तक किया गया/किया जाने वाला कोई निवेश प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत एक चरणबद्ध तरीके से वर्गीकरण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा;
- खेल सामानों से संबंधित सात वस्तुएं जोकि लघु उद्योग क्षेत्र (एसएसआई) में निर्माण के लिए सूचीबद्ध हैं के प्लांटों और मशीनरी में निवेश सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये तक कर दी गई है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्र की अग्रिम राशियों के अंतर्गत वर्गीकृत करना है;
- बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत *'प्रोड्यूस मार्केटिंग स्कीम'* के माध्यम से किसानों को दिया जाने वाला अग्रिम ऋण, कृषि उत्पादन को बंधक बनाने की एवज में जिसमें गोदाम रसीदें शामिल हैं, जो 12 महीनों से अधिक पुरानी हों, पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख कर दिया गया था;
- बैंकों द्वारा *'वेंचर केपिटल'* में एक जुलाई 2005 को या बाद में किया गया निवेश प्राथमिक क्षेत्र ऋण के तहत नहीं माना जाएगा जबकि इस प्रकार का निवेश जो 30 जून, 2005 तक किया जा चुका है, वह एक अप्रैल, 2006 के बाद प्राथमिक क्षेत्र ऋण की श्रेणी में नहीं रहेगा;
- सामान्य उद्देश्यों के लिए दिये जाने वाले कुल ऋण का 50 प्रतिशत जनरल क्रेडिट कार्ड्स (जीसीसी) के अंतर्गत कृषि के लिए प्राथमिक क्षेत्र के भीतर दिया गया अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत होगा।

सारणी – 13.4
देश में वाणिज्यिक बैंकों की प्रगति

क्रम सं.	मद	मार्च 1999	मार्च 2000	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वाणिज्यिक बैंकों की संख्या	303	297	298	294	291	288
	(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	302	297	294	289	286	284
	(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	196	196	196	196	196
	(ग) गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1	–	4	5		4
2.	देश में बैंक कार्यालयों की संख्या	64,939	65,412	66,190	66,535	67,188	68,355
3.	कार्यालय के अनुसार जनसंख्या (हजारों में)	15	15	16	16	16	16
4.	देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल डिपॉजिट (करोड़ रुपयों में)	7,14,025@	8,51,593@	11,31,187#	13,11,761#	15,42,284&	17,32,858&
5.	देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण (करोड़ रुपयों में)	3,68,887	4,54,069	6,09,053	7,46,432	8,65,594	11,24,300
6.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिव्यक्ति जमा (रुपये)	7,237	8,498	10,994	12,554	14,550	16,091
7.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया हुआ प्रतिव्यक्ति ऋण	3,738	4,531	5,919	7,143	8,166	10,440
8.	वर्तमान मूल्यों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि राष्ट्रीय आय के प्रतिशत में	49.8	53.5	60.7	65.3	68.5	68.3

इसमें रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड (17,945 करोड़ रुपये) तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स (25,662 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

@ इसमें रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड (17,945 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

& इसमें इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स (25,662 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

स्रोत : देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स, खंड 34 (मार्च, 2005)

- राज्य विद्युत परिषदों के विभाजन/पुनर्निर्माण के रूप में सामने आए विद्युत वितरण निगमों/कंपनियों को दिया ऋण, किसानों को उनके ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए पहले से ही बांटे गए ऋण की वापसी भी कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त मानी जाएगी।

जून 1969 से मार्च 2006 के बीच प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए गए ऋण के रूप में बकाया राशि 441 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,10,379 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और मार्च 2006 के अंतिम शुक्रवार तक कुल बैंक ऋण 40.3 प्रतिशत था।

कमजोर वर्गों को ऋण

छोटे और गरीब उधारकर्ताओं को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वाणिज्यिक बैंकों को सलाह है कि वे अपने कुल बैंक ऋण का कम-से-कम 10 प्रतिशत या अपने प्राथमिकता क्षेत्र की अग्रिम राशियों का 25 प्रतिशत भाग कमजोर वर्गों को उपलब्ध करायें। इन वर्गों में 50,000 रुपये तक की अधिकतम व्यक्तिगत सीमा वाले लघु और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, काश्तकार, बटाईदार, दस्तकार, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना और सफाई कर्मियो के पुनर्वास की योजना, विभेदक ब्याज दर योजना के लाभार्थी और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्य शामिल हैं। शहरी निर्धनों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे ऋणग्रस्त शहरी निर्धनों को उपयुक्त ऋणाधार या सामूहिक ऋणाधार पर, लेकिन अपने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अधीन ऋण मंजूर करें। इस तरह प्राप्त ऋण से वे गैर संस्थागत ऋण-दाताओं से लिए गए महंगे ऋणों को शीघ्र चुकता कर सकेंगे। शहरी निर्धनों को इस तरह दिए जाने वाले ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर कमजोर वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मार्च, 2006 के अंतिम शुक्रवार तक सार्वजतिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को वितरित किए गए ऋणों की बकाया राशि 78,374 करोड़ रुपये थी, जो उनके विशुद्ध बैंक ऋण का 7.7 प्रतिशत है।

कृषि के लिए ऋण

शुरू में बैंकों के लिए यह लक्ष्य तय किया गया था कि वे मार्च 1985 तक अपने कुल ऋणों का 15 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल करें। बाद में यह लक्ष्य बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया, जिसे मार्च 1990 तक प्राप्त करने को कहा गया। अक्तूबर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 18 प्रतिशत के लक्ष्य का आकलन करने हेतु कृषि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की अग्रिम राशियों को लेने का निश्चय किया गया, बशर्ते कृषि के लिए अप्रत्यक्ष अग्रिम राशियां बैंकों के कुल ऋण में से 18 प्रतिशत के कृषि ऋण की एक चौथाई से अधिक न हों, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि को प्रत्यक्ष ऋण देने पर बैंकों का ध्यान कम न हो। किन्तु, 'प्रत्यक्ष' और 'अप्रत्यक्ष' श्रेणियों के अंतर्गत सभी कृषि ऋणों की गणना प्राथमिकता क्षेत्र के समग्र लक्ष्य यानी विशुद्ध बैंक ऋण के 40 प्रतिशत के तहत कार्य निष्पादन मूल्यांकन में की जाएगी। मार्च, 2006 तक खेती तथा संबद्ध क्षेत्रों के लिए सभी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 1,54,900 करोड़ रुपये हो गया, जो इस क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का 15.22 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र के बैंकों ने मार्च, 2006 तक कृषि को 36,185 करोड़ रुपये के ऋण दिए, जो कुल बैंक ऋण के 13.5 प्रतिशत थे।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को ऋण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को समाज का सबसे कमजोर वर्ग माना जाता है। इसीलिए बैंकों से कहा गया है कि वे उनके जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए उन्हें स्वरोजगार वाले धंधे चलाने हेतु पर्याप्त ऋण देने का विशेष प्रयास करें। मार्च, 2006 के अंत तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों / जनजातियों को दिए गए ऋण की कुल रकम 22,666 करोड़ रुपये और उधार खातों की संख्या 84.38 लाख थी।

विभेदी ब्याज-दर योजना

1972 में शुरू की गई विभेदी ब्याज-दर-योजना (डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम— डीआरआई) के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पिछले वर्ष दिए गए कुल ऋणों की कम से कम एक प्रतिशत राशि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज-दर से देने का लक्ष्य पूरा करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब लोगों को ऋण दिया जाता है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में 6,400 रुपये और अन्य क्षेत्रों में 7,200 रुपये से अधिक न हो और जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा असिंचित भूमि अथवा एक एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो। उन्हें सावधि ऋण और उत्पादक कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में 6,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। मार्च, 2006 के अंत तक सार्वजनिक बैंकों ने 490 करोड़ रुपये विभेदक ब्याज-दर पर ऋण के रूप में दे रखे थे।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 1999 को पुनर्गठित 'गरीबी उन्मूलन योजना' के रूप में शुरू की थी। यह कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास योजना और उसकी सहयोगी योजनाओं जिनमें स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों महिला एवं बाल विकास (डवाकरा), ग्रामीण दस्तकारों को परिष्कृत औजारों की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना और दस लाख कुओं की योजना शामिल है, के स्थान पर शुरू किया गया।

इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे उद्यम शुरू करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी देकर आय अर्जक परिसंपत्ति उपलब्ध कराने में मदद दी जाती है, ताकि उसे तीन वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। इसके अंतर्गत शुरू की जाने वाली गतिविधि से होने वाली मासिक आय 2000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि बैंक को कम से कम तीसरे वर्ष इतनी राशि का पुनर्भुगतान किया जा सके।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक संपूर्ण योजना है जिसमें निर्धनों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने, उनके लिए प्रशिक्षण, ऋण, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचा और विपणन सुविधाएं जुटाने जैसे सभी पक्षों पर बल दिया जाता है। ये योजना केंद्र और राज्यों द्वारा 75:25 के आधार पर कार्यान्वित की जाती है और डी.आर.डी.ए द्वारा पंचायत समितियों के सहयोग से चलाई जाती है। सहायता का मुख्य अंश 4-5 प्रमुख गतिविधियों को जाता है, जिनका निर्धारण ब्लाक स्तर पर किया जाता है।

वर्ष 2005-06 इस योजना के क्रियान्वयन का सातवां साल था। वर्ष 2005-06 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत 12,07,078 स्वरोजगारियों को बैंक ऋण के रूप में 1125.42 करोड़ रुपये (और सरकार से सब्सिडी के रूप में 37,509 करोड़ रुपये) प्रदान किए

गए। कुल सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों में 4,26,000 (35.29 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जाति तथा जनजाति (एससी/एसटी), 6,08,756 (50.43 प्रतिशत) महिलाएं और 20,788 (1.72 प्रतिशत) लाभार्थी विकलांग थे।

स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना

देश के सभी शहरों/अर्द्ध शहरी कस्बों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक दिसंबर, 1997 से चल रही है। बैंक-ऋण के साथ अन्य घटकों में इसकी दो उपयोजनाएं हैं—शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) और शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास की योजना (डीडब्ल्यूसीयूए)। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर की जाती है। इसके अंतर्गत कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं, तीन प्रतिशत विकलांगों और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को उनकी स्थानीय आबादी के अनुपात में सहायता देना अनिवार्य है। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारें 75.25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराती हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान 55,023 मामलों में (68,579 स्वीकृत आवेदनों में से) कुल 183.61 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। इनमें से 49.68 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति तथा जनजाति के 14,674 व्यक्तियों को, 100.25 करोड़ रुपये 12,494 महिलाओं को और 4.12 करोड़ रुपये 919 विकलांग व्यक्तियों को वितरित किए गए।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

प्रारंभ में प्रधानमंत्री रोजगार योजना दो अक्टूबर, 1993 को शहरी क्षेत्रों में लागू की गई। एक अप्रैल, 1994 से यह योजना देशभर में चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य 18 से 35 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना के लिए योग्य व्यक्तियों का आयु समूह 18-40 वर्ष के बीच है। अजा/अजजा, भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग और महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थियों की पारिवारिक आय 40,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थियों के माता-पिता की आय भी 40,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। 21 नवंबर, 2002 से बैंकों को माता-पिता/अविवाहित लड़की के परिवार प्रमुख को सह-ऋणकर्ता बनाने की अनुमति दी गयी। ऋण लेने वाला व्यक्ति 3 वर्ष से अधिक समय से क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। उसने कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। यह व्यवस्था भी की गयी है कि मार्जिन मनी और सब्सिडी की राशि परियोजना लागत का 20 प्रतिशत होगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर रुपये 7500 होगी। पूर्वोत्तर के सात राज्यों में सब्सिडी की अधिकतम सीमा रुपये 15,000 रखी गयी है। यह लाभ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल को भी दिया गया है। इस प्रकार ऋण लेने वाले व्यक्ति को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत से लेकर 16.25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी की व्यवस्था करनी होती है। कृषि और अनुषंगी गतिविधियों सहित आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य सभी गतिविधियां अब योजना के अंतर्गत शुरू की जा सकती हैं। लेकिन, फसल उगाने/खाद खरीदने जैसे प्रत्यक्ष खेती कार्य इनमें शामिल नहीं है। बैंक व्यापार क्षेत्र में एक लाख रुपये और अन्य क्षेत्रों में 2 दो लाख रुपये की परियोजनाओं के लिए ऋण दे सकते हैं। साझेदारी के मामले में 10 लाख रुपये तक की परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं, जिनमें ऋण राशि व्यक्तिगत

स्वीकार्य सीमा तक मंजूर की जाती है। 11 अगस्त, 2003 से मेघालय में विवाहित पुरुषों के मामले में निवास मानदंड में देश के अन्य भागों की विवाहित महिलाओं के अनुरूप छूट दी गई है।

8 दिसंबर, 2003 से स्वयं सहायता समूहों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने का पात्र समझा गया है (30 जुलाई, 2004 को शर्तों में संशोधन किया गया) बशर्ते ऐसे समूह के सभी सदस्य अलग-अलग पात्रता मानदंड पूरे करते हों, और उसकी कुल सदस्य संख्या 20 से अधिक न हो। ऋण राशि की अधिकतम सीमा भी तय की गयी है। 2004-05 में बैंकों ने 2.98 लाख खातेदारों को 1923 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए, जबकि 2.48 लाख खातेदारों को 1542 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए (ये आंकड़े अनंतिम हैं)। आगे, वर्ष 2005-06 के दौरान 3.10 लाख खातेदारों को 1987 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जबकि 2.49 खातेदारों को 1521 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए।

आवास वित्त

वर्तमान में भारतीय आवास वित्त से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का जोर बैंकों के आवास ऋण पोर्टफोलियो के नियमित विकास को सुनिश्चित करना है।

(i) आवास वित्त पर जोखिम भारिता

आवास क्षेत्र में ऋण के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए बैंक बंधक आवासीय संपत्तियों के मुकाबले व्यक्तिगत आवासीय ऋणों का विस्तार कर रहे हैं। इस तरह के ऋणों पर 75 प्रतिशत की रिस्क भागीदारी की जिम्मेदारी लेते थे। ये ऋण आवास वित्त कंपनियों के लिए मोर्टगेज बेकड़ सिक्युरिटीज (एमबीएस) में निवेश और आवासीय संपत्तियों को बंधक रखने से पूर्ण सुरिक्षत हैं। 26 जुलाई, 2005 को व्यावसायिक अचल संपत्तियों के लिए रिस्क वेट 125 प्रतिशत तक पहुंच गया है और आगे 25 मई, 2006 को यह 150 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

(ii) राष्ट्रीय आवास का अनुपालन

इमारतों की सुरक्षा (खासकर प्राकृतिक आपदा को देखते हुए) के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) का पालन सुनिश्चित करने का सुझाव बैंकों को दिया गया था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूरदराज के उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देने के उद्देश्य से की गई है, जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन बैंकों का मूल उद्देश्य समाज के उन कमजोर वर्गों के लोगों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है, जिन्हें लक्ष्य समूह कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिकल्पना ऐसे संस्थानों के रूप में की गयी है, जो सहकारी संस्थाओं की भांति स्थानीय जरूरतें पूरी करें, और जिन्हें ग्रामीण समस्याओं की जानकारी हो, और साथ ही वे वाणिज्यिक बैंकों की भांति व्यापारिक संगठन के रूप में काम करें, और बचत जुटाने की क्षमता रखें। बैंकों का एक उद्देश्य ग्रामीण बचत को जुटाकर गांवों में उत्पादक गतिविधियों में लगाना भी है। परंतु, अप्रैल, 1997 से प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को ऋण देने की शर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू की गयी। ऋण पर ब्याज लेने और सावधि जमाओं पर अलग-अलग दर से ब्याज देने की छूट भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दे दी गयी।

मार्च, 2005 के अंत तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी 196 शाखाओं द्वारा दिए गए ऋण की राशि 32,870 करोड़ रुपये तथा जमा राशि 62,143 करोड़ रुपये थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरी करने पर भारतीय मुद्रा यानी रुपयों में अनिवासी भारतीयों के खाते भी खोलने और संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक करने तथा उन्हें और सशक्त बनाने के विचार के साथ भारत सरकार ने सितंबर 2005 में चरणबद्ध तरीके से इन बैंकों को मिलाने की प्रक्रिया शुरू की। 31 अगस्त 2006 तक 134 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर 42 नए बैंक गठित किए गए हैं। इन बैंकों को 16 राज्यों में 18 बैंकों ने प्रायोजित किया है। अब इनकी संख्या 196 से घटकर कुल 104 हो गई है। विलय प्रक्रिया अभी जारी है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों की उन्नति, वित्त पोषण और विकास के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। सिडबी ने दो अप्रैल, 1990 से अपना काम शुरू किया। यह देश में लघु उद्योग क्षेत्र को अन्य संस्थानों जैसे राज्य वित्त निगमों, वाणिज्यिक बैंकों और राज्य उद्योग विकास निगम के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 2005-06 के दौरान इसने 11975 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की और 9100 करोड़ रुपये वितरित किए। कर के बाद वर्ष 2005-06 के दौरान शुद्ध लाभ 270 करोड़ रुपये रहा।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की स्थापना देश के विदेश व्यापार को वित्तीय सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए की गई। 31 मार्च, 2006 के अंत तक एक्जिम बैंक ने 20,489 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जबकि 15,039 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। वर्ष 2005-06 की अवधि में बैंक को कुल लाभ (कर उपरांत) 271 करोड़ रुपये रहा।

राष्ट्रीय आवास बैंक

देश में आवासीय वित्त की शीर्षस्थ संस्था 'राष्ट्रीय आवास बैंक' की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक प्रतिष्ठान के रूप में की गई। इसने जुलाई, 1988 से काम करना शुरू किया। 30 जून, 2005 को इस बैंक की अधिकृत चुकता पूंजी 450 करोड़ रुपये और आरक्षित एवं अधिशेष राशि 1,201.32 करोड़ रुपये (संशोधित) थी। वर्ष 2004-05 के दौरान कुल लाभ (कर उपरांत) 44 करोड़ रहा।

राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त कंपनियों का नियामक और पर्यवेक्षक है। इसने 30 जून, 2005 को सभी आवास वित्त संस्थानों, जिनमें वाणिज्यिक बैंक और आवास वित्त कंपनियां शामिल हैं, को 7,500 करोड़ रुपये पुनर्वित्त के रूप में उपलब्ध कराये।

इस बैंक को स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखने का काम सौंपा गया है, जो अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और सहकारी क्षेत्र के संस्थानों के माध्यम से लागू की जा रही है। वर्ष 2004-05 में 2.5 लाख मकानों के लिए धन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से बैंक ने 2.58 लाख मकानों का वित्तपोषण किया। वर्ष 2005-06 में सरकार ने 2.75 लाख आवासीय इकाइयों के लिए धन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

नाबार्ड

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को की गयी। इसकी स्थापना समेकित ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाने के उद्देश्य से गांवों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गयी। 31 मार्च, 2006 को नाबार्ड की चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपये है। वर्ष 2005-06 के दौरान कर उपरांत लाभ 857 करोड़ रुपये रहा।

विदेशों में भारतीय बैंक

30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 और निजी क्षेत्र के 6 (कुल 18) भारतीय बैंक 47 देशों में काम कर रहे हैं। विदेशों में इनकी 111 शाखाएं (विदेशी इकाइयों सहित), 6 संयुक्त उपक्रम, 18 सहायक संगठन और 34 प्रतिनिधि कार्यालय थे। इस क्षेत्र में बैंक आफ बड़ौदा का पहला स्थान है, जिसकी 20 देशों में 39 शाखाएं, 7 सहायक संगठन, एक संयुक्त उद्यम और तीन प्रतिनिधि कार्यालय हैं। भारतीय स्टेट बैंक का दूसरा स्थान है, जिसकी 29 देशों में 30 शाखाएं, 5 सहायक संगठन और तीन संयुक्त उद्यम तथा 7 प्रतिनिधि कार्यालय हैं। इसके बाद बैंक आफ इंडिया का स्थान है, जिसकी 14 देशों में 20 शाखाएं, एक सहायक संगठन और दो संयुक्त उद्यम तथा तीन प्रतिनिधि कार्यालय हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखने के अपने समादेश के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अंतर्गत सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए अनुच्छेद-4 के परामर्श का आयोजन सामान्यत: वर्ष में एक बार करता है। इसे आमतौर पर दो चरणों में आयोजित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-मिशन भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार विमर्श करता है। अनुच्छेद-4 के अंतर्गत परामर्श का काम वाशिंगटन डीसी स्थित आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड की बैठक के साथ पूरा होता है, जो रिपोर्ट पर विचार करता है। 2004 के दौरान अनुच्छेद-4 के परामर्श का पहला चरण नवंबर 2003 में आयोजित किया गया। आईएमएफ मिशन ने मार्च 2004 में भारत की एक और यात्रा की, ताकि बृहत-आर्थिक और मौद्रिक विकास स्थिति के बारे में अंतरिम मूल्यांकन किया जा सके। यह मूल्यांकन विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए किया जाता है। 2004 के लिए अनुच्छेद-4 के परामर्श का दूसरा चरण अक्टूबर 2004 में पूरा किया गया।

विशेष आंकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) : विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों का संबंध समय पर कवरेज और आंकड़ों की आवर्तिता, जनता तक पहुंच और आंकड़ों की निष्ठा और गुणवत्ता के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सांख्यिकी विभाग ने भारत के नेशनल समरी डाटा पेज को 7 जुलाई, 2003 को प्रसार मानक बुलेटिन बोर्ड (डीएसबीबी) के साथ जोड़ा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और विश्लेषकों को भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी हुई है।

भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है। वित्त मंत्री आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पदेन गवर्नर होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भारत का वैकल्पिक गवर्नर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक (वर्तमान में श्री बी.पी. मिश्रा) करता है, जो अन्य तीन देशों—बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है।

अंश : भारत का आईएमएफ में वर्तमान अंश कुल 213 बिलियन एसडीआर (स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स) में 4,158.20 मिलियन एसडीआर है यानी भारत की 1.95 प्रतिशत अंश की हिस्सेदारी है। लेकिन मतों में हिस्सेदारी के आधार पर भारत (बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ) 24 निर्वाचन संघों में इक्कीसवें स्थान पर है।

निगरानी : आईएमएफ के अनुबंध के भाग IV के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए अनिवार्य हिस्से के रूप में आईएमएफ हर वर्ष अपने सदस्यों के साथ द्विपक्षीय चर्चा कराता है। इसमें सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। भाग IV के परामर्श अभ्यास के दौरान आईएमएफ मिशन आरबीआई और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चा करता है। भाग IV की परामर्श प्रक्रिया आईएमएफ की कार्यकारी परिषद की वाशिंगटन डीसी में एक बैठक के साथ समाप्त होती है जिसमें रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। वर्ष 2005 के लिए मार्च 2005 में एक मध्यावधि समीक्षा की गई। भाग IV की पिछली मंत्रणा अक्तूबर, 2005 में हुई थी। आईएमएफ स्टाफ ने 22 दिसंबर, 2005 को अपनी रिपोर्ट पूरी की। फरवरी 2006 में भारत की स्टाफ रिपोर्ट पर आईएमएफ की कार्यकारी परिषद में चर्चा हुई और उसी के अनुसार यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

वित्तीय लेन-देन योजना (एफटीपी)

भारत 2002 से आईएमएफ की एफटीपी में भाग लेता है। भारत सहित 43 देश एफटीपी में भाग लेते हैं। एफटीपी में भाग लेते हुए भारत अपने अंशदान के हिस्से के रूप में रुपये की हिस्सेदारी को भुनाने की आईएमएफ को अनुमति दे रहा है जोकि आईएमएफ ने अन्य सदस्य देशों को कर्ज के रूप में दे रखी है। वर्ष 2002 से फरवरी 2006 तक भारत ने 493.230 मिलियन एसडीआर का लेनेदेन किया है और 466.474 एसडीआर मिलियन की पुनर्खरीद की है।

भारत-आईएमएफ संस्थान

जुलाई, 2004 में भारत और आईएमएफ ने पुणे के राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना की। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय कर्मचारियों और दक्षिण एशिया तथा पूर्व अफ्रीकी देशों के कर्मचारियों को अर्थशास्त्र तथा उससे संबंधित क्षेत्र में नीति आधारित प्रशिक्षण मुहैया कराएगा। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई, 2006 में आयोजित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आईएमएफ के साथ नोडल निकाय के रूप में इस कार्यक्रम को चलाएगा।

पवर्टी रिडक्शन ग्रोथ फेसिलिटी

वर्ष 1987 में 6 बिलियन एसडीआर के साथ एक बढ़ी हुई संरचनात्मक अनुकूलन सुविधा (ईएसएएफ) की स्थापना की गई। इसका उद्‌देश्य कठिन बाहरी परिस्थितियों में भारी कर्ज के बोझ से दबे कम आय वाले देशों की सहायता करना है ताकि वे अपनी ऋण अदायगी स्थिति और पर्याप्त विकास को तेज और मजबूत करने के उद्‌देश्य में मेक्रो इकॉनोमिक तथा संरचनात्मक नीति कार्यक्रम लागू कर सफल हो सकें। भारत दान के रूप में सब्सिडी खाते में पैसा देता है और दस लाख यूएस डॉलर प्रतिवर्ष 15 वर्षों तक कुल डेढ करोड़ यूएस डॉलर प्रदान करने का वायदा किया है। भारत ने पीआरजीएफ ट्रस्ट के सब्सिडी खाते को जुलाई 2006 के दौरान तेरहवीं वार्षिक किश्त के रूप में दस लाख यूएस डॉलर का भुगतान किया है (4,66,70,000 रुपये के बराबर)।

विश्व बैंक का भारत को ऋण

भारत विश्व बैंक से गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास इत्यादि विभिन्न विकास परियोनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से ऋण हासिल कर रहा है। आईजीए ऋण भारत सरकार के लिए सर्वाधिक रियायती बाहरी ऋण है जोकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजीज) हासिल करने के लिए सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं में उपयोग किए जाते हैं। आईबीआरडी फंड कुछ महंगे हैं लेकिन बाहरी व्यावसायिक ऋणों से सस्ते हैं। भारत सरकार इन ऋणों का उपयोग प्रमुखत: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए करती है। यद्यपि कभी-कभी आईडीए और आईबीआरडी दोनों के ऋणों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। अब तक भारत विश्व बैंक से 65.8 बिलियन यूएसडालर का ऋण ले चुका है।

विश्व बैंक ऋण के नियम एवं शर्तें

आईबीआरडी ऋण

पुनर्भुगतान अवधि	20 वर्ष (पांच वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित)
ब्याज	एलआईबीओआर + वेरिएबल स्प्रैड
अवितरित रकम पर वायदा शुल्क	0.75 प्रतिशत
फ्रंट एंड शुल्क	1.0 प्रतिशत
कुल कीमत	एलआईबीओआर + 40 बेसिस अंक (लगभग)

आईडीए ऋण

पुनर्भुगतान अवधि	35 वर्ष (10 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित)
ब्याज	शून्य
सेवा शुल्क	0.75 प्रतिशत
अवितरित रकम पर वायदा शुल्क	0.5 प्रतिशत

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी)

भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के मूल सदस्यों में से एक है। भारत सरकार ने आईएफएडी संसाधनों के छठे पुनर्भरण के लिए 1.5 करोड़ अमरीकी डालर (50 लाख की तीन समान किश्तों में) का योगदान करने का वायदा किया था। जिसका भारत भुगतान कर चुका है। सातवें पुनर्भरण के लिए भारत सरकार ने आईएफएडी संसाधनों के लिए 1.7 करोड़ अमरीकी डालर देने का वायदा किया है। पूरा भुगतान वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए 50 लाख अमरीकी डालर की तीन किश्तों में जमा किया जाएगा तथा वित्त वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए 60 लाख अमरीकी डालर की किश्त जमा की जाएगी। आईएफएडी ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में 19 परियोजनाओं के लिए 47.978 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता देने का वायदा किया है। इनमें से 12 परियोजनाएं पहले ही बंद हो चुकी हैं।

एशियाई विकास बैंक

1966 में स्थापित एशियाई विकास बैंक 63 देशों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी वाली संस्था है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्यों के आर्थिक-सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने में संलग्न हैं। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं

: (i) अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ऋण और इक्विटी निवेश उपलब्ध कराना; (ii) विकास परियोजनाएं और कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना; (iii) विकासशील सदस्य देशों में समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं में सहायता के अनुरोधों पर कार्रवाई; और (iv) विकासशाली सदस्य देशों के विकास नीतियों और योजनाओं की सहायता समन्वय के लिए अनुरोध पर कार्रवाई करना।

31 दिसंबर, 2004 तक बैंक के पूंजी स्टाक में भारत का अंशदान सभी सदस्य देशों के अंशदान का 6.424 प्रतिशत था।

भारत ने एशियाई विकास बैंक के सामान्य पूंजी संसाधनों (ओसीआर) से ऋण लेना 1986 में शुरू किया। कैलेंडर वर्ष 2004 के दौरान बैंक के बोर्ड ने भारत के लिए पांच ऋणों के वास्ते 120 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण मंजूर किए। जिनका ब्योरा इस प्रकार है :

परियोजना का नाम	**राशि करोड़ अमरीकी डालर में**
1. बिजली ट्रांसमिशन (सेक्टर) परियोजना	40.00
2. राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर सेक्टर-2 परियोजना	40.00
3. असम सरकार और सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम	12.50
4. असम सरकार और सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन क्षेत्र विकास परियोजना	2.5
5. जम्मू कश्मीर में मल्टी सेक्टर बुनियादी ढांचा पुनर्स्थापना परियोजना	25.00
कुल	**120**

बैंक से मुख्य रूप से ऊर्जा, परिवहन और संचार, उद्योग और सामाजिक ढांचा क्षेत्र के लिए राशि उधार ली गयी। 31 दिसंबर, 2004 तक बैंक ने भारत के लिए कुल मिलाकर 14.111 अरब अमरीकी डालर मूल्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 83 ऋण मंजूर किए थे। इनमें से 52 लोन अदा किए जा चुके हैं, इस प्रकार 31 ऋण सक्रिय पोर्टफोलियो में शेष हैं। 31 दिसंबर, 2004 तक कुल 7.304 अरब अमरीकी डालर के ऋण संवितरित किए गए।

भारत ने एशियाई विकास बैंक के विशेष तकनीकी सहायतर कोष में परिवर्तनीय मुद्रा में 29.1 लाख अमरीकी डालर (2004 के अंत तक) का योगदान किया।

एशियाई विकास बैंक ने भारत को सामान्य पूंजी संसाधनों ओसीआर से जारी ऋणों के अतिरिक्त तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करायी है। बैंक की तकनीकी सहायता 1988 में 6 लाख अमरीकी डालर की थी। 2004 के अंत तक भारत इस मद में कुल मिलाकर 1089.6 लाख अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त कर चुका है। तकनीकी सहायता के अंतर्गत संस्थागत सुदृढ़ीकरण, प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयन और नीति सुधारों तथा परियोजना तैयारी के लिए सहायता शामिल है।

भारत बैंक के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशक है, इसके अधिकार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, भूटान, लाओ पीडीआर और ताजिकिस्तान शामिल हैं। वित्त मंत्री एशियाई विकास बैंक के बोर्ड आफ गवर्नर्स में भारत के गवर्नर हैं, और सचिव (विदेश विभाग) इसके वैकल्पिक गवर्नर हैं।

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का 18 फरवरी, 2003 को पुनर्गठन किया गया और इसे

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को हस्तांतरित किया गया। इसके साथ निम्नांकित प्रशासनिक प्रबंध किए गए :

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) में सरकार के निम्नांकित सचिवों के कोर ग्रुप शामिल होंगे : (i) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय–अध्यक्ष। (ii) सचिव, उद्योग नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (iii) सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (iv) सचिव, आर्थिक संबंध, विदेश मंत्रालय। (v) सचिव, विदेश में भारतीय कार्य मंत्रालय (शामिल किया जा रहा है)।

जब भी आवश्यक होगा, बोर्ड में भारत सरकार के अन्य विभागों के सचिवों और वित्तीय संस्थानों, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग तथा वाणिज्य से संबद्ध व्यावसायिक विशेषज्ञों को सहयोजित किया जाएगा। वर्तमान संगठन में सचिव राजस्व विभाग और सचिव, लघु उद्योग विभाग बोर्ड के सह–प्रायोजित स्थायी सदस्य हैं।

आर्थिक कार्य विभाग में एफआईपीबी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के बारे में सरकार की नीति पर अमल करने के लिए सचिवालय के रूप के काम कर रहा है। एफआईपीबी सचिवालय में प्राप्त सभी प्रस्तावों (सभी प्रकार से परिपूर्ण) पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है और 30 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार के निर्णय की जानकारी दे दी जाती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारत सरकार ने एफडीआई और संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं की हाल ही में विस्तृत समीक्षा की है। परिणामस्वरूप, कई उचित कदम उठाए गए हैं जिसमें दूसरे उपायों के बीच सरकार/नियामक एजेंसियों से प्राप्त बहुप्रस्तावों जो कि कुछ क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं, का निवारण करना शामिल है। इसके अलावा और अधिक क्षेत्रों के लिए स्वत: मार्ग का विस्तार और नए क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति शामिल है।

वर्तमान नीति के मुताबिक स्वत: मार्ग के अंतर्गत अधिकतर क्षेत्रों/गतिविधियों में शत–प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। स्वत: मार्ग के अंतर्गत एफडीआई के लिए न तो सरकार और ना ही भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिक अनुमति लेने की आवश्यकता है। निवेशकों को केवल बाहरी धन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना होता है और विदेशी निवेशकों को जारी शेयरों के 30 दिनों के भीतर आवश्यक कागजात उसी कार्यालय में दाखिल करने होते हैं।

सरकारी प्रस्तावित मार्ग के अंतर्गत गैर अनिवासी भारतीयों के अलावा सभी एफडीआई आवेदन तथा 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद की खुदरा बिक्री में एफडीआई के लिए आवेदन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) में प्राप्त किए जाते हैं। 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद की खुदरा बिक्री के लिए और एनआरआई द्वारा प्रस्ताव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और उन्नति विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी एंड प्रमोशन) में प्राप्त किए जाते हैं। पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत एक भारतीय कंपनी का इक्विटी पूंजी में विदेशी निवेश एफडीआई नीति के दायरे में नहीं हैं तथा आरबीआई/सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के अलग नियमों के अंतर्गत आता है।

वर्तमान में निम्नलिखित क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं है : (i) खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा ब्रिकी छोड़कर), (ii) परमाणु ऊर्जा, (iii) लाटरी व्यापार और (iv) जुआ और सट्टा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में सभी गतिविधियों/क्षेत्रों में एफडीआई के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी : (i) जहां प्रेस नोट 1 (2005 शृंखला) के प्रस्ताव लगे हों, (ii) जहां 24 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए लगाई जानी है जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।

शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वत: मार्ग पर अनुमति है। लेकिन सेक्टोरल नियम/दिशा-निर्देश लागू होंगे।

एफडीआई नीति की व्याख्या

एफडीआई की वर्तमान शर्तें इस प्रकार हैं :

क. स्वत: मार्ग के अंतर्गत शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति निम्नलिखित के लिए :

(i) पीने योग्य अल्कोहल से शराब बनाना;

(ii) औद्योगिक विस्फोटक का निर्माण;

(iii) खतरनाक रसायनों का निर्माण;

(iv) प्रामाणिक शहरी क्षेत्र के भीतर 25 किमी के दायरे में स्थित निर्माण गतिविधियां जिसके लिए इंडस्ट्रीज (डेवलेपमेंट एंड रेग्युलेशन) एक्ट, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता;

(v) ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना की स्थापना;

(vi) प्राकृतिक गैस/एलएनजी पाइप लाइनें बिछाना, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में बाजार अध्ययन एवं निवेश की योजना बनाना और उसके लिए धन उपलब्ध कराना; और

(vii) केश एंड केरी थोक बिक्री व्यापार और निर्यात व्यापार।

ख. एफडीआई की सीमा शत-प्रतिशत बढ़ाना और स्वत: मार्ग के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए अनुमति प्रदान करना :

(i) बंदी उपभोग के लिए कोल एंड लिग्नाइट माइनिंग;

(ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विपणन से संबंधित ढांचे की स्थापना।

ग. स्वत: मार्ग के अंतर्गत शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति :

(i) बिजली अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तय नियमों के पूरा करने पर बिजली व्यवसाय;

(ii) कॉफी और रबर का प्रसंस्करण और उसका एकत्रीकरण।

घ. एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन के साथ एफडीआई की सीमा 51 प्रतिशत करने की अनुमति : विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेस नोट-3(2006 शृंखला) में दिए गए हैं।

ङ स्वत: मार्ग के अंतर्गत भारतीयों से अनिवासियों को शेयरों के स्थानांतरण की अनुमति देना और जहां सेबी (वास्तविक अभिग्रहण और कार्यभार संभालना) के नियम लागू हों, ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी (वास्तविक अभिग्रहण और कार्यभार संभालना) नियम/बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता हो। इसके साथ, एक मौजूदा कंपनी में भारतीयों से अनिवासियों को शेयरों के स्थानांतरण की अनुमति होगी और एफडीआई पर सचिवीय नीति के पूरी करने पर स्वत: मार्ग एफडीआई के अंतर्गत आएंगे।

च. बी2बी ई–कॉमर्स में 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनिवार्यता की आवश्यकता के साथ निवारण।

स्वत: मार्ग के अंतर्गत एफडीआई/एनआरआई निवेश सचिवीय नियमों/लाइसेंस आवश्यकताओं के द्वारा संचालित जारी रहेगा।

निवेश आयोग

भारत में निवेशकों के लिए आकर्षक वातावरण बनाने के विचार के साथ दिसंबर 2004 में निवेश आयोग का गठन किया गया था। आयोग को सरकार की ओर से बातचीत करने, देश में घरेलू और विदेशी व्यापार पर चर्चा करने के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। निवेश आयोग की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय में विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारी के सामने रखा जाएगा। निवेश आयोग की सिफारिशें सामने आने पर सभी नीतिगत निर्णय आर्थिक मामलों से संबद्ध केबिनेट समिति के समक्ष पेश किए जाएंगे।

आयोग की फरवरी 2006 में आई रिपोर्ट शीर्षक 'भारत के लिए निवेश रणनीति' में यह बात उभरकर आई कि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष से ऊपर स्थिर विकास हासिल करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में निवेश स्तर 28 प्रतिशत से 32 प्रतिशत जीडीपी तक बढ़ाना होगा। आगामी पांच वर्षों में इसके 1.5 ट्रिलियन डालर का निवेश होने की उम्मीद है। आयोग ने भी वर्ष 2007–08 के दौरान एफडीआई के स्तर को मौजूदा 5 बिलियन डालर से 15 बिलियन डालर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

निवेश आयोग ने 25 प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन किया है जिसमें बुनियादी ढांचा, निर्माण, सेवाएं, प्राकृतिक संसाधन और नौलेज इकॉनामी क्षेत्र शामिल हैं। ये इकॉनोमी के बड़े क्षेत्र हैं और अगले पांच सालों में 525 ये 550 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की आवश्यकता पड़ेगी।

आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने के लिए आयोग ने 'फ्यू नेशनल थ्रस्ट एरियाज' की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जहां विकास के लिए सभी अवरोध हटाने हैं तथा जहां बुनियादी ढांचे के समर्थन में सबसे अधिक जोर देने वाले क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उचित लाभ मुहैया कराने हैं। सबसे अधिक जोर देने वाले क्षेत्रों की पहचान का मकसद क्षेत्रीय अथवा वैश्विक स्तर पर उक्त क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना है। ऐसा सिंगापुर (जैव तकनीकी) और आयरलैंड (औषधि निर्माण, आईटी) में सफल तरीके से किया जा चुका है।

प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं :

पर्यटन, ऊर्जा, वस्त्र उद्योग, कृषि प्रसंस्करण

ये विशेष क्षेत्र काफी संख्या में (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे जिससे अंतत: अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत होगी।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि भारत बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान खींचने के उद्देश्य से बड़े कार्यक्रम आयोजित करे। इससे राष्ट्रीय गर्व भी बढ़ेगा और देश के बुनियादी ढांचे पर अन्य देशों का ध्यान भी जाएगा। कुछ विचार इस प्रकार हैं : 2010 के कॉमनवेल्थ खेल, 2020 के ओलंपिक खेल, फुटबाल विश्व कप, फार्मूला वन रेस आदि।

निवेश आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनके निवेशकों के साथ हुए विस्तृत विचार विमर्श के परिणामस्वरूप नीतियों/प्रक्रियाओं अथवा अन्य रुकावटों पर बहुत से मुद्दे सरकारी संदर्भ में सुझाए गए।

रिपोर्ट में बुनियादी ढांचा, निर्माण और सेवाओं तथा 37 बहु-सचिवीय सिफारिशों सहित 115 क्षेत्र विशेष सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें 27 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं और प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से फीडबेक प्राप्त हो चुका है।

इन 115 क्षेत्र विशेष सिफारिशों में से अधिकतर कार्यवाही पूरी कर ली गई है या 86 सिफारिशों के संबंध में प्रक्रिया लागू की जा रही है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

वित्त वर्ष 2005-06 (अप्रैल 2005 से मार्च 2006 तक) के दौरान प्राप्त एफडीआई के अंतिम आंकड़े 2004-05 के 321.87 करोड़ अमरीकी डालर (14,652.75 करोड़ रुपये) की तुलना में 554.83 करोड़ अमरीकी डालर (24,612.59 करोड़ रुपये) का निवेश प्रवाह दर्शाते हैं। यानी 72 प्रतिशत की बढ़त (डालर में)। अगस्त 1991 से मार्च 2006 तक अब तक कुल एफडीआई प्रवाह 38.90 बिलियन अमरीकी डालर (1,61,410.93 करोड़ रुपये) है। एफडीआई का विस्तृत विवरण तालिकाओं में दर्शाया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तथ्य (एफडीआई) अगस्त 1991 से मार्च 2006 तक अद्यतन

1. एफडीआई प्रवाह :

क. कम्युलेटिव एफडीआई प्रवाह (केवल इक्विटी पूंजी भाग)

1.	एफडीआई प्रवाह की कम्युलेटिव राशि (अगस्त 1991 से मार्च 2006 तक)	1,36,798 करोड़ रुपये	33,356 करोड़ अमरीकी डालर
2.	एफडीआई प्रवाह की राशि (अप्रैल 2005 से मार्च 2006 तक)	24,613 करोड़ रुपये	5,549 करोड़ अमरीकी डालर
3.	एफडीओई प्रवाह की कम्युलेटिव राशि (मार्च 2006 तक)	1,61,411 करोड़ रुपये	38,905 करोड़ अमरीकी डालर

ख. वित्त वर्ष (2005-06) के दौरान एफडीआई प्रवाह

	विवरण	एफडीआई प्रवाह की राशि	
		करोड़ रुपये में	**अमरीकी डालर में**
1.	अप्रैल 2005	1,172	26.8
2.	मई 2005	2,844	65.4
3.	जून 2005	1,149	26.4
4.	जुलाई 2005	1,411	32.4
5.	अगस्त 2005	1,739	39.9
6.	सितंबर 2005	1,238	28.2
7.	अक्टूबर 2005	1,844	41.2
8.	नवंबर 2005	3,410	74.6
9.	दिसंबर 2005	1,587	34.7
10.	जनवरी 2006	2,141	48.2
11.	फरवरी 2006	563	12.7

12.	मार्च 2006	5,515	1,24.4
	2005–06 मार्च 2006 तक	24,613	5,45.9
	2004–05 मार्च 2005 तक	14,653	3,21.9
	पिछले वर्ष की वृद्धि का प्रतिशत	**(+)67,95%**	**(+) 72.30%**

ग. वर्षवार एफडीआई प्रवाह

क्र. सं.	वर्ष (अप्रैल–मार्च)	एफडीआई प्रवाह की राशि	
		करोड़ रुपये में	अमरीकी डालर में
1.	1991–1992 (अगस्त–मार्च)	409	16.7
2.	1992–1993	1,094	39.3
3.	1993–1994	2,018	65.4
4.	1994–1995	4,312	1,37.4
5.	1995–1996	6,916	2,14.1
6.	1996–1997	9,654	2,77.0
7.	1997–1998	13,548	3,68.2
8.	1998–1999	12,343	3,08.3
9.	1999–2000	10,311	2,43.9
10.	2000–2001	12,645	2,90.8
11.	2001–2002	19,361	4,22.4
12.	2002–2003		3,13.4
13.	2003–2004	12,117	
14.	2004–2005	17,138*	3,75.5*
15.	2005–2006 (मार्च 2006 तक)	24,613	5,54.9
	कुल	**1,61,411**	**38,90.5**

नोट: *53.6 करोड़ अमरीकी डालर (2.485 करोड़ रुपये) की राशि वर्ष 2004–05 के दौरान जारी शेयरों को जारी करने के लिए अग्रिम के तौर पर शामिल।

घ. एफडीआई प्रवाह में शीर्ष निवेशक देशों का हिस्सा (वित्तीय वर्षवार)

राशि करोड़ रुपये में (मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. सं.	देश	अगस्त 1999 से मार्च 2002 तक	2002–03 (अप्रैल–मार्च)	2003–04 (अप्रैल–मार्च)	2004–05 (अप्रैल–मार्च)	2005–06 (अप्रैल–मार्च)	कम्युलेटिव प्रवाह अगस्त 1991 से मार्च-06 तक	प्रतिशत प्रवाह के साथ
1.	मॉरीशस	27,446 (6,731)	3,766 (788)	2,609 (567)	5,141 (1,129)	11,411 (2,570)	50,403 (11,785)	37.18

2.	यू.एस.ए.	12,248 (3,188)	1,504 (319)	1,658 (360)	3,055 (669)	2,210 (502)	20,675 (5,038)	15.25
3.	जापान	5,099 (1,299)	1,971 (412)	360 (78)	575 (126)	925 (208)	8,931 (2,124)	6.59
4.	नीदरलैंड	3,856 (986)	836 (176)	2,247 (489)	1,217 (267)	340 (76)	8,497 (1,994)	6.27
5.	यू.के	4,263 (1,106)	1,617 (340)	769 (167)	458 (101)	1,164 (266)	8,271 (1,979)	6.10
6.	जर्मनी	3,455 (908)	684 (144)	373 (81)	663 (145)	1,345 (303)	6,570 (1,582)	4.81
7.	सिंगापुर	1,997 (515)	180 (38)	172 (37)	822 (184)	1,218 (275)	4,388 (1,050)	3.24
8.	फ्रांस	1,947 (492)	534 (112)	176 (38)	537 (117)	82 (18)	3,276 (779)	2.42
9.	दक्षिण कोरिया	2,189 (594)	188 (39)	110 (24)	157 (35)	269 (60)	2,912 (752)	2.15
10.	स्विट्जरलैंड	1,200 (325)	437 (93)	207 (45)	353 (77)	426 (96)	22,622 (636)	1.93
	कुल एफडीआई प्रवाह*	**92,611 (23,829)**	**14,932 (3,134)**	**12,117 (2,634)**	**17,138 (3,754)**	**24,613 (4,549)**	**1,61,411 (38,905)**	-

नोटः (1)*आरबीआई की एनआरआईयोजना के अंतर्गत एफडीआई प्रवाह/स्टॉक अदल-बदल और शेयरों के जारी होने में अग्रिम ऋण में विलंब।

(2) कम्युलेटिव देश वार एफडीआई प्रवाह (अगस्त 1991 से मार्च 2006 तक)-अनुलग्न-'क'

ङः सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह आकर्षित करने वाले क्षेत्र

राशि करोड़ रुपये में (मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. सं.	क्षेत्र	2002-03 (अप्रैल-मार्च)	2003-04 (अप्रैल-मार्च)	2004-05 (अप्रैल-मार्च)	2005-06 (अप्रैल-मार्च)	कम्युलेटिव प्रवाह अगस्त 1991 से 2006 तक	प्रतिशत एफडीआई प्रवाह के साथ
1.	विद्युत उपकरण (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रोनिस)	3,075 (644)	2,449 (532)	3,281 (721)	6,499 (1,451)	23,709 (5,496)	17.49
2.	दूर संचार (रेडियो, पेजिंग, सेल्युलर, मोबइल, बेसिक टेलीफोन सेवाएं)	1,058 (223)	532 (116)	588 (129)	3,023 (680)	14,337 (3,372)	10.58

3.	परिवहन उद्योग	2,173 (455)	1,417 (308)	815 (179)	983 (222)	13,315 (3,178)	9.82
4.	सेवा क्षेत्र (वित्तीय-गैर वित्तीय)	1,551 (926)	1,235 (269)	2,106 (469)	2,565 (581)	12,804 (3,091)	9.45
5.	ईंधन (ऊर्जा + तेल शोधन)	551 (118)	521 (113)	759 (166)	416 (94)	10,976 (2,581)	8.10
6.	रसायन (उर्वरकों के साथ)	611 (129)	94 (20)	909 (198)	1,979 (447)	8,580 (2,143)	6.33
7.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	177 (37)	511 (111)	174 (38)	183 (42)	4,702 (1,179)	3.47
8.	दवाएं और फार्मेसी	192 (40)	502 (109)	1,343 (292)	760 (172)	4,311 (1,007)	3.18
9.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	101 (21)	44 (10)	1 (0)	1,970 (452)	3,231 (747)	2.38
10.	धातु शोधन उद्योग	222 (47)	146 (32)	881 (192)	681 (153)	2,816 (655)	2.08

नोट : कम्युलेटिव-वार एफडीआई प्रवाह (अगस्त 1991 से मार्च 2006 तक)–अनुलग्न-'ख'

क्षेत्रवार/राज्यवार प्राप्त एफडीआई प्रवाह का विवरण

(आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूचना के मुताबिक) (जनवरी 2000 से मार्च 2006 तक)

क्र.	**आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय**	**राज्य**	**एफडीआई प्रवाह की राशि**		**एफडीआई प्रवाह के साथ प्रतिशत (रुपयों में)**
1.	नई दिल्ली	दिल्ली, उ.प्र., और हरियाणा के कुछ भाग	23,074.29	5,116.9	24.58
2.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव	20,535.68	4,533.5	20.90
3.	बंगलुरु	कर्नाटक	6,984.17	1,546.3	7.44
4.	चेन्नई	तमिलनाडु और पांडिचेरी	5,432.52	1,193.2	5.79
5.	हैदराबाद	आंध्रप्रदेश	3,083.46	681.7	3.28
6.	अहमदाबाद	गुजरात	2,883.90	631.9	3.07
7.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	1,481.41	320.3	1.58

8.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,277.24	280.7	1.36
9.	पणजी	गोवा	494.42	107.6	0.53
10.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	333.45	73.6	0.34
11.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	315.88	70.6	0.34
12.	भोपाल	मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़	168.84	37.3	0.18
13.	गुवाहाटी	आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा	41.74	9.0	0.04
14.	जयपुर	राजस्थान	18.76	4.2	0.02
15.	पटना	बिहार, झारखंड	2.74	0.6	0.00
16.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.03	0.0	0.00
17.	दर्शाए नहीं गए[3]		27,764.24	6,118.8	29.57
	कुल		93,892.76	20,726.3	100.00
18.	प्रवाह की अग्रिम राशियां (2000 से 2004 तक)		8,962.22	1,962.8	–
19.	स्टाक अदल-बदल 284.87		61.2	–	
20.	आरबीआई-एनआरआई योजनाएं		589.15	134.4	–
	कुल एफडीआई प्रवाह (जनवरी 2000 से मार्च-06 तक)		1,03,729.00	22,884.7	–

1. केवल इक्विटी पूंजी भाग

2. क्षेत्रवार एफडीआई प्रवाह आरबीआई के अनुसार वर्गीकृत किया है—क्षेत्रवार प्रवाह आरबीआई द्वारा जुटाए गए हैं-मुंबई।

3. अनिवासियों से मौजूदा शेयरों के अधिग्रहण के जरिए प्रवाह दर्शाते हैं। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रवार सूचना प्रदान नहीं की गई है।

एनआरआई यूनिट

एन आर आई यूनिट निवेश प्रभाग का हिस्सा है, जिसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : (क) यूरो इक्विटी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड्स नीति। (ख) विदेशी संस्थागत निवेशक पोर्टफोलियो निवेश नीह्यित। (ग) अनिवासी भारतीयों के लिए निवेश नीति। (घ) विदेशी कंपनियों द्वारा खोले जाने वाले शाखा/संपर्क/परियोजना कार्यालय संबंधी नीति और रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को सौंपे गए व्यक्तिगत प्रस्तावों के संदर्भ में समन्वय। (ङ) वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय निवेश केंद्र को सौंपे गए मामले।

बीमा क्षेत्र

भारतीय जीवन बीमा निगम

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपने मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय तथा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और भोपाल स्थित सात क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रमुख शहरों में स्थित अपने 101 मंडल-कार्यालयों और मुंबई के वेतन बचत योजना प्रभाग सहित तथा 2,048 शाखा कार्यालयों के जरिए कार्य करता है। 31 मार्च, 2006 तक देशभर में इसके 10,52,283 सक्रिय एजेंट थे। यह विदेशों में भी व्यवसाय करता है। वहां इसके कार्यालय फिजी, मॉरीशस और ब्रिटेन में हैं। निगम की एक अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी कंपनी *लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन (इंटरनेशनल), ई.सी. बहरीन* की स्थापना 1989 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने विदेशों में बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम भी स्थापित किए हैं। इनमें केन-इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नैरोबी; नेपाल में काठमांडू में स्थानीय औद्योगिक समूह 'विशाल ग्रुप लिमिटेड' के साथ स्थापित की गयी लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड प्रमुख हैं। निगम का नवीनतम संयुक्त उद्यम एल.आई.सी. (लंका) लिमिटेड है, जिसकी स्थापना एक मार्च, 2003 को वहां की बर्टलीट ऐंड कंपनी के सहयोग से की गई। अफ्रीका में बीमा करने के लिए एल आई सी इंश्योरेंस (मॉरीशस) ऑफशोर लिमिटेड नामक कंपनी बनायी गयी।

वर्ष 2005-06 के दौरान 315.73 लाख व्यक्तिगत पॉलिसियों के अंतर्गत निगम ने 1,79,883.16 करोड़ रुपये का नया कारोबार किया। निगम के समूह बीमा विभाग ने 11,845 योजनाओं के तहत 3,919.01 करोड़ रुपये का नया कारोबार किया और 51.27 लाख लोगों को सुरक्षा प्रदान की। परंपरागत समूह बीमा कारोबार में बीमाकृत राशि 25,216.88 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त निगम ने 19,48,025 नई व्यक्तिगत पेंशन पॉलिसी बेचीं।

अस्थायी नतीजों के अनुसार 31 मार्च, 2006 को जीवन बीमा निगम का जीवन-कोष 4,63,147.62 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वर्ष 2005-06 के दौरान निगम ने बीमा धारकों की मृत्यु के मामलों में 3769.04 करोड़ रुपये; परिपक्वता दावों के तहत 24,743.42 करोड़ रुपये और वार्षिक दावों के तहत 1,977.54 करोड़ रुपये का भुगतान किया। (*ये आंकड़े अनंतिम और लेखा-परीक्षा से पहले के हैं।*)

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अंतर्गत एल आई सी ने मृत्यु के मामलों में 75.47 करोड़ रुपये और वार्षिक दावों के तहत 656.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया। (*ये आंकड़े अनंतिम और लेखा-परीक्षा से पहले के हैं*)

सामाजिक सुरक्षा सामूहिक बीमा योजना

सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना वर्ष 1988-89 में की गई थी ताकि समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन वर्गों की बीमा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एल आई सी द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रबंधन किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत 24 व्यावसायिक समूहों/क्षेत्रों को बीमा लाभ के दायरे में लाया गया है। यह योजना जनश्री बीमा योजना के स्थान पर अगस्त 2000 में प्रारंभ की गई। किंतु, पहले कवर किए गए समूहों को नवीकरण की अनुमति दी गई।

जनश्री बीमा योजना

जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त, 2000 को शुरू की गई। इसने 'सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना' (एसएसजीआईएस) और 'ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना' (आरजीएलआईएस) की जगह ली। इस योजना के तहत बीमाधारी व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु पर उसके परिजनों को 20,000 रुपये का बीमा लाभ दिया जाता है। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या स्थायी विकलांगता की स्थिति में दी जाने वाली राशि 15 अगस्त, 2006 से 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। आंशिक विकलांगता की स्थिति में दी जानी वाली राशि 15 अगस्त, 2006 से बढ़ाकर 37,500 रुपये कर दी गई। इसके लिए पहले 25,000 रुपये दिए जाते थे। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रीमियम 200 रुपये है। इसका 50 प्रतिशत भाग सामाजिक सुरक्षा कोष से दिया जाएगा। शेष राशि बीमाधारी स्वयं देगा या नोडल एजेंसी देगी। 31 मार्च, 2006 तक करीब 39.87 लाख व्यक्तियों को इसके दायरे में लाया गया। सामाजिक सुरक्षा कोष की राशि 31 मार्च, 2006 को 808 करोड़ रुपये थी।

कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना

यह योजना 1 जुलाई, 2001 को शुरू हुई। इसमें जीवन बीमा सुरक्षा, सावधिक एकमुश्त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन का लाभ दिया जाता है। इस योजना में 18 से 50 वर्ष तक के लोग शामिल हो सकते हैं। शुरुआत के समय समूह की न्यूनतम सदस्य-संख्या 20 होनी चाहिए।

ग्राम पंचायतें इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करती हैं और वे स्वयं सेवी संगठन/स्वयं सहायता समूह अथवा किसी अन्य एजेंसी की मदद से कृषि श्रमिकों की पहचान करती हैं। 31 मार्च, 2006 को 29,074 कृषि श्रमिकों को इस योजना के दायरे में लाया गया। दिसम्बर, 2003 से इस योजना के अंतर्गत नई पॉलिसियों की बिक्री बंद कर दी गई। नवीकरण के समय मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत भी जीवन लाभ के लिए किसी नए सदस्य को शामिल नहीं किया जाना था।

शिक्षा सहयोग योजना

यह योजना 31 दिसम्बर, 2001 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा का खर्च पूरा करने में माता-पिता की सहायता करना है। इसके तहत 9 वीं से 12 वीं कक्षा (आईटीआई पाठ्यक्रम सहित) में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनके माता-पिता गरीबी की रेखा से नीचे या इससे कुछ ऊपर गुजर-बसर कर रहे हों और साथ ही जनश्री बीमा योजना के सदस्य हों।

जनश्री बीमा योजना के सदस्य के अधिकतम दो बच्चों को अधिक से अधिक चार साल तक हर तिमाही पर प्रत्येक विद्यार्थी को 300 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस लाभ के लिए कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया जाता। 31 मार्च, 2006 तक 3,20,253 लाभार्थियों को छात्रवृत्तियां वितरित की गईं।

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) को 3 नवंबर, 2000 से 'इंडियन रीइन्श्यूरर' यानी भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में मान्यता दी गयी। पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जी आई सी सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों और निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा सेवाएं प्रदान करती है। निगम ने 1 अप्रैल, 2003 से पुनर्बीमा कारोबार पूरी तरह शुरू कर दिया है। यह पुनर्बीमा सुविधा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका जारी रखे हुए है और भारतीय बीमा उद्योग की ओर से निगम ने मैरीन हल पूल यानी समुद्री कार्य जोखिम पूल की स्थापना की है। इसी प्रकार आतंकवादी गतिविधियों से होने

वाली क्षति के प्रबंधन में बीमा सहायता पहुंचाने के लिए भी आतंकवाद पूल का निर्माण किया है। जीआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रम का लक्ष्य देश में महत्वपूर्ण संपत्तियां को बीमा सुरक्षा प्रदान करना और समुचित पुनर्बीमा कार्यक्रम का विकास करना है।

वर्ष के दौरान निगम ने भारतीय बीमा कर्ताओं को सभी प्रकार के करोबार में अधिकतम सहायता देना जारी रखा। कंपनी ने एक नई योजना पीक रिस्क फैसिलिटी यानी व्यस्तता के समय जोखिम प्रबंधन सुविधा शुरू की है। इस तरह व्यस्तता के समय जोखिम प्रबंधन क्षमता 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी। जी आई सी द्वारा संचालित आतंकवादी कार्रवाई जोखिम प्रबंधन क्षमता पहले की 300 करोड़ रुपये से बढ़कर एक अप्रैल, 2005 को 500 करोड़ रुपये को पार कर गयी। जीआईसी ने मालदीव, केन्या, मलेशिया, मारीशस, मध्य–पूर्व, अफ्रीका और श्रीलंका में कंपनियों के पुनर्बीमा कार्यक्रम का नेतृत्व जारी रखा। इस प्रक्रिया में यह कंपनी अफ्रीकी–एशियाई क्षेत्र में वरीयता प्राप्त पुनर्बीमाकर्ता के रूप मे उभरी। वर्ष 2005–06 के दौरान इसकी शुद्ध प्रीमियम आय उससे पिछले वर्ष की 4,234.88 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,614.87 करोड़ रुपये हो गयी। कंपनी ने 4,573.07 करोड़ रुपये के दावे वहन किए, जो 107.98 प्रतिशत के थे जबकि इससे पिछले वर्ष कंपनी ने 3702.80 करोड़ रुपये के दावे वहन किए थे, जो 80.25 प्रतिशत थे। कर अदा करने से पहले कंपनी का लाभ 31 मार्च, 2006 को 442.94 करोड़ रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2005 को यह राशि मात्र 800.08 करोड़ रुपये थी। निगम ने पिछले वर्ष 598.52 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले वर्ष मात्र 200.02 करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 2006 को कंपनी की कुल परिसंपत्तियां 26,424.03 करोड़ रुपये और विशुद्ध मूल्य 4,759.13 करोड़ रुपये था।

निगम ने विदेश मे पुनर्बीमा व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य से लंदन और मास्को में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोल रखे हैं। पुनर्बीमा कारोबार के अतिरिक्त जीआईसी केन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या और इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड सिंगाापुर की शेयर पूंजी में हिस्सेदारी बनाए हुए है। निगम ने मारीशस में भारतीय जीवम बीमा निगम द्वारा प्रोन्नत संयुक्त उद्यम कंपनी एलआईसी (मारीशस) आफशोर लिमिटेड की प्रांरभिक शेयर पूंजी में 30 प्रतिशत का अंशदान किया है।

पब्लिक सेक्टर जनरल इन्श्यूरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

जीआईसी से 2000 में पृथक होने के बाद चार सामान्य बीमा कंपनियों—नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑरियन्टल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटिड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जिप्सा नाम की ऐसोसिएशन का गठन किया। जिप्सा का मुख्यालय फिलहाल दिल्ली में है। सार्वजनिक क्षेत्र की इन चारों कंपनियों के भारत में 95 क्षेत्रीय कार्यालय, 1373 डिवीजनल कार्यालय, 2533 शाखा कार्यालय हैं। इनके अतिरिक्त इनके 55 कार्यालय विदेशों में हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की इन चारों कंपनियों को 2005–06 में सकल प्रीमियम से 14,997 करोड़ रुपये की आय हुई, जबकि 2004–05 में इन्हें इसी मद से 13,973 करोड़ रुपये की आय हुई थी। इस प्रकार कंपनियों की सकल प्रीमियम आय में पिछले वर्ष की तुलना में 10.73 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस उद्योग को 2004–05 के 1172 करोड़ रुपये की तुलना में 2005–06 में 1425 करोड़ रुपये का सकल लाभ हुआ। इन कंपिनयों ने वर्ष 2005–06 के दौरान सरकार को कुल 266 करोड़ रुपये का लाभांश दिया, इस क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश हो जाने से इन कंपनियों का बीमा बाजार में प्रतिशत वर्ष 2004–05 के 77.49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005–06 72.87 प्रतिशत रह गया।

भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड

भारतीय कृषि बीमा निगम कृषि बीमा के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन एक अलग संगठन का गठन 20 दिसंबर, 2002 से भारतीय कृषि बीमा निगम (एआईसीआईएल) के नाम से किया गया। इस प्रयोजन के लिए भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की चार सामान्य बीमा कंपनियां— 1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 3. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 4. युनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड (एनएबीआरबी) से पूंजी जुटाई गई है। भुगतान की गई पूंजी के अंशदाताओं में जीआईसी की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत, नाबार्ड की 20 प्रतिशत तथा शेष 4 कंपनियों में प्रत्येक की हिस्सेदारी 8.75 प्रतिशत है। एआईसीआईएल की प्राधिकृत पूंजी 15001 करोड़ रुपये है। वहीं चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपये है जहां प्रारंभ में एआईसीआईएल द्वारा अपना कार्य कृषि बीमा से शुरू किया जायेगा वहीं बाद में इसे संबद्ध ग्रामीण/कृषि जोखिमों के लिए बढ़ाया जायेगा। सामान्य बीमा निगम द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को अब नये संगठन एआईसीआईएल को हस्तांतरित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

केंद्र सरकार ने जीआईसी के सहयोग से वर्ष 1999-2000 की रबी मौसम की फसल से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की है। इसने 'व्यापक फसल बीमा योजना' की जगह ली है। यह योजना कृषि मंत्रालय की ओर से देश की नवगठित कृषि बीमा कंपनी लागू कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, आग लगना, कीटों/बीमारियों, आदि के कारण फसल नष्ट होने से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करना है। इससे किसानों की अगले मौसम के लिए ऋण लेने की पात्रता बहाल करने में मदद मिलती है। यह योजना सभी किसानों के लिए खुली है चाहे वे ऋण लेने वाले हों या ऋण न लेने वाले हों और उनकी जोत का आकार चाहे कितना ही बड़ा या छोटा हो। इसके अंतर्गत अनाज की सभी फसलें, (खाद्यान्न, ज्वार और दालें) तिलहन और बागवानी/नकदी फसलें शामिल होंगी, बशर्ते समुचित वर्षों के लिए पहले की पैदावार के आंकड़े उपलब्ध हों। वार्षिक नकदी/बागवानी फसलों में सात फसलें—गन्ना, आलू, कपास, अदरक, प्याज, हल्दी और लाल मिर्च फिलहाल इस योजना के अंतर्गत आती हैं। अन्य वार्षिक बागवानी और नकदी फसलें भी इसके अंतर्गत आयेंगी, बशर्ते उनसे संबद्ध पिछले पैदावार आंकड़े उपलब्ध हों।

बाजार और तिलहन के लिए प्रीमियम की दरें बीमित धन या बीमांकित राशि, में से जो भी कम हो, का 3.5 प्रतिशत तय की गयी है, जबकि खाद्यान्न, अन्य मोटे अनाज और दलहन के लिए प्रीमियम की दरें बीमित धन या बीमांकित राशि, में से जो भी कम हो, का 2.5 प्रतिशत तय की गयी है। रबी मौसम के दौरान गेहूं के लिए प्रीमियम की दरें बीमित धन या बीमांकित राशि, में से जो भी कम हो, का 1.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इस प्रकार अन्य अनाज फसलों और तिलहन के लिए प्रीमियम की दर बीमित धन या बीमांकित राशि, में से जो भी कम हो, का 2 प्रतिशत निर्धारित की गई है। वार्षिक नकदी/बागवानी फसलों के मामले में बीमांकित दरें वसूल की जाती हैं। छोटे और सीमांत किसानों को प्रीमियम में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी को राज्यों/संघशासित प्रदेशों/ और केंद्र सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। प्रीमियम में सब्सिडी को 5 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

कृषि आय बीमा योजना

किसानों की आय के दो महत्वपूर्ण घटकों, यानी पैदावार और मूल्य को लक्ष्य बनाकर एकल नीति दस्तावेज के जरिए कृषि और सहकारिता विभाग ने कृषि आय बीमा योजना (एफआईआईएस) शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत उपज और बाजार जोखिम से बीमा सुरक्षा देने की प्रणाली को एकीकृत करते हुए किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना की मुख्य विशेषताएं बाक्स में दी गयी हैं, प्रारंभ में यह योजना 2003-04 के रबी मौसम में 12 राज्यों के 18 जिलों में गेहूं और धान की फसलों के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू की गयी। इस योजना के अंतगर्त प्रीमियम की दरें बीमांकिक गणना पर आधारित होती हैं। भारत सरकार प्रीमियम में छोटे और सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत और अन्य किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है। 2003-04 के रबी मौसम में 1.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 1.8 लाख किसानों को कृषि आय बीमा सुरक्षा के अंतर्गत लाया गया। 239 करोड़ रुपये की बीमित राशि के लिए 14.1 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में प्राप्त किए गए। मौसम के दौरान 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान दावों के निपटारे के लिए किया गया। यह योजना 2004 के खरीफ मौसम में भी जारी रही और इस दौरान 4 राज्यों के 20 जिलों में 2.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2.22 लाख किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी। 177.56 करोड़ रुपये की बीमित राशि के लिए 15.68 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में प्राप्त किए गए।

वर्षा बीमा

भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसीएल) ने वर्ष 2004 में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा बीमा नाम की एक योजना शुरू की। वर्षा बीमा के अंतर्गत कृषक समुदाय की विभिन्न जरूरतों के अनुकूल पांच विकल्प प्रदान किए जाते हैं। ये है- (क) जून से सितंबर तक कुल वर्षा के आधार पर मौसमी वर्षा बीमा, (ख) 15 जून और 15 अगस्त के बीच होने वाली वर्षा के आधार पर फसल बुआई में विफलता के लिए बीमा लाभ, (ग) जून और सितंबर के बीच अलग-अलग हफ्तों को वरीयता देते हुए वर्षा वितरण बीमा, (घ) विभिन्न चरणों के दौरान फसल की जल संबंधी जरूरतों के आधार पर कृषि वैज्ञानिक सूचकांक तैयार करना, (ङ) महाविपत्ति विकल्प, जिसके अंतर्गत पूरे मौसम के दौरान वर्षा में 50 प्रतिशत विपरीत विचलन शामिल है। वर्षा बीमा योजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 20 वर्षा मानक क्षेत्रों में प्रयोग के आधार पर चलायी जा रही है। इस दौरान कुल 1050 किसानों का बीमा किया गया, जिनसे 2.19 करोड़ रुपये के बीमित धन के वास्ते 6.12 लाख रुपये प्रीमियम आय के रूप में वसूल किए गए। इस अवधि में 5.57 लाख रुपये के दावों का निपटारा किए जाने का अनुमान है।

सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों द्वारा समुदाय-आधारित सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा की योजना बनाई गयी, ताकि निर्धन परिवारों को स्वास्थ्य रक्षा की सुविधा दिलाई जा सके। इस पॉलिसी में परिवार के सारे सदस्यों को अस्पताल में इलाज के लिए किए गए चिकित्सा खर्च में से 30,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर परिवार के प्रमुख को 25,000 रुपये मिलेंगे और अर्जक सदस्य की कमाई बंद होने पर अधिकतम 15 दिनों तक 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भरपाई की जाएगी।

शाश्वत स्वास्थ्य बीमा योजना को नया रूप देते हुए इसे केवल गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारो के लिए सीमित कर दिया गया है। प्रीमियम सब्सिडी 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिव्यक्ति और पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति परिवार कर दी गयी है। परिवार के सदस्यों की संख्या भी 5 से बढ़ाकर सात कर दी गयी है। संशोधित दरों के अनुसार व्यक्ति के मामले में रुपये 165, 5 सदस्यों के परिवार के लिए रुपये 248 और 7 सदस्यों के परिवार के लिए लाभ में कोई कटौती किए बिना 330 रुपये प्रीमियम तय की गयी है।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

बीमा क्षेत्र में सुधार : बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अस्तित्व में आने के साथ ही बीमा क्षेत्र मुक्त कर दिया गया है। इस समय इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक सदस्य हैं। यह प्राधिकरण अपने मुख्यालय हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) से काम कर रहा है। इसके प्रमुख कार्यों में निम्नांकित शामिल हैं : (क) बीमाकर्ता और बीमा बिचौलियों को लाइसेंस जारी करना; (ख) वित्तीय और नियामक देखरेख; (ग) प्रीमियम की दरों पर नियंत्रण और नियमन; और (घ) पॉलिसी धारकों के हितों की संरक्षा करना। बीमा क्षेत्र के विकास में सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्वों; और एजेंटों, कार्पोरेट एजेंटों, दलालों और तृतीय पक्ष प्रशासकों को लाइसेंस देने के बारे में विनियम जारी किए हैं। ये विनियम बीमा कंपनियों के पंजीकरण, ऋणशोध क्षमता बनाये रखने, निवेश और रिपोर्टिंग संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रदान किए गए नियामक फ्रेमवर्क के अतिरिक्त हैं।

गठन के बाद से इस उद्योग में भागीदारी कंपनियों की संख्या बढ़कर 31 हो गयी है, जिसमें जीवन और जीवन-इतर क्षेत्रों से संबद्ध बीमाकर्ता (निर्यात ऋण गारंटी निगम और कृषि बीमा कंपनी जैसे विशेष बीमाकर्ताओं सहित) शामिल हैं। इसकी तुलना में वर्ष 2000 में बीमाकर्ताओं की संख्या (भारतीय जीवन बीमा निगम सहित, लेकिन साधारण बीमा निगम रहित) केवल 5 थी। स्टार हेल्थ एंड अलाइंस इन्स्योरेंस कम्पनी की स्थापना गैर-जीवन बीमा कम्पनी के रूप में की गई है जो विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस उद्योग द्वारा वसूल की गयी प्रीमियम 2000-01 में 45,677.57 करोड़ रुपये थी, जो 2004-05 में बढ़कर 1,02,376.51 करोड़ रुपये हो गयी। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 2005-06 के दौरान जीवन बीमा कर्ताओं के प्रथम वर्ष का प्रीमियम 35,897.96 करोड़ रुपये वसूल किया गया। अंनतिम अनुमान के अनुसार 2005-06 में जीवन-इतर बीमाकर्ताओं ने 20,421.17 करोड़ रुपये प्रीमियम प्राप्त किया। प्रीमियम वसूल करने के लिए अपनाए गए माध्यामों में एजेंट, दलाल, बैंकों सहित कार्पोरेट एजेंट, रैफरल प्रबंध और इंटरनेट के माध्यम से बिक्री शामिल है। फिलहाल बीमा क्षेत्र में 24 लाख एजेंट हैं। बीमाकर्ताओं की गतिविधियों में सहायता पहुंचाने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का वायदा करके इस उद्योग को मजबूती प्रदान की गयी है। बीमाकर्ताओं की चुकता इक्विटी पूंजी 31 मार्च, 2006 को बढ़कर 9004.96 करोड़ रुपये हो गयी, जबकि 31 मार्च, 2001 को यह मात्र 1692 करोड़ रुपये थी। इससे उद्योग के प्रति बीमाकर्ताओं की दीर्घावधि प्रतिबद्धता उजागर होती है।

उद्योग और नियामक स्तर पर उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए गए। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के चलते प्रीमियम की दरों/विभिन्न उत्पादों से संबद्ध शुल्कों में कमी आई है और बीमाकर्ताओं द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवता में सुधार आया है। नई बीमा कम्पनियों की स्थापना

से उपजी प्रतिस्पर्धा के कारण पूंजी बाजार से जुड़े बीमा उत्पादों की धारणा को लोकप्रिय बनाने सहित विभिन्न प्रकार के नए उत्पाद बाजार में आये हैं। पंरपरागत चैनलों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों और ई–चौपालों का इस्तेमाल ग्रामीण बाजारों में बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए किया जा रहा है, ताकि अनौपचारिक क्षेत्रों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तक बीमा लाभ पहुंचाया जा सके। प्राधिकरण ने लघु बीमा संबंधी धारणा प्रपत्र के बारे में विचार आमंत्रित किए हैं ताकि बीमाकर्ताओं को उपयुक्त लघु बीमा उत्पादों का डिजाइन तैयार करने के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया जा सके। लघु बीमा एजेंटों, जैसे गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों, को मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड तय किए जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि लघु बीमा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बीमे के प्रसार में सहायक सिद्ध होगा।

वर्तमान में जीवन–इतर बीमा उद्योग के अग्नि मोटर और इंजीनियरी क्षेत्रों में शुल्क व्यवस्था है। इस उद्योग में उदारीकरण और निजी कंपनियों के प्रवेश के बाद यह उम्मीद की गयी थी कि पूरे उद्योग को शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा। मोटर कंपनियों के प्रवेश के बाद निंरतर भारी नुकसान उठाये जाने को देखते हुए प्राधिकरण ने पहले न्यायमूर्ति रंगराजन समिति और उसके बाद एसवी मोनी समिति का गठन किया ताकि मोटर पोर्टफोलियो के विभिन्न मुद्दों का अध्ययन किया जा सके। इन समितियों की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने एक जनवरी, 2007 से शुल्क के अंतगर्त आने वाले समस्त कारोबार को शुल्क–मुक्त करने का फैसला किया है। शुल्क–मुक्त कारोबार में अग्नि, मोटर, इंजीनियरी और कार्मिक मुआवजा बीमा शामिल है।

विनिवेश

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सरकारी शेयरों के पूंजी विनिवेश की प्रक्रिया 1991–92 में शुरू की गयी थी। 1999–2000 की अवधि में विनिवेश मुख्य रूप से छोटे–छोटे लॉट्स में अल्प मात्रा में बिक्री के जरिए किया गया। 1999–2000 से 2003–04 की अवधि में महत्वपूर्ण बिक्री के तहत विनिवेश पर बल दिया गया। इसका अर्थ था बहुसंख्य शेयरों की बिक्री के साथ रणनीतिक भागीदार को प्रबंधन नियंत्रण हस्तांत्रित करना। भागीदार का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के जरिए किया गया। 2004–05 के बाद विनिवेश को इक्विटि की अल्प भागीदारी की बिक्री के जरिए अंजाम दिया गया। 1991–92 और 31 मई, 2008 के बीच विनिवेश से कुल 53,423.03 करोड़ रुपये जुटाए गए। तत्संबंधी ब्योरा नीचे दिया गया है :

मद	राशि (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत
केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अल्प शेयरों की बिक्री के जरिए प्राप्ति	35,358.01	66.18
केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के बहुसंख्य शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि	1,317.23	2.47
महत्वपूर्ण बिक्री के जरिए प्राप्तियां	6,344.35	11.88
अन्य संबद्ध लेनदेन से प्राप्त राशियां	4,005.17	7.50
विनिवेश केंद्रीय प्रतिष्ठानों/कंपनियों में बकाया शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि	6,398.27	11.98
कुल	**53,423.03**	**100**

नीति संरचना

सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सरकारी भागीदारी के विनिवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी सरकार की नीति स्पष्ट की गयी है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की तत्संबंधी विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(क) सरकार एक ऐसे सुदृढ़ और प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है, जिसकी कार्यप्रणाली से उसके वाणिज्यिक उद्देश्य पूरे हों। लेकिन इसके लिए चयनशीलता और रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार सफल, लाभ-अर्जक और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से काम करने वाली कंपनियों को प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता देने के प्रति वचनबद्ध है। सामान्यत: लाभ-अर्जक कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

(ख) सभी निजीकरण प्रत्येक कंपनी के लिए अलग-अलग आधार पर पारदर्शी और विचार-विमर्श के बाद ही तय किए जाएंगे। सरकार मौजूदा 'नवरत्न' कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखेगी जबकि इन कंपनियों को पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने की छूट होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार कंपनियों को आधुनिक बनाने, उनके पुनर्निमाण के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और बीमार कंपनियों को पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन लंबे समय से घाटे में चल रही कंपनियों को या तो बेच दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। ऐसा करने से पहले सभी श्रमिकों को उनके वैधानिक बकाया और उचित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। जिन कंपनियों को फिर से चालू करने की संभावना होगी, उन्हें कमाऊ बनाने के लिए निजी क्षेत्र की मदद ली जाएगी।

(ग) सरकार का मानना है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। सरकार किसी ऐसे एकाधिकार के उभरने का समर्थन नहीं करेगी, जो प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाता हो सरकार का ये भी मानना है कि निजीकरण और सामाजिक जरूरतों के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। उदाहरण के लिए सामाजिक क्षेत्र की निर्दिष्ट योजनाओं के लिए निजीकरण से प्राप्त राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजी बाजार में प्रवेश के नए अवसर उपलब्ध करा सकें।

वर्तमान में सरकार ने सिद्धांत रूप में यह निर्णय कर लिया है कि मुनाफा कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को घरेलू शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा, और केवल चुने हुए सूचीबद्ध, मुनाफा कमाने वाले गैर-नवरत्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में ही शेयरों की लघु हिस्सेदारी बेची जाएगी।

राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन

सरकार ने 2005-06 में एक 'राष्ट्रीय निवेश कोष' (एनआईएफ) बनाया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी पूंजी विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय को रखा जाएगा। एनआईएफ देश के समेकित कोष से बाहर रहेगा, और धन समाप्त किए बिना लगातार और टिकाऊ धन वापसी के लिए कुछ चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचल फंड जोकि व्यावसायिक तरीके से संचालित किए जाते हैं, के द्वारा व्यवस्थित किए जाएंगे। एनआईएफ की 75 प्रतिशत वार्षिक आय चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र की ऐसी योजनाओं पर खर्च की जाएगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देंगी। वार्षिक आय की बाकी 25 प्रतिशत राशि सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने में लगाई जाएगी, जो मुनाफ कमाते हों, अथवा जिनके पुनर्जीवित किए जाने पर अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना हो। इससे ये उद्यम विस्तार /विवधीकरण के लिए धन जुटाने के वास्ते पूंजी आधार बढ़ा सकेंगे।

31 मार्च, 2008 के अनुसार इस कोष के तहत संचित धन 1651 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2008 के अनुसार इस कोष के तहत संचित धन 1651 करोड़ रुपये है।

2004-05 के दौरान सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के 10 रुपये प्रत्येक के 43.29 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री से 2,684.07 करोड़ रुपये, आईपीसीएल के कर्मचारियों के शेयरों की बिक्री से 64.81 करोड़ रुपये और ओएनजीसी के बिक्री प्रस्ताव की बकाया राशि के रूप में 15.99 करोड़ रुपये वसूल किए।

2005-06 के दौरान जनवरी 2006 में सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी 18.28 प्रतिशत हिस्सेदारी में से 8 प्रतिशत शेयरों की बिक्री से 1,567.60 करोड़ रुपये वसूल किए। ये शेयर सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और बैंकों को बेचे गए। औसत वसूली 678.24 प्रति शेयर रही। मार्च, 2006 में सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड में 31,507 इक्विटी शेयरों की बिक्री से 2.08 करोड़ रुपये और प्राप्त किए। ये शेयर 660 रुपये प्रति शेयर की दर से मारुति उद्योग लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों को बेचे गए।

मारुति उद्योग लिमिटेड में बकाया 10.27 प्रतिशत सरकारी शेयरों की बिक्री मई 2007 में विभेदक मूल्य पद्धति के जरिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, और भारतीय म्युचुअल फंडों को की गयी। इस बिक्री से सरकार को 2366.94 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। प्रति शेयर औसतन प्राप्ति 797.49 रुपये थी।

सरकार की कुल परिसम्पत्ति में से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के पांच प्रतिशत प्री-इश्यू पेड अप इक्विटी का 10 प्रतिशत के बराबर नयी इक्विटी समेत कंपनी के आरंभिक पब्लिक आफरिंग का निवेश किया गया। ये इश्यू सितंबर 2007 में बेचे जाने के लिये खोले गये। अक्तूबर, 2007 में सरकार ने पांच प्रतिशत इक्विटी की बिक्री से 994.82 करोड़ रुपये अर्जित किए।

सरकार की परिसम्पत्ति में से भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के दस प्रतिशत प्री-इश्यू पेड अप इक्विटी का विनिवेश किया गया।

पूंजी बाजार प्रभाग

पूंजी बाजार प्रभाग प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की सुरक्षा संबंधी नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार है और प्रतिभूति बाजार के लिए नियम बनाने तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए भी उत्तरदायी है। विशेषत: यह जिम्मेदार है : (क) प्रतिभूति बाजार में संस्थानिक सुधार, (ख) नियामक और बाजार संस्थानों के निर्माण, (ग) निवेशक सुरक्षा प्रक्रिया मजबूत करने तथा (घ) प्रतिभूति बाजारों के लिए शक्तिशाली वैधानिक ढांचा मुहैया कराने के लिए। इसी के परिणामस्वरूप प्रभाग सिक्युरिटीज कांट्रेक्ट्स (रेग्युलेशन) एक्ट, 1956, सिक्युरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 तथा डिपोजिटरीज एक्ट, 1996 का प्रशासन देखता है।

वर्ष 2005-06 के दौरान उठाए गए कदम

(क) प्राथमिक बाजार

(i) सेबी ने बुकबिल्ट निर्गमों से संबंधित शेयरों के आवंटन संबंधी प्रकटीकरण और निवेश संरक्षण (डीआईपी) दिशा-निर्देश 2000 में संशोधन किया। इसके द्वारा म्यूचल फंड के लिए 5 प्रतिशत का विशेष आवंटन, क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बईयर्स (क्यूआईबी) और क्यूआईबी के लिए मार्जिन आवश्यकता के समानुपाती आवंटन को पहली बार लागू किया गया।

(ii) नियमित आधार पर फ्लोटिंग स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने और निरंतर सूचीबद्धता के उद्देश्य हेतु एकरूपता बनाए रखने के लिए सेबी (डीआईपी) दिशानिर्देश, 2000 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। जिसमें कुछ अपवादों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध कंपनियों में सार्वजनिक हिस्सेदारी कम से कम 25 प्रतिशत रखने का प्रावधान किया गया।

(iii) निवेशकों की सहायता करने की दिशा में खासकर खुदरा निवेशकों के लिए निर्गमों के विकल्प पर रेटिंग एजेंसी द्वारा आईपीओ को श्रेणीबद्ध करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी।

(iv) प्रकटीकरण आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी राइट्स निर्गम और पब्लिक निर्गम के मामले में विशाल और दोहराव प्रकटीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(v) कंपनियों को यह सलाह दी गई कि वे 31 दिसंबर, 2005 तक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सहित कॉरपोरेट प्रशासन पर सूचीबद्धता समझौते की (संशोधित) धारा 49 का पालन करें।

(ख) द्वितीयक बाजार

(i) तीव्र और निर्बाध धन वापसी सुनिश्चित करने के वास्ते सार्वजनिक निर्गमों से प्राप्त धन वापसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) सुविधा बढ़ाने का फैसला लिया गया। शुरुआत में ये सुविधा उन 15 केंद्रों पर शुरू की गई जिनका प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में था।

(ii) बाजार को प्रभावित किए बिना बड़ा कारोबार चलाने के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों के अधीन थोक सौदों के लिए एक अलग ट्रेडिंग विंडो मुहैया कराने के वास्ते स्टॉक एक्सचेंजों को अनुमति दी गई। बीएसई और एनएसई ने इस विंडो को 14 नवंबर, 2005 से शुरू किया।

(iii) सेबी ने संग्रह संस्थानों/डीपी को ऐसी स्थिति में कोई कर न लगाने की सलाह दी जब कोई बेनीफिशियरी ओनर (बीओ) अपने खाते में पड़ी सभी प्रतिभूतियों को उसी संग्रह संस्थान/डीपी की किसी दूसरी शाखा में स्थानांतरित करता है या उसी संग्रह संस्थान की अन्य डीपी को अथवा अन्य डिपोजिटरी, ट्रांस्फेरी डीपी में दिया गया बीओ खाता और ट्रांस्फेरर डीपी एक और वही है।

(iv) कारोबार की शुरुआत में बाजार के इतर कारोबार रोकने के लिए सेबी ने डिपोजिटरीज को सलाह दी कि आईपीओ के मामलों में प्रतिभूतियों की आईएसआईएम स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार प्रारंभ करने की तारीख को ही सक्रिय करनी चाहिए।

(v) पांच लाख और उससे ऊपर की कारोबारी राशि के लिए एमएपीआईएन दिशा-निर्देशों के तहत यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (बायोमेट्रिक इम्प्रेशन के साथ) प्राप्त करने के लिए पंजीकरण चरणों में फिर से शुरू करने का फैसला किया गया।

(vi) आईओएससीओ सीपीएसएस कार्यबल सिफारिशों के अनुकूल बंदोबस्त प्रणाली को सुचारु करने के वास्ते ये आदेश दिया गया कि स्टॉक एक्सचेंज में किए गए सभी लेने देन स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन निगम/समाशोधन हाउस के माध्यम से अनिवार्य रूप से सुलझाए जाएं।

(vii) स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण और डीम्युचुलाइजेशन को तेज करने के वास्ते वर्ष 2005-06 के दौरान सेबी ने 19 स्टॉक एक्सचेंजों की सीऐंडडी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर उन्हें अधिसूचित किया। एनएसई और ओटीसीईआई को सीऐंडडी योजनाओं को दाखिल करने से छूट दी गई क्योंकि ये पहले से ही निगमीकृत और डीम्युचुलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अधिसूचित थे।

(viii) वर्ष 2006–07 के लिए ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेश के लिए संचयी ऋण निवेश सीमा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) की कुल सीमा के भीतर बढ़ाने का संशोधन किया गया है। जबकि ट्रेजरी बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक) की सीमा 1.75 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 2.0 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई। इसी तरह निगमित ऋण 0.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया।

(ix) कॉरपोरेट पुनर्संरचना के लिए लचीलापन प्रदान करने के वास्ते, सेबी (सबस्टेंसियल अक्विजीशन ऑफ शेयर्स ऐंड टेकओवर्स) रेग्युलेशन, 1997 संशोधित किया जा रहा है ताकि बाजार खरीदारी और बड़ी खरीदारों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सके। अधिग्रहण के मामले में बाहरी शेयर धारक आने वाले या अभिग्रहण करनेवाले को अपने सभी शेयर बेच सकता है। यद्यपि, यदि लक्षित कंपनी की न्यूनतम शेयरधारिता तय न्यूनतम सीमा से नीचे रहती है तो पुनर्स्थापना सूचीबद्धता समझौते को संशोधित धारा 40ए द्वारा तय किए ढांचे के जरिए ही होनी चाहिए।

(x) मौजूदा ढांचे को सरल बनाने के लिए सेबी (डीलिस्टिंग ऑफसिक्युरिटीज) दिशा–निर्देश, 2003 में संशोधन किए गए ताकि स्टॉक एक्सचेंजों के लिए सूचीबद्धता समझौते का पालन न करने वाली कपंनियों के शेयरों को सूची से निकालना आसान हो जाए।

(ग) सामूहिक निवेश योजना

(i) म्युचुअल फंडों को एफआईआई की तरह गौण बाजार (डेरीवेटिव मार्केट) में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई।

(ii) सेबी (म्युचुअल फंड्स) रेग्युलेशन, 1996 को संशोधित कर 12 जनवरी, 2006 को एक अधिसूचना जारी कर कुछ निवेश सीमाओं के साथ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडफंड्स (जीईओएफ) को शुरू करने की म्युचुअल फंड को अनुमति दी गई।

(iii) एडीआर, जीडीआर और विदेशी प्रतिभूतियों में म्युचुअल फंडों को निवेश करने की अनुमति दी गई। यदि ऑफर दस्तावेज में इसकी जानकारी नहीं दी गई तो म्युचुअल फंडों को प्रस्तावित निवेश के बार में निवेशकों को लिखित सूचना देने की सलाह दी गई।

(iv) वेंचर केपिटल फंडों को आरबीआई और सेबी से समय–समय पर जारी शर्तों के अनुसार विदेशी कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

भारतीय कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अपनी वर्तमान क्षमता विस्तार और ताजा निवेश, घरेलू रूप में उपलब्ध संसाधनों को बढ़ावा देने लिए धन के अतिरिक्त स्रोत के रूप में बाहरी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) की अनुमति दी जा रही है। ई.सी.बी. के अंतर्गत वाणिज्यिक ऋण [बैंक ऋण, क्रेता ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, सिक्युरिटाइज्ड इंस्ट्रमेंट्स (जैसे फ्लोटिंग रेट नोट्स और नियत दर बांड्स) के रूप में] शामिल हैं जो अनिवासी ऋण दाताओं से 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता के साथ प्राप्त किए जाते हैं। ई सी बी समग्र वार्षिक सीमा के भीतर, विवेक पूर्ण ऋण प्रबंधन के अनुरूप, देश की भुगतान संतुलन की स्थिति और विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर को ध्यान में रखकर मंजूर किए जाते हैं।

मौजूदा बृहत् आर्थिक स्थिति, विदेशी पूंजी क्षेत्र की चुनौतियों और ई सी बी नीति के संचालन में अब तक प्राप्त अनुभवों को देखते हुए रिजर्व बैंक के परामर्श से इस नीति की निरंतर समीक्षा की

जाती है। हाल के महीनों की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 3 जून, 2005 तथा जनवरी 2006 को ईसीबी नीति की घोषणा की।

ईसीबी दो मार्गों से हासिल किए जा सकते हैं : (i) स्वत: मंजूरी मार्ग और (ii) मंजूरी मार्ग। भारत में रीयल सेक्टर—यानी औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए ई सी बी स्वत: मंजूरी मार्ग के अंतर्गत आते हैं अर्थात् उनके लिए रिजर्व बैंक/सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। पात्र उधारकर्ता द्वारा लिए जाने वाले ई सी बी की अधिकतम सीमा स्वत: मंजूरी मार्ग के अंतर्गत 50 करोड़ अमरीकी डालर, प्रति वित्त वर्ष है। स्वत: मंजूरी मार्ग के अंतर्गत निम्नांकित की अनुमति है : (क) न्यूनतम 3 वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि के साथ दो करोड़ अमरीकी डालर या समकक्ष राशि तक ई सी बी, (ख) न्यूनतम 5 वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि के साथ 2 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ अमरीकी डालर तक ई सी बी।

स्वत: मंजूरी मार्ग के दायरे से बाहर आने वाले सभी मामले रिजर्व बैंक की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निबटाए जाएंगे।

पात्र उधारकर्ता

मौजूदा नीति के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृकत कंपनियां, ई सी बी जुटाने की पात्र हैं परन्तु इनमें वित्तीय माध्यम जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, आवास वित्त कंपनियां और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां शामिल नहीं हैं। बाद में लघु वित्त गतिविधियों में लगे गैर सरकारी संगठनों को स्वीकृत उद्देश्य के लिए किसी एक वित्त वर्ष में 50 लाख अमरीकी डालर तक ई सी बी की अनुमति स्वत: मंजूरी मार्ग के तहत दी गई। सेक्टर में निर्माण गतिविधियों में लगी बहुराज्य को-ऑपरेटिव सोसाइटियां वित्तीय क्षमता और ऑडिट बैलेंस शीट के साथ स्वीकृत मार्ग के तहत विदेशी वाणिज्यिक ऋण प्राप्त कर सकती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं : (क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ढाचांगत परियोजनाओं में काम आने वाले बुनियादी उपकरणों के आयात के लिए बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, प्रतिष्ठित क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों, अधिकृत निर्यात एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से स्वत: मंजूरी मार्ग के तहत न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले ई सी बी की अनुमति दी गई। (ख) आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऐसे विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड्स के माध्यम से स्वत: मंजूरी मार्ग के जरिए धन उगाहने की अनुमति होगी, जो रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सुदृढ़ वित्तीय मानदंड पूरे करते हों।

जैसा कि ऊपर बताया गया है पात्र उधारकर्ता के अंतर्गत वर्णित गैर सरकारी संगठनों को छोड़कर व्यक्ति, न्यास और मुनाफा कमाने वाले संगठन ई सी बी से धन जुटाने के पात्र नहीं हैं।

बुनियादी ढांचे या निर्यात वित्त से विशेष रूप से जुड़े वित्तीय संस्थानों, जैसे आई डी एफ सी, आई एल एंड एफ एस, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन, इरकॉन और एक्जिम बैंक, को प्रत्येक मामले के मूल्यांकन के आधार पर मंजूरी मार्ग से ई सी बी की अनुमति देने पर विचार किया जाता है।

सरकार द्वारा कपड़ा अथवा इस्पात क्षेत्र के मंजूर किए गए पुनर्निर्माण पैकेज में योगदान करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पुनर्निर्माण पैकेज में योगदान करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पैकेज में उनके निवेश की सीमा और रिजर्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किए गए मूल्यांकन के अनुसार ई सी बी जुटाने की अनुमति है। इस प्रयोजन के लिए अभी तक जुटायी गई ई सी बी राशि उनकी पात्रता में से घटा दी जाती है।

मान्यता प्राप्त ऋण दाता : उधारकर्ता अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों जैसे (i) अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (जैसे आई एफ सी, ए डी बी, सी डी सी, आदि), (ii) निर्यात क्रेडिट एजेंसियां और (iii) उपकरण आपूर्तिकताओं, विदेशी भागीदारों और विदेशी इक्विटी धारकों से ई सी बी (विदेशी वाणिज्यिक ऋण) प्राप्त कर सकते हैं।

ब्याज दर प्रसार : सभी विदेशी वाणिज्यिक ऋण तत्संबंधी मुद्रा या संबद्ध बेंचमार्क (जो भी लागू हो) के लिए छह महीने के लाइबोर—यानी लंदन अंत: बैंक पेशकश दर पर निम्नांकित अधिकतम ब्याज दर प्रसार के अधीन होंगे :

न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि	6 महीने के लाइबोर पर सभी भीतरी लागत सीमाएं*
3 वर्ष से 5 वर्ष तक	200 आधार अंक
5 वर्ष से अधिक	350 आधार अंक

* 'सभी भीतरी लागत' सीमाओं में ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में अन्य शुल्क और खर्च शामिल हैं, परंतु वायदा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क और भारतीय रुपये में देय शुल्क शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 'सभी भीतरी लागत' की गणना करते समय भारतीय रुपये में विदहोल्डिंग टैक्स के भुगतान को भी बाहर रखा गया है।

लक्ष्य-उपयोग : स्वीकार्य लक्ष्य-उपयोग/प्रतिबंध नीचे स्पष्ट किए गए हैं : (क) भारत में ईसीबी केवल वास्तविक क्षेत्र—यानी औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) और बुनियादी ढांचा क्षेत्र शामिल है, में निवेश (जैसे पूंजीगत सामान का आयात, नई परियोजनाएं, मौजूदा उत्पादन इकाईयों का आधुनिकीकरण/विस्तार) के लिए प्राप्त किया जा सकता है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में (i) बिजली, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे (iv) पुलों सहित सड़कें, (v) बंदरगाह (समुद्री और हवाई दोनों), (vi) औद्योगिक परिसर और (vii) शहरी ढांचा (जलापूर्ति, स्वच्छता और मल व्ययन परियोजनाएं) शामिल हैं, (ख) इसीबी से प्राप्त राशि का इस्तेमाल विदेश में प्रत्यक्ष भारतीय निवेश संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अधीन विदेश में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में किया जा सकता है, (ग) ईसीबी से प्राप्त राशि का उपयोग विनिवेश प्रक्रिया में प्रथम चरण के शेयर खरीदने के लिए करने की अनुमति है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के शेयर बेचे जाने के अंतर्गत दूसरे चरण में लोगों के लिए अनिवार्य प्रस्ताव के तहत शेयर खरीदने में भी ईसीबी के इस्तेमाल की अनुमति है, (घ) ईसीबी से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनियों द्वारा पूंजीबाजार में निवेश करने अथवा उधार देने के लिए करने की अनुमति नहीं है, ऊपर वर्णित मामले इसका अपवाद हैं, (ङ) ईसीबी से प्राप्त राशि का इस्तेमाल भू-संपदा क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं है, 'भू-संपदा' के अंतर्गत नगरों का विकास, आवास, निर्मित ढांचा और निर्माण-विकास परियोजनाएं शामिल नहीं हैं। इस बात का खुलासा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की एस आई ए (एफसी डिवीजन), की प्रेस विज्ञप्ति संख्या-3 (2002 शृंखला) दिनांक 4 जनवरी, 2002 में किया गया है, (च) ईसीबी का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी, सामान्य कंपनी प्रयोजन और मौजूदा रुपया ऋण के पुनर्भुगतान के लिए करने की अनुमति नहीं है।

गारंटी : ईसीबी के बारे में बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गारंटी, स्टैंडबाइ लैटर आफ क्रेडिट, लैटर आफ अंडरटेकिंग अथवा लेटर आफ कम्फर्ट जारी किए जाने की अनुमति सामान्यत: नहीं है। लघु और मध्यम उद्यमों के मामले में गारंटी/स्टैंडबाई लैटर आफ क्रेडिट अथवा लैटर आफ कम्फर्ट जारी करने के बैंकों, वित्तीय संस्थानों के आवेदनों पर प्रगतिशील मानदंडों के अधीन गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

विदेश में ईसीबी राशि को रखना : भारत में वास्तविक आवश्यकता पड़ने तक ईसीबी राशि को विदेश में रखा जाना चाहिए।

पूर्वभुगतान : प्रारंभिक दिशा निर्देशों के तहत 10 करोड़ अमरीकी डालर तक ईसीबी राशि का पूर्वभुगतान रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना किया जा सकता है। इसके लिए ऋण पर लागू न्यूनतम निर्धारित औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन अनिवार्य होता है। यह राशि अब बढ़ाकर 20 करोड़ अमरीकी डालर करने का फैसला किया गया है, बशर्ते उसकी औसत परिपक्वता अवधि पांच वर्ष हो। 20 करोड़ अमरीकी डालर से अधिक राशि के ईसीबी, जिसकी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 3-5 वर्ष हो, का पूर्वभुगतान मंजूरी मार्ग द्वारा किया जाएगा।

मौजूदा ईसीबी का पुनर्वित्त : कम लागत पर नया ईसीबी उठाकर मौजूदा ईसीबी के पुनर्वित्त की अनुमति है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि मूल ऋण की बकाया परिपक्वता बनाये रखी जाएगी।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स (एफसीसीबीज) : ईसीबी की नीति सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स पर भी लागू है, परंतु आवास वित्त कंपनियों के मामले में यह नीति लागू नहीं होगी, जिसके लिए मानदंड रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए जायेंगे।

ईसीबी दिशा निर्देशों में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विनियमों/निर्देशों के अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी हो गया है।

जैसा कि 2006-07 के बजट में घोषित किया गया है, सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई की सीमा 1.75 बिलियन डालर से बढ़ाकर 2 बिलियन डालर कर दी गई है और निगम ऋण में एफआईआई की सीमा 0.5 बिलियन डालर से 1.5 बिलियन डालर तक बढ़ा दी गई है। जबकि दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों के मामले में दोनों मार्गों अर्थात शत-प्रतिशत ऋण मार्ग और 70:30 के अनुपात वाले सामान्य ऋण मार्ग लागू होगी। निगमित ऋण में एफआईआई निवेश 1.50 बिलियन अमरीकी डालर की भीतरी उपसीमा ऊपर हो जाएगी और सरकारी ऋण के लिए ये उप-सीमा 2 बिलियन अमरीकी डालर होगी। विदेशी संस्थागत निवेश की अधिकतम सीमा सरकारी प्रतिभूतियों और निगमित ऋण में भी प्रतिमोच्य नहीं होगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश सीमा सहित विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की कुल सीमा वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए आरबीआई की सिफारिशों के आधार पर 15 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 18 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है।

पेंशन सुधार

23 अगस्त, 2003 को सरकार ने पहले चरण में सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर एक नई पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया। यह योजना मौजूदा परिभाषित लाभ प्रणाली के स्थान पर लागू की गई। तत्पश्चात 22 दिसंबर, 2003 को जारी अधिसूचना के जरिए नई पेंशन प्रणाली एक जनवरी, 2004 से लागू हो गई। 10 अक्टूबर, 2003 को एक सरकारी संकल्प के जरिए सांविधिक नियामक के पूर्वगामी के रूप में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का गठन किया गया, जिसने 1 जनवरी, 2004 से काम प्रारंभ कर दिया। पेंशन क्षेत्र के लिए कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एक विधेयक 21 मार्च, 2005 को संसद में पेश किया गया जिसे बाद में वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 जुलाई

2005 को संसद में रखी। समिति की सिफारिशों पर गौर करने के बाद, समिति की सिफारिशों के आधार पर पीएफआरडीए अध्यादेश में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विधेयक के प्रस्ताव के मुताबिक पीएफआरडीए का मुख्य कार्य नई पेंशन प्रणाली को नियंत्रित करना है जिसे केंद्र सरकार ने समय-समय पर संशोधित किया है। पेंशन योजनाएं पहले ही कर्मचारी भविष्यनिधि और विविध प्रावधान अध्यादेश, 1952 के अंतर्गत आती हैं और अन्य अधिनियमन एनपीएस के ढांचे से विशेष रूप से अलग रहेंगी जिसमें सीआरए और पेंशन फंड शामिल हैं। आगे, अध्यादेश में ये भी प्रावधान है कि पेंशन फंड के लिए निवेश दिशा-निर्देश पीएफआरडीए बनाएगा। पीएफआरडीए को अधिकार होगा कि पेंशन कानून का उल्लंघन होने पर कड़े दंड की व्यवस्था करे। नियामक एक विशेष कोष की भी स्थापना करेगा जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों को पेंशन फंड योजनाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए किया जाएगा। पेंशन सुधार से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां और अधिसूचनाएं वित्त मंत्रालय की वेबसाइट www.finmin.nic.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

गैर-सरकारी भविष्य निधियों, सेवानिवृत्त निधि और निवेश राशि संबंधी दिशानिर्देश : वित्त मंत्रालय गैर सरकारी भविष्य निधियों, सेवानिवृत्त निधियों और ग्रेच्युटी निधियों के लिए निवेश तरीकों को अधिसूचित करता है। मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी, 2005 को अधिसूचित निवेश नमूने में व्यवस्था दी गई है कि ऐसी निधियों द्वारा इंक्रीमेंटल एक्रीशन निम्न प्रकार से निवेश करना चाहिए :

- 40 प्रतिशत केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में और/अथवा सेबी द्वारा दिशा-निर्देशित स्वर्ण निधियों की यूनिटों में तथा केंद्र/राज्य सरकार या अन्य राज्य सरकार द्वारा पूर्ण और बिना शर्त गारंटीशुदा अन्य सौदेवाली प्रतिभूतियों में, ट्रस्ट का प्रदर्शन किसी व्यक्तिगत स्वर्ण निधि में किसी भी समय अपने समग्र पोर्टफोलियों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 25 प्रतिशत सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बॉन्ड्स/प्रतिभूतियों में, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं जिनको कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त हुई हो, और/अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी तीन वर्ष तक की मियादी जमा प्राप्तियां, और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड और आरबीआई द्वारा स्वीकृत समानांतर ऋणों तथा उधारी दायित्वों में निवेश।
- इसके अलावा अन्य 30 प्रतिशत ट्रस्टी के निर्णयानुसार उपर्युक्त श्रेणियों में निवेश किया जा सकता है। इसका 10 प्रतिशत तक कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण संस्थानों में निवेश किया जा सकता है और/अथवा सेबी द्वारा दिशा निर्देशित म्युचल फंडों की इक्विटी लिंक्ड योजनाओं में।
- पांच प्रतिशत तक उन कंपनियों के शेयरों में जिन्हें कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड ऋण रेटिंग मिली हुई हो।

वित्त मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी, 2005 को अधिसूचित निवेश नमूने मंत्रालय की वेबसाइट www.finmin.nic.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग : अप्रैल 2006 में एस ऐंड पी ने भारत की दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रेटिंग बीबी+(स्थिर दृष्टिकोण सहित) से बीबी +(सकारात्मक दृष्टिकोण) प्रदान की। मूडी ने वर्ष 2006 के लिए विदेशी मुद्रा रेटिंग पिछले वर्ष से बीएए 3 (स्थिर दृष्टिकोण) पर पुन:पुष्टि की जबकि फिच की वर्तमान रेटिंग स्थिर दृष्टिकोण के साथ बीबीबी है।

संयुक्त उद्यमों में प्रत्यक्ष भारतीय निवेश/विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां/ द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन एवं संरक्षण समझौता (बीआईपीए) :

भारतीय निवेश संबंधी नीति को पिछले वर्षों में निरंतर उदार बनाया गया है। इससे भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में पूंजीनिवेश में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। उदारीकृत नीति का लक्ष्य भारतीय उद्योग को नये बाजारों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच कायम करने में सक्षम बनाना है, ताकि वैश्विक स्तर तक उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

इस नीति को और उदार बनाया गया ताकि भारतीय कंपनियां नेपाल और भूटान में भारतीय रुपये के अतिरिक्त आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में निवेश कर सकें। नेपाल और भूटान में किए गए निवेश से अर्जित ब्याज/लाभांश/मुनाफा अंशदान भारतीय रुपये के अतिरिक्त मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में लेने की अनुमति दी गयी है।

विदेश में स्वीकृत प्रत्यक्ष भारतीय निवेश में चार गुणा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 1996-97 में तत्संबंधी 290 प्रस्ताव मंजूर किए गए थे। यह संख्या 2003-04 में बढ़कर 1229 हो गयी। इसी अवधि में मंजूर किए गए निवेश के मूल्य में भी ढाई गुणा बढ़ोतरी हुई है, जो 55.7 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर 145 करोड़ अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया। वर्ष 2004-05 (अप्रैल से नवंबर 2004) के दौरान 793 प्रस्ताव मंजूर किए गए, जिनमें 98.7 करोड़ अमरीकी डालर के निवेश की पेशकश की गयी थी।

वर्ष के दौरान साइप्रस, बहरीन, इंडोनेशिया और यमन के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन एवं संरक्षण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सऊदी अरब, उरुग्वे, कनाडा, लातविया और सार्क देशों के साथ ऐसा समझौता करने के बारे में बातचीत आयोजित की गयी। कुल मिलाकर अभी तक 57 देशों के साथ ऐसे समझौते किए जा चुके हैं, जिनमें से 47 की पुष्टि हो चुकी है और अन्य पुष्टि किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी निर्गम

वर्ष 1992/1993 के दौरान एक योजना शुरू की गई जिसके तहत भारतीय निगम क्षेत्र को ग्लोबल डिपॉजिटरी मैकेनिज़्म के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी)/इक्विटी शेयरों के जरिए वैश्विक पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने की अनुमति प्रदान की गई।

दिशा-निर्देशों में उदारीकरण पर समय-समय पर घोषणाएं की गई हैं और वर्तमान में जो पहल की गई हैं वे इस प्रकार हैं :

- एफसीसीबी/एडीआर/जीडीआर जारी करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों के लिए घरेलू पूंजी निर्गमों पर सेबी के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं के साथ कीमत संबंधी दिशा-निर्देश लाए गए।
- एफसीसीबी/एडीआर/जीडीआर जारी करने वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भी घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों में पहले या उसी समय सूचीबद्ध होना आवश्यक है।
- एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी जारी कर चुकी गैर सूचीबद्ध कपंनियों को 31 मार्च, 2006 तक घरेलू स्टॉक बाजार में सूचीबद्ध होना है। यद्यपि, 22 मई, 1998 की शर्तों के अनुसार जिन कंपनियों ने एफसीसीबी, एडीआर/जीडीआर प्राप्त किए हैं, और लाभ नहीं कमा रही हैं उन्हें लाभ

में आने के तीन वर्षों के भीतर घरेलू स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्धता शर्तों के पालन करने की शर्त पर अनुमति होगी। हालांकि घरेलू स्टॉक एक्सचेजों में पहले बिना सूचीबद्ध हुए ऐसी कपंनियों को नए एफसीसीबी, एडीआर/जीडीआर जारी करने की अनुमति नहीं होगी।

- एडीआर/जीडीआर को और युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार ने उन कंपनियों को संशोधित कीमत दिशा–निर्देशों की आवश्यकता से छूट दे दी जो घरेलू बाजार में प्रस्ताव ला रही हैं और साथ–साथ या अचानक एडीआर/जीडीआर निर्गमों के जरिए प्रस्ताव ले आती हैं (घरेलू निर्गम के 30 दिनों के भीतर) जहां जीडीआर/एडीआर घरेलू कीमत पर या उससे ऊपर रखे हुए हैं।
- वे भारतीय गैर–सूचीबद्ध कंपनियां जिन्होंने 31 अगस्त, 2005 से पहले एफसीसीबी, एडीआर/ जीडीआर जारी किए थे और ये लाभ नहीं कमा रही हैं, उनको भी मौजूदा शेयरों के मुकाबले ऐसे निर्गम प्रायोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई और लाभ कमाने के तीन वर्षों के अंदर घरेलू स्टाक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता शर्तों का अनुपालन करने की अनुमति दी गई।

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश : विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश आकर्षित करने की एक योजना सितम्बर, 1992 से चलायी जा रही है, इस योजना के अंतर्गत पेंशन फंड्स, म्युचुअल फंड्स, निवेश न्यासों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, नामित कंपनियों और निगमित/संस्थागत पोर्टफोलियो प्रबंधकों या उनके मुख्तारनामा धारकों सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्राथमिक और गौण बाजारों में खरीदफरोख्त की जाने वाली सभी प्रतिभूतियों में, और साथ ही असूचीबद्ध कंपनियों में भी निवेश की अनुमति है। ऐसी प्रतिभूतियों में ऐसे शेयर, डिबेंचर और कंपनियों द्वारा जारी वारंट शामिल हैं, जो भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हों/या सूचीबद्ध किए जा रहे हों। इसके अतिरिक्त इनमें घरेलू म्युचुअल फंड्स द्वारा चलायी जाने वाली योजनाएं भी शामिल हैं।

ऐसे पोर्टफोलियो निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशक नीचे दी गयी निवेश सीमाओं के अनुसार निवेश कर सकते हैं :

(i) एकल एफ आई आई/उप–खाता : किसी कंपनी में जारी और चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत।

(ii) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों का कुल निवेश : किसी कंपनी में जारी और चुकता पूंजी का 24 प्रतिशत, जिसे संबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा क्षेत्रगत सीमा/विधिविहित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए संबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करना होगा और उसके बाद सामान्य सभा द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा।

लाहिरी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की। इस समिति का गठन निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया गया था, जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशक पोर्टफोलियो निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश की कोई क्षेत्रगत सीमा न हो। सभी क्षेत्रों पर सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों के अतिरिक्त समिति ने कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष सिफारिशें भी की हैं। समिति की रिपोर्ट व्यापक सम्प्रेषण के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (www.finmin.nic.in) पर प्रदर्शित की गयी है। सिफारिशों को लागू करने के लिए संबद्ध विभाग के साथ अलग से सलाह मशविरा शुरू किया गया है।

व्यय विभाग : व्यय विभाग के आठ मुख्य प्रभाग हैं : (i) संस्थापना प्रभाग (ii) योजना वित्त–प्रथम प्रभाग (iii) योजना वित्त–द्वितीय प्रभाग (iv) वित्त आयोग प्रभाग (v) लेखा महानियंत्रक (vi) लागत लेखा शाखा (vii) कर्मचारी निरीक्षण एकक और (viii) समन्वित वित्त प्रभाग।

राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान

भारत सरकार ने लेखा सेवाओं के ग्रुप 'ए' से संबंद्ध प्रशिक्षणार्थियों को सीधे तौर पर प्रशिक्षण देने के वास्ते 1994 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) की स्थापना की। केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, व्यय विभाग, भारत सरकार के सचिव और विभिन्न लेखा सेवा विभागों के प्रमुख व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश बनाने वाली पंजीकृत सोसायटी के पदेन सदस्य हैं। इस समय यह संस्थान तीन दीर्घकालिक कार्यक्रम चला रहा है—लेखा सेवाओं के लिये नवनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों के लिये 44 सप्ताह का पेशागत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सरकारी एकाउंट एवं आंतरिक आडिट में एक साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों के अधिकारियों के लिये बिजनेस प्रबंधन (वित्त प्रबंधन) में दो साल का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। इसके अलावा एनआईएफएम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और विभिन्न देशों के अधिकारियों के लिये भी अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाता है तथा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है। एनआईएफएम भारत सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य देशों के विभागों एवं संगठनों को परामर्श सेवायें भी प्रदान करता है।

कर्मचारी निरीक्षण इकाई

प्रशासनिक दक्षता और कामकाज प्रदर्शन मानदंडों तथा काम-काज के नियम-कादयों से जुड़े सरकारी संगठनों में कार्मिक प्रणाली (स्टाफिंग) के संबंध में कम खर्च को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1964 में कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू) की स्थपना की गयी थी। बदली हुई परिस्थितियों और सरकार की ओर से बेहतर प्रशासन एव बेहतर सेवा आपूर्ति पर बल दिये जाने के मद्देनजर एसआईयू की भूमिका पुनर्परिभाषित की गयी। एसआईयू अब मंत्रालयों एवं स्वायत्त संगठनों को बेहतर संगठनात्मक संरचना/प्रक्रियाओं, संसाधनों के अधिकतम उपयोग और निगरानी एवं मापे जाने लायक परिणामों एवं विशिष्ट सेवा आपूर्तियों पर ध्यान केंद्रित करके संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के काम में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने लगा है।

संस्थापना प्रभाग

केंद्र सरकार के वेतनभोगी कर्मचारियों की वित्त से जुड़ी सेवा शर्तों से संबद्ध सभी मामलों की देखभाल करने वाले तंत्र की धुरी का कार्य संस्थापना प्रभाग करता है। बुनियादी तौर पर इसमें निम्नलिखित बाते आती हैं:—वेतनमान संशोधित/नियत करना, वेतन और विभिन्न भत्ते निश्चित करना। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वेतनमानों, वेतन वृद्धि, विभिन्न पदों के प्रतिनियुक्ति भत्ते और विभिन्न पदों की श्रेणियों के काडर या संवर्ग संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव इस प्रभाग को मिलते हैं, उनकी जांच समानता और काम की तुलना के अनुसार यहां की जाती है। इसके अलावा यह विभाग भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीएएस) के संवर्ग प्राधिकरण के रूप में भी काम करता है और सतर्कता संबंधी काम भी देखता है। इस विभाग में मुख्य सचिव (प्रशासन), जो निदेशक (शिकायतों) के रूप में भी काम करता है, के प्रभार में एक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र भी काम कर रहा है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार इस प्रभाग में महिलाओं की शिकायतें दूर करने के लिए एक परिवाद समिति भी काम कर रही है।

योजना वित्त-I

योजना वित्त-I प्रभाग राज्यों के वित्त तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं से संबंधित मामलों को देखता है। यह राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। जिन अन्य योजनाओं के लिए यह प्रभाग वित्तीय सहायता देता है, उनमें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन, पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम, राज्यों की अन्य निर्दिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, राज्यों को विशेष योजना सहायता, अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम शामिल हैं।

वर्ष 2007-08 की अवधि में आवंटित/जारी विभिन्न प्रकार की सहायता और वर्ष 2008-09 की अवधि में किए गए बजट प्रावधान का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं	**मद/योजना**	**2007-08 के लिए आवंटन (संशोधित अनुमान) चरण**	**2007-08 के दौरान जारी राशि**	**2008-09 के लिए आवंटन (बजट अनुमान) स्तर पर (केवल अनुदान घटक के लिए)**
क.	**योजना सहायता**			
1.	राज्य योजनाओं के लिए सामान्य केंद्रीय सहायता	14,462.02	14,462.01	17,991.98
2.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	10,365.00	10,365.02	4,550.00
3.	अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश	3,026.69	3,026.69	4,602.00
4.	जम्मू कश्मीर के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	900.00	900.00	0.00
5.	अन्य निर्दिष्ट योजनाओं/ परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	1098.64	1098.64	0.00
6.	किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम के वास्ते अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	60.29	60.29	162.77
7.	त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सहायता	1400.00	1400.00	800.00

8.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए केंद्रीय ऋण सहायता	5580.00	5580.00	5550.00
9.	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2851.37	2851.37	3442.24
10.	पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सहायता	225.00	224.51	272.00
11.	सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	580.00	580.00	635.00
12.	राष्ट्रीय सम विकास योजना/ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	1130.00	1130.00	1130.00
13.	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (एनईजीएपी)	268.78	268.36	469.37
14.	शहरी बुनियादी ढांचा और प्रशासन संबंधी उप मिशन के लिए एसीए (एसएमयूआईजी)	2474.00	2474.00	3100.37
15.	लघु और मध्यम कस्बों के लिए शहरी ढांचा विकास के वास्ते एसीए (यूआईडीएसएसएमटी)	1204.00	1204.00	879.69

योजना वित्त-II प्रभाग

योजना वित्त-2 प्रभाग मुख्यत: केंद्रीय योजना से संबंधित मामले देखता है। पीएफ-2 प्रभाग वित्त मंत्रालय में एक खिड़की के रूप में कार्य करता है जोकि केंद्र सरकार की विकास गतिविधियों पर कड़ी नजर रखता है। यह निगरानी परियोजना स्तर और सचिवालय नीति स्तर पर रहती है। विकास योजनाओं और परियोजनाओं के विषय में विकास खर्च की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके लिए बेहतर परियोजना व्यवस्था, प्रदर्शन वितरण पर जोर, प्रभाव मूल्यांकन, प्रेक्षेपीकरण (मिशन पहुंच) और समाभिरूपता जैसे उपायों का सहारा लिया जाता है।

ग्यारहवीं योजना अवधि के शुरू होने के साथ सरकार की वित्त पोषित योजनाओं/परियोजनाओं के निर्धारण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिये 15 नवंबर, 2007 को ओ.एम. संख्या 1(3)/पी.ई. 2/201 के अंतर्गत नये सिरे से जारी किये गये ताकि ये तेजी से बदलते आर्थिक वातावरण के अनुकूल हों, निवेश कार्यक्रमों को लागू करने के लिये मंत्रालयों/विभागों को अधिक अधिकार दिये जा सकें तथा समूची प्रक्रियायों को अधिक कारगर एवं उत्तरदायी बनाया जा सके और इस तरह से सही समय पर सही और समुचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आये। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान लागू होने वाले ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.finmin.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

01 जनवरी से 31 दिसंबर, 2008 के दौरान सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की 68 बैठकें हुईं जिनमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कुल 1,08,786.76 करोड़ रुपये के 73 योजना निवेश प्रस्तावों/योजनाओं पर विचार किया गया। इस दौरान सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की

21 बैठकें भी की गयीं और 38,501.14 करोड़ रुपये के कुल पूंजी व्यय की 25 परियोजनाओं को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गयी। उन परियोजनाओं की मंत्रालय/विभागवार सूची निम्नलिखित है जिन पर पीआईबी ने विचार किया:

क्र.स	मंत्रालय/विभाग	मंजूरी के लिए अनुशंसित परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रुपये)
1.	जहाजरानी	7	6694.60
2.	कोयला	8	8126.78
3.	विद्युत	7	15274.25
4.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	1	557.25
5.	रसायन एवं पेट्रो रसायन	1	5460.61
6.	भारी उद्योग	1	2387.90
	कुल	**25**	**38501.14**

योजना वित्त-II प्रभाग आंतरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधनों का संचालन किया (योजना वित्त 1 एवं ईबीआर ने 2008-09 (बीई) वार्षिक योजना का आंकलन किया और 111197.60 करोड़ रुपये का 1,95,531.04 करोड़ रुपये (आईआर) और 84333.44 करोड़ रुपये का बाह्य बजटीय संसाधन (ईबीआर) बैठा। योजना आयोग ने यह तय किया है कि किस हद तक आईआर/ईबीआर का इस्तेमाल योजनाओं को वित्त सहायता देने के लिये किया जायेगा।

योजना वित्त-II प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन ब्यूरो की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन का काम भी देखता है। यह प्रभाग खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी संबंधी मुद्दों को भी देखता है।

लेखा महानियंत्रक

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार केंद्र और राज्यों के लेखा इस रूप में रखे जाएंगे जैसी भारत के लेखा महानियंत्रक राष्ट्रपति को व्यवस्था देंगे। राष्ट्रपति का यह कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(3) के तहत लेखा महानियंत्रक को सौंपा गया है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) लेखा संबंधी मामलों में केंद्र सरकार का प्रमुख सलाहकार है और एक कुशल तथा स्वस्थ लेखा व्यवस्था और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना और देखभाल के लिए उत्तरदायी है।

लेखा सिद्धांत और स्वरूप : सीजीए केंद्र और राज्य सरकारों के हिसाब-किताब के आम सिद्धांत और स्वरूप निर्धारित करता है तथा इनसे संबद्ध नियम एवं नियम पुस्तिकाएं बनाता है। इसी अधिकार के सिलसिले में उन्हें लेखाकरण नियम, केंद्रीय लेखा (प्राप्तियां एवं भुगतान) नियम, केंद्रीय कोष नियम, कोष के लेखाकरण नियम, राज्य के महालेखा अधिकारियों के लिए नियम, लेखा संहिता खंड-3, मुख्य और गौण लेखा शीर्षों की सूची, नागरिक लेखा नियम पुस्तिका, उचंत (सस्पेंस) नियम पुस्तिका, आहरण एवं संवितरण अधिकारों की नियम पुस्तिका, निरीक्षण संहिता आदि की संरचना का भी कार्य देखना होता है।

बजट नियंत्रण, अदायगी, प्राप्ति संग्रहण और लेखाकरण : लेखा महानियंत्रक/मुख्य नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों और उनके वेतन एवं लेखा कार्यालयों के जरिए बजट, अदायगी, प्राप्ति संग्रहण और लेखाकरण

के काम करता है। वह सरकारी लेनदेन के लिए बैंक निर्धारित करता है और रिजर्व बैंक के पास सरकार की बाकी राशि में से लेनदेन को प्राधिकृत 20,000 बैंक शाखाओं के जरिए निगरानी रखता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग : लेखा महानियंत्रक वित्त मंत्री और अन्य संबद्ध मंत्रियों को सरकारी वित्त की स्थिति के बारे में नियमित रूप से जानकारी देता है। वह वित्त मंत्री को हर महीने एक महत्वपूर्ण राजकोषीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के विशेष आंकड़ा सम्प्रेषण मानकों (एसडीडीएस) का अनुपालन करते हुए इंटरनेट पर केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में आंकड़े जारी करता है। सीजीए केंद्र सरकार के वार्षिक खातों का संपादन भी करता है। इन खातों में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार का वित्त लेखा और विनियोजन लेखा संसद के समक्ष प्रस्तुत करना भी शामिल है। सीजीए द्वारा इन खातों का सारांश 'अकाउंट्स ऐट ए ग्लांस' यानी 'लेखे-जोखे पर एक नज़र' शीर्षक से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि इस्तेमालकर्ताओं को इन दस्तावेजों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिले।

लेखा मामलों में तकनीकी सलाह : सीजीए सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों को लेखा संबंधी विभिन्न मामलों में परामर्श देता है। इस परामर्श के अंतर्गत लेखा रखरखाव संबंधी पहलू, नई स्कीमों/कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में अपनायी जाने वाली लेखा प्रक्रिया, प्राप्ति संग्रह और सरकारी खाते में इनका स्थानांतरण, अदायगी और उसका लेखाकरण, सरकारी लेखा के भीतर धन का सृजन और परिचालन, अदायगियों और प्राप्तियों के लिए बैंक व्यवस्था, आदि शामिल होती हैं।

पेंशन वितरण : महालेखा नियंत्रक सभी मंत्रालयों से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन संवितरित करने और उसका हिसाब किताब रखने की भी जिम्मेदारी संभालता है। वह यह काम केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के जरिए करता है। इस कार्यालय की स्थापना मुख्यत: पेंशन वितरण और उसके हिसोब किताब की प्रक्रिया को सरल बनाने और पेंशन भोगियों को बेहतर सेवा देने के लिए की गयी है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय असैनिक पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीय लेखा और बजट एकांश है। यह पेंशन भोगियों और सरकार के बीच तथा बैंकों और पेंशन भोगियों के बीच एक कड़ी का काम करता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश से यह कार्यालय पेंशन वितरण के लिए प्राधिकृत बैंकों के तंत्र के जरिए देशभर में 6,00,000 पेंशन भोगियों की सेवा कर रहा है।

आंतरिक लेखा परीक्षा : आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य हर मंत्रालय में मौजूदा आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा के जरिए किया जाता है। इस कार्य को संबद्ध लेखा नियंत्रक की निगरानी में अंजाम दिया जाता हैं। लेखा महानियंत्रक की निरीक्षण शाखा अतिरिक्त रूप से इस कार्य का निरीक्षण करती है और विषय से संबद्ध लेखा नियंत्रक को सलाह भी देती है।

लेखा महानिरीक्षक वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें अधिक अदायगी, सरकारी देयताओं की कम वसूली, बुनियादी सुविधाओं के खर्च में नुकसान, अनुचित तरीके से खरीद आदि उन बड़ी गड़बड़ियों को उजागर किया जाता है, जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान पकड़ा जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजी पुनर्रचना और विनिवेश

केंद्र सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) की वित्तीय पुनर्रचना संबंधी मूल्यांकन और प्रक्रिया का उत्तरदायित्व लेखा महानियंत्रक को सौंपा गया है और यही वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपता है। सामान्यत: इकाई की समीक्षा के लिए प्रस्तावित रणनीति का मूल्यांकन प्रस्ताव का हिस्सा होता है।

प्रत्येक प्रस्ताव के उपलब्ध विशेष विकल्पों के मूल्यांकन के आधार पर परखा जाता है। इनका मूल्यांकन करते समय सरकार के नियामक और उद्योग भागीदार के रूप में उसके वाणिज्यिक हितों को अलग करके देखा जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्रचना परिषद का गठन करने के साथ लेखा महानियंत्रक कार्यालय में पूंजी पुनर्रचना प्रकोष्ठ परिषद की स्वीकृति के लिए प्रस्तावों के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त पुनर्रचना प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणी देता है।

मानव संसाधन विकास : लेखा महानियंत्रक भारतीय सिविल अकाउंट्स सेवा और सिविल मंत्रालयों में तैनात लेखा कर्मियों के संवर्ग का प्रबंध देखता है, और उनकी भर्ती, स्थानांतरण, प्रोन्नति, प्रशिक्षण और देश-विदेश में क्षमता निर्माण तथा समय-समय पर संवर्ग संख्या और तैनाती की समीक्षा आदि सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

प्रशिक्षण : सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान की स्थापना 1992 में लेखा महानियंत्रक के तत्वावधान में सिविल लेखा कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए की गयी थी। यह संस्थान सरकारी लेखा और वित्त के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट केंद्र का रूप ले चुका है। यह सिविल लेखा संगठन का 'थिंक टैंक' बन गया है, जो महालेखा नियंत्रक को प्रशिक्षण आवश्यकताओं और उनके तकनीकी मामलों की जानकारी देता है।

यह संस्थान सिविल सेवा संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करता रहा है।

सरकारी लेखा और वित्त संस्थान विभिन्न सरकारी और स्वायत्तशासी संस्थाओं को परामर्श भी देता है। विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा अन्य द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों के अंतर्गत यह संस्थान कई अन्य देशों के लेखा एवं वित्त कर्मियों को भी प्रशिक्षण देता रहा है। संस्थान का मुख्यालय दिल्ली में है तथा मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

वित्त आयोग प्रभाग

महालेखा नियंत्रक (जीसीए) कार्यालय में निगरानी प्रभाग पर लोक लेखा समिति (पीएसी) की अनुशंसाओं पर संशोधन/सुधार संबंधी टिप्पणियों पर हुई प्रगति पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जैसा कि समय-समय पर उनकी रिपोर्टों में उल्लेख किया जाता रहा है। इसके अलावा इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सिविल) में दर्ज विभिन्न भागों पर कार्रवाई संबंधी टिप्पणियो को सौंपे जाने की प्रक्रियाओं के समन्वय, संग्रहण एवं निगरानी की भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। साथ ही इसे वार्षिक विनियोग एकाउंट्स में उल्लेख किये जाने वाले 100 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त खर्चों एवं बचत के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओर से सौंपी जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणियों को जमा करने, उनके बीच समन्वय करने तथा उन्हें सही समय पर लोक लेखा समिति को सौंपने की भी जिम्मेदारी दी गयी है। इसके अतिरिक्त निगरानी प्रभाग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओर से सौंपी जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणियों को जमा करने, उनके बीच समन्वय करन तथा उन्हें सही समय पर लोक लेखा समिति को सौंपने की भी जिम्मेदारी दी गयी है। इसके अतिरिक्त निगरानी प्रभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की गारंटी संस्थानों से अनुप्रयोग संबंधी प्रमाणपत्र हासिल करने की भी जिम्मेदारी दी गयी है।

यह संस्थान सिविल लेखा संगठन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के अलावा केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है।

आईएनजीएएफ विभिन्न सरकारी एवं स्वायत्तशासी संस्थानों को परामर्श भी देता है। विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्री तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा अन्य द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अंतग यह संस्थान कई अन्य लेखों के लिखा एवं वित्त कर्मियों को भी प्रशिक्षण देता रहा है।

संस्थान का मुख्य केंद्र दिल्ली में है और मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

ऋण एकीकरण और माफी योजना (2005-10)

ग्यारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की अनुशंसाओं के आधार पर गठित ऋण एकीकरण एवं राहत सुविधा (डीसीआरएफ) में दो घटक हैं—केंद्रीय ऋणों का एकीकरण (वित्त मंत्रालय से) और ऋण माफी। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी 31 मार्च, 2004 तक केंद्र से राज्यों को मिले ऋण तथा 3 मार्च, 2005 को बकाया ऋण (ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुमान के अनुसार 128,795 करोड़ रुपये) को एकीकृत किया जा सकता है तथा 20 साल की एक नयी अवधि के लिये फिर से निर्धारित किया जा सकता है। (परिणामस्वरूप बराबर-बराबर की 20 किस्तों में भुगतान हो सके) और उस पर 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर ली जा सके। अब तक 28 में से 25 राज्यों के केंद्रीय ऋण (वित्त मंत्रालय से) को 112076 करोड़ रुपये तक एकीकृत किया जा सका है। जम्मू-कश्मीर उन राज्यों में शामिल है जिसने एफआरबीएमए का क्रियान्वयन किया है, जो डीसीआरएफ के तहत लाभ लेने की एक पूर्व शर्त है। इन राज्यों के ऋण को एकीकृत किया जाना है। ऋण एकीकरण ने राज्यों को 2005-06 में 4392 करोड़ रुपये, 2006-07 में 2995 करोड़ रुपये तथा 2008-09 में 3398 करोड़ रुपये तक की ब्याज संबंधी राहत प्रदान की है।

डीसीआरएफ का दूसरा घटक कर्ज माफी है। 2005-06 के लिये 15 राज्यों को 3984.35 करोड़ रुपये तक, 2006-07 के लिये 20 राज्यों को 4691.56 करोड़ रुपये तक, 2007-08 के लिये 18 राज्यों को 4609.55 करोड़ रुपये तक कर्ज माफी प्रदान की गयी और 2008-09 में 23 राज्यों को दी जाने वाली अनुमानित कर्ज माफी 5536.59 करोड़ रुपये की है।

केंद्रीय करों और शुल्कों तथा सहायता अनुदान में हिस्सेदारी : 12वें वित्त आयोग ने 2005-10 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में कुल रुपये 7,55,752 करोड़ रुपये (केंद्रीय करों और शुल्कों में 6,13,112 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी तथा 1,42,640 करोड़ रुपये के अनुदान) हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। विभिन्न क्षेत्रों एवं मदों में ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार जारी किये गये अनुदान इस प्रकार हैं

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	अनुदान का उद्देश्य	2005-10 के दौरान	29 जुलाई 2008 तक जारी
1.	स्थानीय निकाय अनुदान	25000	13124.59
2.	आपदा राहत में केंद्र की हिस्सेदारी	16000	10326.86
3.	गैर योजना राजस्व घाटा अनुदान	56856	40871.14
4.	शिक्षा संबंधी अनुदान	10172	5594.14
5.	स्वास्थ्य के लिए अनुदान	5887	3271.38
6.	सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए अनुदान	15000	8720.48

7.	सार्वजनिक भवनों के रखरखाव के लिए अनुदान	5000	2532.24
8.	जंगलों के रखरखाव के लिए अनुदान	1000	631.34
9.	स्मारकों के संरक्षण के लिए अनुदान	625	338.94
10.	राज्यों की विशेष जरूरतों के लिए अनुदान	7100	2552.08

राहत खर्च का वित्त पोषण

12 वें वित्त आयोग ने आपदा राहत कोष योजना को उसके मूल रूप में जारी रखने की सिफारिश की है, जिसके लिए केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात से योगदान करते हैं।

आयोग ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क योजना को भी उसके वर्तमान रूप में जारी रखने की सिफारिश की है, जिसकी बुनियादी राशि 500 करोड़ रुपये है। इस कोष से खर्च की गयी राशि की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क की वसूली और विशेष अधिभार लगाकर की जा सकती है।

आपदा राहत कोष में केंद्र के हिस्से के रूप में वर्ष 2005-06 में 2,622.94 करोड़ रुपये, वर्ष 2006-07 में 3,521.06 करोड़ रुपये, और वर्ष 2008-09 (30.07.2008 तक) में 843.66 करोड़ रुपये जारी किए गए।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क योजना में केंद्र के हिस्से के रूप में वर्ष 2005-06 में 3,061.44 करोड़ रुपये, वर्ष 2006-07 में 1,962.05 करोड़ रुपये, और वर्ष 2007-08 और 2008-09 में 321.31 करोड़ रुपये (29.07.2008 तक) और 873.88 करोड़ रुपये जारी किए गए।

मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय

मुख्य लागत सलाहकार (सीएसी) का कार्यालय, जिसे पहले लागत लेखा शाखा कहा जाता था, व्यय विभाग में कार्यरत प्रभागों में से एक है। सीएससी कार्यालय का दायित्व मंत्रालय और सरकारी प्रतिष्ठानों को लागत लेखा मामलों में परामर्श देना है। यह विभाग उनकी ओर से लागत जांच कार्यों को अंजाम देता है। यह एक व्यावसायिक एजेंसी है, जिसमें लागत/सनदी लेखाकार कार्य करते हैं।

इसकी स्थापना सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गयी और इसे रक्षा खरीद सहित सरकारी विभागों के लिए उत्पादन की लागत की जांच करने और सौंपे गए मामलों के संदर्भ में उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने का काम सौंपा गया। इस कार्यालय की भूमिका का विस्तार हुआ और यह प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाली वस्तुओं, पैट्रोलियम, इस्पात, कोयला, सीमेंट इत्यादि की कीमतें तय करने लगा। मंत्रालयों में लागत/मूल्य निर्धारण कार्यों में दिन ब दिन बढ़ोतरी को देखते हुए विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों ने विभागीय विशेषज्ञों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया और लागत/वाणिज्यिक लेखा मामलों में विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हुआ।

सरकार में लागत प्रबधन और वित्तीय लेखा विधि संबंधी विशेषज्ञों का स्रोत होने के नाते यह कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। उदारीकरण परवर्ती युग में यह कार्यालय लागत-मूल्य अध्ययन के परंपरागत क्षेत्रों के अतिरिक्त सरकार की उदारीकरण नीति के अनुरूप अध्ययन भी संचालित करता है। सीएसी कार्यालय ने नए क्षेत्रों में प्रवेश किया है और यह बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अध्ययन संचालित करता है।

सीएसी कार्यालय लागत एवं प्रबंधन लेखा विधि मामलों में विशेषज्ञता का भंडार होने के नाते

पिछले वर्षों में लागत एवं मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों, लागत में कमी संबंधी अध्ययनों, लागत सक्षमता, उचित मूल्य निर्धारण के लिए उद्योग स्तरीय अध्ययनों, परियोजानाओं के लागत-लाभ विश्लेषणों, वाणिज्यिक वित्तीय प्रबंधन विश्लेषणों, पूंजी गहन परियोजनाओं के प्राक्कलन, मुनाफा विश्लेषण और लागत एवं वाणिज्यिक वित्तीय लेखाविधि विकसित करने वाले आधुनिक प्रबंधन उपकरणों के इस्तेमाल, आदि मामलों में प्रमुख व्यावसायिक एजेंसी के रूप में उभरा है।

मुख्य लागत सलाहकार कार्यालय भारतीय लागत लेखा (आईसीएएस) के संवर्ग नियंत्रक कार्यालय के रूप में भी काम करता है, और काडर प्रशासन के बारे में भी परामर्श देता है। यह अधिकारियों के ज्ञान और कुशलता के सतत उन्नयन के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताएं भी पूरी करता है। यह इन सभी मामलों से संबधित विभिन्न प्रकार के अध्ययनों का संचालन भी करता है।

यह कार्यालय विभिन्न भागीदार संगठनों में कार्यरत आईसीएएस अधिकारियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन देने के अतिरिक्त आईसीएएस अधिकारियों के समुचित मानव संसाधन विकास के लिए अपेक्षित समन्वय करते हुए जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है।

सीएसी कार्यालय के प्रमुख व्यावसायिक कार्य इस प्रकार हैं :

(i) मूल्य/लागत संबंधी जटिल मुद्दों के समाधान, विभिन्न सेवाओं/उत्पादों के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने में सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को लागत मामलों में परामर्श देना।

(ii) सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और आपूर्ति कर्ताओं के बीच क्रय संबंधी अनुबंधों के दावों की जांच/परीक्षण।

(iii) सरकार को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्य निर्धारित करना, ताकि सरकारी विभाग आपूर्ति कर्ता संगठनों के साथ मोल भाव कर सके।

(iv) लागत/उचित मूल्य निर्धारण के लिए यूनिट विषयक और उद्योग स्तरीय अध्ययन कराना तथा उत्पादों के लिए उचित मूल्य/दरों तथा सेवाओं के लिए इस्तेमाल प्रभारों के लिए सिफारिशें करना, इन प्रभारों में संशोधन करना और वसूल किए गए मूल्यों, शुल्क संरचना आदि की उपयुक्तता तय करना।

(v) किए गए व्यापार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के शेयरों का मूल्यांकन।

(vi) लागत/वित्तीय एवं मूल्य निर्धारण मामलों के बारे में सरकार/विभिन्न विभागों द्वारा गठित समिति के अध्ययक्ष/सदस्यों के रूप में काम करना।

(vii) औद्योगिक प्रतिष्ठानों की लागत एवं निष्पादन लेखा परीक्षा।

(viii) उर्वरक उद्योग समन्वय समिति द्वारा निर्धारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लागत बढ़ोतरी संबंधी दावों की समवर्ती आंतरिक लेखा परीक्षा।

(ix) सब्सिडी से होने वाली हानि और दावों की जांच।

(x) विभागीय प्रतिष्ठानों/स्वायत्त निकायों के लिए लागत लेखा प्रणाली।

(xi) प्रमुख परियोजनाओं में समय और लागत की अधिकता, सक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता अध्ययन।

(xii) मूल्य निर्धारण विवादों के समाधान में विवाचक के रूप में काम करना।

(xiii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रयोजनों के लिए मूल्य निर्धारण।

(xiv) केंद्रीय उत्पादन शुल्क के प्रयोजनों के लिए कटौती दर का निर्धारण।

(xv) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 14–ए के अंतगर्त विशेष लेखा परिक्षणों की समीक्षा।

मार्च, 2008 तक मुख्य लागत सलाहकार कार्यालय द्वारा 8034 अध्ययनों/रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया और इनमें से 176 रिपोर्टों को 2007–08 के दौरान पूरा किया गया। वर्ष के दौरान जो अध्ययन पूरे किए गए उनके विषय बहुत व्यापक रहे और इन विषयों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:

(1) फार्मास्युटिकल उद्योग

रूपांतरण लागत, पैकेजिंग प्रभार और प्रोसेस हानि के लिए मानदंड निर्धारित करना ताकि डीपीसीओ 1995 के अंतर्गत औषधि फार्मूलों के मूल्य तय किए जा सकें।

(2) भारत सरकार मुद्रणालय के संदर्भ में लागत प्रणाली की समीक्षा तथा सामान्य घंटा दर और प्रति व्यक्ति प्रतिशत तय करना।

(3) डाक विभाग के लिये इस्तेमालकर्ता प्रभारों का अध्ययन।

(4) विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा एकल निविदा आधार या सीमित संसाधनों द्वारा खरीदी गयी वस्तुओं/सेवाओं का उचित मूल्य निर्धारण – इंटरसेप्टर नौकाओं की कीमतों का विश्लेषण।

(5) सरकार के उत्पादक/सेवा प्रदाता होने या इस्तेमालकर्ता होने के संदर्भ में उत्पादों/सेवा का उचित बिक्री मूल्य तय करना।

(6) सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं की ओर से प्रदान की सेवाओं के लिए सेवा प्रभार तय करना।

(7) खानपान (संसद भवन परिसर और प्रधानमंत्री कार्यालय) के लिए सब्सिडी का निर्धारण।

(8) विभागीय विनिर्माण इकाइयों के मामले में बीमांकिक लेखा प्रणाली सिद्धांतों के आधार पर अंतिम लेखे तैयार करना।

(9) एफआईसीसी द्वारा अदा किए गये बढ़े हुये दावों की समवर्ती लेखा परीक्षा – वर्ष 2007–08 के विभिन्न उर्वरक कंपनियों के दौरान समतुल्य भाड़ा दर/बढ़े हुये दावों के संदर्भ में 120 रिपोर्टें जारी।

(10) अन्य अध्ययन।

–सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना के लिये मेसर्स सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय ड्रेजिंगिंग कॉरपोरेशन को अदा की जाने वाली रकम के निर्धारण के लिए गठित समिति की रिपोर्टें।

–अफीम के निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिये अफीम की कीमत की समीक्षा।

–सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिये लौह अयस्क की मूल्य प्रणाली तय करने के लिये गठित समिति के सदस्य के रूप में लागत मूल्य और लौह अयस्क इकाई की लाभ संरचना के बारे में सौंपे गये ब्योरे।

–सचिवालय समिति की बैठक के दिशानिर्देश के अनुसार प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण तथा आपूर्ति से जुड़े मुद्दे पर टिप्पणी तैयार करना।

–मार्केटिंग अभियान में स्टॉक हानि से जुड़े मुद्दों के बारे में रिपोर्ट तैयार करना।

–भारतीय शक्कर उद्योग 2004–07 की समुचित मूल्य संरचना के संदर्भ में विचलन की समीक्षा।

–उर्वरक इकाई द्वारा यूरिया उत्पादन में प्राकृतिक गैस के स्थान पर महंगे फीड स्टॉक (नेष्था आदि) के इस्तेमाल के कारण सब्सिडी निगम में वृद्धि पर टिप्पणी।

–छोटे नागरिक विमानों, डिजाइन, विकास एवं उत्पादन संबंधी सीएसआईआर नेटवर्क परियोजना के क्रियान्वयन में लागत और समय पर विचार करने के लिये गठित समिति के सदस्य के रूप में रिपोर्ट – सीएसआईआर। आपरेशन में.....

प्रमुख समितियां जिनमें प्रतिनिधत्व किया

मुख्य लागत सलाहकार कार्यालय के अधिकारी चूंकि वाणिज्यिक लेखा विधि में विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए उन्होंने निम्नांकित प्रमुख बहुविषयी अंतर मंत्रालयी/विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में भी काम किया :

(1) राष्ट्रीय फार्मास्युटिक्ल्स मूल्यन प्राधिकरण, पैट्रो रसायन विभाग।

(2) राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तथा सोसायटी के रूप में काम करना।

(3) उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए कटौती संबंधी परामर्श समिति–राजस्व विभाग।

(4) टीयर स्मोक यूनिट, बीएसएफ, टेकनपुर की कार्यकारिणी।

(5) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समय एवं लागत अधिक लगने के लिए जिम्मेदारी तय करने के वास्ते गठित की जाने वाली स्थायी समितियां।

(6) उर्वरक विभाग की उर्वरक उद्योग समन्वय समिति।

(7) बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत कृषि जिंसों की खरीद पर विचार करने संबधी समिति।

(8) अंडमान निकोबार प्रशासन के लिए 400–पैक्स–एवं–100 टन कार्गो जहाज के निर्माण तथा लाइट हाउस एवं लाइट शिप्स विभाग के लिए लाइट हाउस टेंडर जहाजों के निर्माण पर निगरानी के वास्ते एचडीपीई लिमि. द्वारा बनाई गयी समिति।

(9) भारतीय सर्वेक्षण की सेवाओं एवं उत्पादों के मूल्यन/लागत के अध्ययन संबंधी समिति।

(10) पेटेंट कार्यालय,पेटेंट महानियंत्रक, डिजाइन एवं ट्रेंड मार्क्स, उद्योग नीति एवं सवर्द्धन विभाग में व्यापक कम्प्यूटरीकरण के लिए सी–डैक के प्रस्ताव के मूल्यांकन संबंधी समिति।

(11) विभिन्न उत्पादों के संदर्भ में कंपनी कार्य विभाग द्वारा बनाए गए लागत लेखा विधि नियमों के मसौदे की जांच के लिए गठित सलाहकार समिति।

(12) स्टाम्प एवं पंजीकरण की राज्य सचिवों की स्थायी समिति।

(13) केंद्र सरकार के भवनों/प्रतिष्ठानों में ऊर्जा बचत उपायों के संचालन एवं कार्यान्वन संबंधी समिति।

(14) विभिन्न टकसालों और मुद्रणालयों के लिए एक समान लागत एवं प्रारूप लेखा तैयार करने संबंधी समिति।

(15) आरवीई प्रोग्राम में प्रयुक्त की जाने वाली मानक लागत प्रणाली तय करने और उसे मंजूरी देने के लिए बनायी गयी विशेषज्ञों/संबद्ध पक्षों की समिति।

(16) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की वसूली संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए बनायी गयी समिति।

(17) भारत सरकार मुद्रणालयों के लिए लेखा विधि नियमों के मसौदे में वर्णित विभिन्न नीतियों एवं पद्धतियों के गहन अध्ययन से संबद्ध समिति।

मुख्य लागत सलाहकार कार्यालय की बढ़ती हुई भूमिका

भारतीय अर्थ व्यवस्था के उदारीकरण के बाद, आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है। प्रतिस्पर्धा के माहौल में लागत का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। सरकार की भूमिका भी तेजी से बदल रही है और वह प्रशासक की बजाय सुविधा प्रदाता एवं नियामक की भूमिका अदा कर रही है। बदलते माहौल में मुख्य लागत सलाहकार कार्यालय के विस्तार की उम्मीद की जाती है। ऐसे में मौजूदा कार्यों के अतिरिक्त इस कार्यालय को आने वाले वर्षों में निम्नांकित नये क्षेत्रों में भी ध्यान केंद्रित करना होगा :

- इस्तेमाल प्रभारों के निर्धारण के लिए केंद्रीय निकाय के रूप में काम करना।
- रिजिड्यूवल नियामक प्राधिकरण के रूप में काम करना, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र/प्रत्येक मंत्रालय के लिए ऐसा अलग प्राधिकरण बनाना संभव नहीं है और लागत की दृष्टि से प्रभावकारी भी नहीं है।
- सब्सिडी निर्धारण/शुल्क/मूल्य निर्धारण/नियामक प्राधिकरणों की तकनीकी लेखा परीक्षा।

(i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अदा की गयी सब्सिडी संबंधी विभिन्न दावों की समवर्ती विभागीय लेखा परीक्षा।

(ii) उत्पाद शुल्क और सेवा कर की छूट—विभिन्न उद्योगों का प्रतिनिधित्व।

(iii) विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं जैसे सूचना एवं प्रसारण, उच्चतर शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलपूर्ति, परिवहन, पर्यटन, आदि के निर्धारण के लिए केंद्रीय निकाय के रूप में करना।

(iv) हस्तांतरण मूल्य निर्धारण से उत्पन्न मामलों में राजस्व अधिकारियों की सहायता करना।

(v) विभिन्न सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों का सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण अध्ययन करना।

राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान

केंद्र सरकार ने ग्रुप-ए लेखा सेवा के सीधे भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1994 में वित्त मंत्रालय के स्वायत्त संगठन के रूप में इस संस्थान की स्थापना की थी। इसकी पंजीकृत सोसायटी में केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय के सचिव (व्यय) और विभिन्न लेखाकरण सेवाओं के प्रमुख पदेन सदस्य होते हैं। यह सोसायटी नीतिगत दिशा-निर्देश तय करती है। इस समय यह संस्थान लंबी अवधि के दो पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। लेखाकरण सेवाओं के नये भर्ती परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 44 हफ्तों का व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठानों और सरकार के अधीन अन्य संगठनों के अधिकारियों के लिए व्यापार प्रबंधन में दो वर्षीय (वित्तीय प्रबंधन) स्नानकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम। इसके अतिरिक्त यह संस्थान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, स्थानीय निकायों और विभिन्न देशों के अधिकारियों के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रमों का भी संचालन करता है।

यह संस्थान विश्व बैंक के लिए खरीद प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए दो संस्थानों में से एक है। यह संस्थान भारत सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों, जिनमें प्रमुख

हैं— भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम आदि, दिल्ली विद्युत बोर्ड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, (इग्नू), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलॉजी संस्थान, उड़ीसा सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, नगालैंड विश्वविद्यालय और ऐसे ही अन्य संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

राजस्व

राजस्व विभाग केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के राजस्व संबंधी मामलों की देखरेख दो सांविधिक बोर्डों-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से करता है। इस विभाग को केंद्रीय बिक्री कर, स्टैम्प ड्यूटी, विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वालों और तस्करों की संपत्ति जब्त करने, तथा अन्य राजकोषीय कानूनों का परिपालन करने, नियंत्रणों को लागू करने और नियमों का पालन कराने का काम सौंपा गया है। अफीम और उसके उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर भी इस विभाग का नियंत्रण है।

प्रत्यक्ष कर

आयकर विभाग प्रत्यक्ष करों से संबंधित अनेक अधिनियमों को लागू करता है, जैसे—आयकर अधिनियम, 1961, सम्पदा कर अधिनियम, 1957, उपहार कर अधिनियम, 1958, ब्याज कर अधिनियम, 1974, प्रतिभूति लेन देन कर अधिनियम, 2004, बैंकिंग नकद लेने देन पर अधिनियम, 2005, फ्रिंज बेनीफिट अधिनियम, 2004। सारणी 13.5 में वर्ष 2000-01 से विभिन्न प्रत्यक्ष करों के रूप में प्राप्त राजस्व संग्रह के आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी 13.5

(करोड़ रुपये में)

कर	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	*2006-07
निगम कर	35,696	36,609	46,172	63,562	82,680	101277.16	1,43,260
आय कर	31,764	32,004	36,866	41,387	49,268	55,984.62	74,213.04
ब्याज कर	414	189	-275	-46	50	13.24	5.02
प्रतिभूति लेन देन कर	-	-	-	-	590	2559.38	4648.00
बैंकिंग नकद लेन-देन कर	-	-	-	-	-	321.33	502
फ्रिंज बेनीफिट कर	-	-	-	-	-	4772.28	5323
सम्पदा कर	132	135	154	136	145	250.35	242.70
उपहार कर	-3	-0.30	-2	-2	1	2	2

*वर्ष 2006-07 के लिए आंकड़े अनंतिम थे।

प्रत्यक्ष करों में प्रमुख परिवर्तन

वित्त अधिनियम 2007 के जरिये बुनियादी आयकर सीमा बढ़ाकर 1,10,000 रुपये की गई है। 1,10,000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक की आय पर कर 10 प्रतिशत, 1,50,000 रुपये से 2,50,000

रुपये तक की आय पर कर 20 प्रतिशत और 2,50,000 रुपये से अधिक आय पर कर 30 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। किंतु 65 वर्ष से नीचे की आयु वाली महिलाओं के लिए कर में छूट की सीमा बढ़ाकर 1,45,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या अधिक आयु का होने की स्थिति में निवासी भारतीय व्यक्ति के मामले में कर में छूट की सीमा बढ़ाकर 1,95,000 रुपये की गई है। फर्मों और घरेलू कंपनियों के लिए कर की दर 30 प्रतिशत जारी रहेगी। अधिभार और शिक्षा कर की दर भी पिछले वर्ष के बराबर ही रहेगी।

वित्त अधिनियम 2007 द्वारा किए गए उपाय

राजस्व संग्रह के उपाय

- 'भारत' की पूर्ववर्ती परिभाषा के अनुसार संघशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, गोआ, दमन और द्वीव तथा पांडिचेरी 'भारत' में समाहित हैं। इस परिभाषा को नया रूप दिया गया जिसके अनुसार 'भारत' का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दी गई परिभाषा में वर्णित भारत। इसके अनुसार प्रादेशिक जल, समुद्रतल और समुद्र जल के नीचे अवमृदा, महाद्वीपीय कगार, विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा कोई अन्य समुद्री जोन भारत में समाहित है, जिसका उल्लेख प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय कगार, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री जोन अधिनियम 1976 में किया गया हो। इसके अतिरिक्त भारतीय भूक्षेत्र और भारत के प्रादेशिक जल के ऊपर का हवाई क्षेत्र भी भारत में समाहित है।
- कर लाभों को केद्रिंत बनाने और महत्वपूर्ण, जोखिम की आशंका वाले संभावनाशील क्षेत्रों में मौजूदा और भावी निवेश प्रवाहित करने के प्रयोजन से 9 चुने हुए महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों में लगे जोखिम पूंजी प्रतिष्ठानों में निवेश से होने वाली आय पर कर में छूट की सुविधा किसी ऐसी जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान या जोखिम पूंजी कोष तक सीमित कर दी गई है।
- किसी भी घरेलू कंपनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा अदा की गई राशि पर लाभांश वितरण कर की दर 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई। लाभांश वितरण कर में बढ़ोतरी इसलिए की गई क्योंकि प्राप्तकर्त्ता के मामले में मार्जिनल कर की 30 प्रतिशत की दर की तुलना में 12.5 प्रतिशत की दर बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त 31.12.2006 तक इलेक्ट्रोनिक तरीके से दर्ज की गई कारपोरेट टैक्स रिटर्नों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रभावकारी कारपोरेट कर की दर 19.26 प्रतिशत से कम बनी रही। इससे पता चलता है कि लाभांश का भुगतान उस लाभ से किया जा रहा है, जिस पर पूरा कर अदा नहीं किया गया।
- किसी मुद्रा बाजार म्यूच्ऑल फंड अथवा लिक्विड फंड द्वारा वितरित आय पर 25 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया है। इससे पहले इस आय पर आयकर अधिनियम की धारा 115 आर के अंतर्गत 12.5 प्रतिशत (व्यक्तियोंकी/ अविभाजित हिन्दू परिवारों को वितरित किये जाने पर) और 20 प्रतिशत (अन्य को वितरित किये जाने पर) की रियायती दर से कर लगाया जा रहा था। मुद्रा बाजार म्यूच्यूअॅल फंड या लिक्विड फंड से भिन्न किसी अन्य ऋण द्वारा वितरित आय पर कर क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से जारी रहेगा।
- धारा 115 जेबी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 10ए और 10बी के अंतर्गत छूट का लाभ उठा रही कंपनियां अब न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करेंगी।

- आयकर अधिनियम की धारा 115 डब्ल्यू बी और 115 डब्ल्यू सी में संशोधन किये गए हैं ताकि कर्मचारी शेयर विकल्प योजनाओं (ईएसओपी) को फ्रिंज बेनीफिट कर के दायरे में लाया जा सके। कर्मचारियों को ईएसओपी मंजूर करने से उत्पन्न फ्रिंज लाभ का मूल्य तय करने के लिए निवेश करने की तारीख को शेयरों के उचित बाजार भाव में से कर्मचारियों द्वारा शेयर प्राप्त करने के लिए अदा की गई राशि को घटाया जाएगा।
- पूंजी आस्तियों के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तत्संबंधी खंड में संशोधन किया गया है ताकि पुरातत्वीय संग्रहों, चित्रों, आरेखों, मूर्तियों अथवा किसी अन्य कलाकृति को व्यक्तिगत सामान के अर्थ से बाहर समझा जा सके। इस तरह के व्यक्तिगत सामान के हस्तांतरण पर अभी तक कर से छूट थी लेकिन अब उस पर पूंजी लाभ कर लगेगा।

युक्तिसंगत बनाने और सरलीकरण के उपाय

- अधीनस्थ कानून (14वीं लोकसभा) के बारे में संसदीय समिति की पांचवीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों तथा संस्थानों के पंजीकरण की प्रक्रिया सुचारू बनाने के लिए किसी न्यास या संस्थान के मामले में उसके निर्माण या स्थापना की तारीख से एक वर्ष के भीतर आयकर पंजीकरण के लिए आवेदन करने की मौजूदा शर्त हटा दी गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे पंजीकरण के मामले में छूट की अवधि निर्धारित करने से संबद्ध आयुक्त के विवेकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है। तदनुरूप पंजीकरण उस वित्त वर्ष में उपलब्ध होगा, जिसके अंतर्गत तत्संबंधी आवेदन किया गया हो।
- कुछ धर्मार्थ और धार्मिक निकायों के संदर्भ में आयकर पर छूट की अनुमति तभी दी जाएगी जब केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो। इस अधिकार को विकेन्द्रित करते हुए ऐसे निकायों को छूट की मंजूरी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। निर्धारित प्राधिकारियों में सीबीडीटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत मुख्य आयुक्त/महानिदेशक होंगे। 1 जून, 2007 के बाद केंद्र सरकार द्वारा ऐसी छूट के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।
- अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान के मामले में छूट की अनुमति सहकारी बैंकों को धारा 36 (1)(viiए) के अंतर्गत दी जाएगी।
- धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित कोष के निर्माण और रखरखाव के संदर्भ में कटौती संबंधी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया।
- सुनवाई की पुनरावृत्ति, संवैधानिक समयसीमा के अभाव आदि घटकों के कारण आयकर निपटान आयोग द्वारा मामलों के निपटारे में होने वाले विलम्ब से बचने के लिए आयोग द्वारा मामलों के निपटारे संबंधी प्रक्रिया को सुचारु बनाया गया।
- बैंकिग नकद लेन-देन कर (बीसीटीटी) के प्रावधानों में संशोधन किया गया ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालयों अथवा प्रतिष्ठानों को बीसीटीटी के दायरे से बाहर रखा जा सके। बैंकिंग लेन-देन की कर योग्य मौजूदा सीमा व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दू परिवार के मामले में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है।
- विमान संचालन व्यापार में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और सहकारी बैंकों के लिए कर रहित एकीकरण/विलय समाप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एकीकरण या विलय समाप्त करने में संचयी हाानि और अनवशोषित मूल्यह्रास अग्रेनीत करने और समायोजन करने संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया।

करदाताओं के लिए कल्याणकारी उपाय

- वस्तु विनिमय से संबद्ध निवेशक संरक्षण फंडों को निवेशकों के कल्याण संबंधी गतिविधियां चलाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की अनुमति देने के लिए अधिसूचित निवेशक संरक्षण फंडों को आयकर में छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट फिलहाल मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों द्वारा गठित निवेशक संरक्षण फंडों को उपलब्ध छूट की तर्ज पर वस्तु विनिमय से प्राप्त होने वाले अंशदान के मामले में अधिसूचित निवेशक संरक्षण फंडों और उसके सदस्यों को दी जाएगी।
- आपदा की स्थिति में पीड़ितों और उनके परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि पर आयकर में छूट देने के लिए किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त मुआवजा राशि को कर्ज से मुक्त करने का प्रावधान किया गया।
- आयकर अधिनियम की धारा 80(सी) में संशोधन किया गया है ताकि नाबार्ड द्वारा जारी और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित रूरल बांडों को उसमें शामिल किया जा सके। यह प्रावधान उन निवेशकों के लिए है जो इस धारा के अंतर्गत अतिरिक्त निवेश आयाम के रूप में कर लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हों।
- इसे ध्यान में रखते हुए कि अभी कुछ और वर्षों तक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए राजकोषीय सहायता की आवश्यकता है, धारा 35 की उपधारा (2 एबी) के खंड (1) के अंतर्गत भारित कटौती की अनुमति 5 वर्ष के लिए और जारी रखी गई।

सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रावधान

- शहरी ढांचे में पूंजी निवेश के लिए धन उगाहने में शहरी स्थानीय निकायों को सक्षम बनाने के लिए किसी अधिसूचित राज्य पूल से संबद्ध वित्तीय कंपनी द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की ओर से जारी अधिसूचित बांडों पर ब्याज पर छूट दी गई है।
- धारा 80 आईए के अंतर्गत दी जाने वाली छूट का विस्तार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के प्रचालन कार्य के संदर्भ में किया गया है ताकि एलपीजी सिलेन्डरों पर सब्सिडी मद में सरकार का खर्च कम किया जा सके। उम्मीद की जा रही है कि प्राकृतिक गैस एलपीजी का विकल्प बनेगी।
- आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबी की उपधारा (4) में प्रावधान है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में 1 अप्रैल, 1993 से लेकर 31 मार्च, 2007 की अवधि में स्थापित उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत कटौती (कंपनी के मामले में 30 प्रतिशत) की छूट होगी जो वस्तुओं या चीजों के विनिर्माण अथवा उत्पादन या शीत भंडार संयंत्र के प्रचालन में लगे होंगे। राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाने और पात्रता के लिए कार्य प्रारंभ करने की अंतिम तिथि 5 वर्ष के लिए और यानी 31.3.2007 से बढ़ाकर 31.3.2012 तक कर दी गई है। यह संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
- आयकर अधिनियम में 80-आईडी नाम की नई धारा जोड़ी गयी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और गुड़गांव जिलों में होटलों और कन्वेंशन सेंटरो से प्राप्त होने वाले लाभ के संदर्भ में कटौती की व्यवस्था करना है।

यह संशोधन दिल्ली में 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान आगन्तुकों के लिए पर्याप्त संख्या में होटलों के कमरे उपलब्ध कराने और साथ ही कन्वेंशन सैंटरों की संख्या बढ़ाने में मदद पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।

- सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों और अन्य रियायतों के पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज को पूर्वोत्तर औद्यागिक एवं निवेश संवर्द्धन नीति (एनईआईआईपीपी) 2007 का नाम दिया गया है। वित्त विधेयक 2007 के जरिए आयकर अधिनियम 1961 में नई धारा 80-आईई जोड़ी गयी है, ताकि पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्द्धन नीति (एनईआईआईपीपी)2007 को अमली जामा पहनाया जा सके।

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संबंधी प्रावधानों में संशोधन

- 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड 2003 के संदर्भ में स्रोत पर कटौती का प्रावधान करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा-193 में संशोधन।
- किसी बैंकिग कंपनी या को-ओपरेटिव सोसायटी या केंद्र सरकार की किसी भी अधिसूचित योजना के अंतर्गत डाकघर से संबद्ध किसी अन्य जमा राशि पर देय ब्याज के संदर्भ में धारा 194-ए के अंतर्गत स्रोत पर कटौती की सीमा बढ़ाकर 10 हजार रुपये की गयी।
- धारा 194-आई के अंतर्गत किसी मशीनरी या संयंत्र या उपकरण के इस्तेमाल के लिए किराये में से स्रोत पर कर कटौती की दर मौजूदा 15 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत, जो भी लागू हो, से घटाकर 10 प्रतिशत की गयी।
- धारा 194-जे के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर कटौती 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की गयी।
- कमीशन या दलाली के भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती यानी धारा 194-एच के तहत स्रोत पर कर कटौती की दर मौजूदा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की गयी।

अप्रत्यक्ष कर

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, केंद्र सरकार के लिए अप्रत्यक्ष कर राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं। वर्ष 2006-07 (अनंतिम) के दौरान सीमा शुल्क से 86,304 करोड़ रुपये, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 1,18,121 करोड़ रुपये और बिक्री से 37,482 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

सीमा शुल्क

सीमाशुल्क की यथामूल्य शीर्ष दर : एक युक्तिसंगत और सरलीकृत कर-संरचना कायम करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में गैर-कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क की शीर्ष दर कुछ अपवादों को छोड़कर 2007-08 के बजट में 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी। टेक्सटाइल फेब्रिक्स और परिधानों पर सीमा शुल्क का यथामूल्य घटक 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। किंतु विशेष घटक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार वर्तमान में दो प्रमुख यथा मूल्य सीमा शुल्क दरें 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हैं।

अन्य बजटीय परिवर्तन :

2007-08 के बजट में सीमा शुल्क में किए गए अन्य प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

अतिरिक्त सीमा शुल्क : निम्नांकित वस्तुओं को अतिरिक्त सीमा शुल्क की प्रचलित 4 प्रतिशत दर

से छूट दी गयी है :

(अ) सभी खाद्य तेल, कच्चे और परिष्कृत।

(आ) रोस्टिड मोलिब्डेनम अयस्क और सान्द्रित।

सेलफोन के हिस्सेपुर्जे, कम्पोनेंट और अनुषंगियों पर शुल्क छूट 30-06-2009 तक बढ़ा दी गयी है।

धातुएं और उनसे बने उपकरण : लौह और इस्पात के गौण और अपूर्ण हिस्सों पर सीमा शुल्क की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की गयी।

निर्यात शुल्क : निम्नांकित पर निर्यात शुल्क लगाया गया :

(अ) सभी प्रकार के लौह अयस्क और सान्द्रित पर 300 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से।

(आ) सभी प्रकार के क्रोमियम अयस्क और सान्द्रित पर 2000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर : सीमा शुल्क के कुल आयात शुल्क पर एक प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर लगाया गया है। इस उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराने के वास्ते किया जाएगा।

विमान : विमानों और उनमें इस्तेमाल के लिए आयात किए जाने वाले हिस्सेपुर्जों पर 3 प्रतिशत सीमा शुल्क, 16 प्रतिशत सीवीडी, और 4 प्रतिशत एसएडी लगाया गया है।

सरकार और नियमित एयरलाइंस द्वारा किए जाने वाले आयात को इस शुल्क से छूट दी गयी है। ऐसे विमानों को सभी प्रकार के सीमा शुल्कों से छूट दी गयी है, जो भारत में पंजीकृत न हों, और जिन्हें भारत या भारत पार उड़ान के प्रयोजन से लाया गया हो, और अंतत: यहां पहुंचने की तारीख से छह महीने के भीतर हटा लिया गया हो।

रसायन और पेट्रोरसायन : अध्याय-28 (टिटानियम डाइआक्साइड को छोड़कर), अध्याय-29 (मैन्नीटोल, सार्बिटोल और कैप्रोलेसियम को छोड़कर), अध्याय-31 और शीर्षक 3201 से 3207 (पिग्मेंट्स और टिटानियम डाइऑक्साइड पर आधारित औषधियों को छोड़कर), 3403, 3801 से 3807, 3809 (कुछ अपवादों को छोड़कर), 3810, 3812, 3816, 3817, 3824, (3824 60 को छोड़कर), 3901 से 3907 और 3909 से 3915 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत, ग्लिसरोल वाटर और ग्लिसरोल लाइज़ पर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत, डीनेचर्ड ऐथिल अल्कोहल पर 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत और टिटानियम डाइआक्ससाइड तथा पिग्मेंट्स और टिटानियम डाइआक्साइड पर आधारित औषधियों पर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

कृषि : खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी और खेती एवं बागबानी में काम आने वाले स्प्रिंक्लरों और ड्रिप सिंचाई प्रणालियों पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार सूरजमुखी के कच्चे तेल पर सीमा शुल्क 65 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत, रिफाइन्ड सूरजमुखी तेल पर 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत और डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट पर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

निर्दिष्ट बागान मशीनरी के लिए 30 अप्रैल, 2007 तक रियासती दर से 5 प्रतिशत सीमा शुल्क+शून्य सीवीडी की व्यवस्था को 30.04.2009 तक बढ़ा दिया गया है।

वस्त्र : पोलिस्टर स्टेपल फाइबर और मोटे सन, पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, पोलिस्टर चिप्स, डीएमटी, पीटीए, और एमईजी, पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटा कर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

निर्यात संवर्द्धन : तराशे और पोलिश किए गए हीरों पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत, मोटे सिंथेटिक रत्न–पत्थरों पर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और असज्जित या सामान्य रूप से तैयार किए गए मूंगा पर 30 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। कच्चे, रंगे हुए या परिधान बने फर स्किन्स को आठ प्रतिशत सीवीडी से मुक्त किया गया है।

अनुसंधान और विकास : निर्दिष्ट वस्तुओं पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क की मौजूदा दर+शून्य सीवीडी की सुविधा, जो अभी तक सरकार द्वारा वित्त–पोषित और गैर–वाणिज्यिक अनुसंधान संस्थानों को उपलब्ध थी, का विस्तार अब कुछ शर्तों के साथ उन सभी अनुसंधान संस्थानों तक भी कर दिया गया है जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान में पंजीकृत हों। सीमा शुल्क की 5 प्रतिशत की रियायती दर, जो अभी तक फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं की सूची तक सीमित थी, का विस्तार 15 अतिरिक्त वस्तुओं तक कर दिया गया है।

स्वास्थ्य : चिकित्सा उपकरणों पर सीमाशुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया।

परियोजना आयात : डिजिटल सिनेमा विकास परियोजनाओं पर 7.5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया है।

विविध

- निम्नांकित पर सीमा शुल्क पहले 5 प्रतिशत था जिसे अब शून्य कर दिया गया है :
  (क) ड्रेजर्स, (ख) अधिक राख वाला कुकिंग कोयला
- सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया :
  क. ब्यूटिल रबर, ख. बोरैक्स अथवा बोरिक एसिड तथा ग. फ्रिट
- सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत गया है :
  क. विशिष्ट सेरामिक रंग, ख. घड़ियों के डायल और मूवमेन्ट्स तथा ग. छाता पैनल सहित छाते के हिस्से–पुर्जे
- प्राकृतिक बोरोन अयस्क पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत और डामर बाटू तथा पेट् फूड (पालतू पशु आहार) पर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया।
- यूरिया के लिए बिना किसी शर्त के सीमा शुल्क की एक समान 5 प्रतिशत की दर तय की गई।
- बुलेट प्रूफ जैकेटों के विनिर्माण में काम आने वाले अरामिड यार्न, जिसकी सप्लाई सशस्त्र सेनाओं के लिए की जाती है, को सीमाशुल्क और सीवीडी दोनों से मुक्त कर दिया गया है।

छूट वापस लेना

I. निम्नांकित वस्तुओं पर से सीमा शुल्क की छूट/रियायतें वापस ले ली गई हैं :
   - सेन्टक्रोमन के विनिर्माण में काम आने वाले रसायन;
   - सरकारी ऐल्केलाइड (क्षारोद) फैक्टरियों द्वारा आयात किया जाने वाला कोडिन फास्फेट या निकोटिन;

- टी वी धारावाहिक निर्माण के लिए रिकार्डिड मैग्नेटिक टेप;
- निर्दिष्ट वस्तुएं जैसे टी.वी. कैमरा (व्यावसायिक ग्रेड), ऑडियो रिकार्डिंग उपकरण, टेबल टॉप डेस्क प्रोडॅक्शन वीडियों मशीन, 8 चैनल वीडियो मिक्सर/स्विच आदि;
- फ्लाई ऐश आधारित वस्तुओं के विनिर्माण के लिए निर्दिष्ट वस्तुएं।

II. निम्नांकित वस्तुओं पर सीवीडी/उत्पाद शुल्क छूट वापस ले ली गई है :

- समाचार-पत्रों के लिए कोल्ड-सेट तीव्र गति प्रिंटिंग मशीन। ऐसी मशीनों पर 8 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क/सीवीडी लगाया जायेगा।
- सेट टॉप बाक्सों के निर्दिष्ट हिस्से-पुर्जे।

केंद्रीय उत्पाद

बजटीय परिवर्तन

2006-07 के बजट में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में किए गए प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं :

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उपकर

भारत में विनिर्मित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर 1% शिक्षा उप-कर लगाया गया है। इस उपकर से प्राप्त धन का इस्तेमाल माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए किया जायेगा।

राहत के उपाय

50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) वाले पैकेट बंद बिस्कुटों, खाद्य मिश्रणों (इन्स्टेंट फूड मिक्सिज सहित), मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी पर आधारित निर्दिष्ट जल शुद्धिकरण उपकरणों, बिजली रहित घरेलू वाटर फिल्टरों और प्रेसर्ड टैप वाटर तथा बायो डीजलों पर उत्पाद शुल्क पूरी तरह हटा लिया गया है।

छातों, प्लाईवुड, वनीर्ड पैनलों और इसी प्रकार की लेमिनेटिड लकड़ी, शीर्षक 6406 के अंतर्गत आने चाले फुटवियर के हिस्से-पुर्जे, वडिंग और गेज़ पर सीमा शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।

पेट्रोलियम

पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क का यथा मूल्य घटक 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है।

वस्त्र

कैपरोलैक्टम और नाइलन चिप्स तथा कैपरोलैक्टम विनिर्माणक के लिए बैनजीम पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है।

फिशनेट ग्रेड नाइलन यार्न, फिशनेट फैब्रिक्स, फिशनेट ट्वाइन (सुतली) और मछली के जालों पर वैकल्पिक उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

निर्दिष्ट टैक्सटाइल मशीनरी, जिस पर अभी तक कोई उत्पाद शुल्क नहीं था, पर अब 8 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है।

लघु उद्योग

लघु उद्योगों के लिए छूट की सीमा 1.04.2007 से एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गयी है।

अनुसंधान और विकास

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत सभी अनुसंधान संस्थानों द्वारा घरेलू बाजार से खरीदी जाने वाली निर्दिष्ट वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट के दायरे में लाया गया है।

धातु

अलुमीनियम सर्कलों पर यौगिक प्रशुल्क रुपये 7,500/10,000 प्रति मशीन प्रति माह से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति मशीन प्रति माह कर दिया गया है।

तम्बाकू उत्पाद

I. सिगरेटों पर कुल उत्पाद शुल्क की निर्दिष्ट दरें निम्नांकित अनुसार संशोधित की गयी हैं :

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान दर (प्रति एक हजार)	प्रस्तावित दर
	फिल्टर रहित सिगरेट		
1.	60 एमएम तक लंबाई वाली	160	168
2.	60 एमएम से अधिक लेकिन 70 एमएम तक लंबाई वाली	520	546
	फिल्टर सिगरेट		
3.	70 एमएम तक लंबाई वाली	780	819
4.	70 एमएम से अधिक लेकिन	1260	1323
5.	75 एमएम तक लंबाई वाली	1675	1759
6.	75 एमएम से अधिक लेकिन 85 एमएम तक लंबाई वाली	2060	2163
7.	अन्य सिगरेट और तंबाकू पदार्थ	1150	1208

2. बीड़ी पर कुल शुल्क की निर्दिष्ट दरें (उपकर सहित) निम्नांकित अनुसार संशोधित की गयी हैं:

- कागज रोल से भिन्न बीड़ी, जिसका निर्माण बिना मशीन की सहायता के किया गया हो—12 रुपये प्रति हजार से बढ़ाकर 16 रुपये प्रति हजार।
- अन्य बीड़ियां—22 रुपये प्रति हजार से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति हजार।

3. एक वित्त वर्ष के दौरान 20 लाख ब्रैंड रहित बीड़ियों पर छूट की सीमा अब इस शर्त पर लागू होगी कि छूट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को केंद्रीय उत्पाद विभाग में एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

4. 2106 90 20 के अंतर्गत आने वाले तंबाकू रहित पान मसाले पर उत्पाद शुल्क 66 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है। नतीजतन, अधिकतम खुदरा मूल्य में कटौती भी 50 प्रतिशत ये घटाकर 44 प्रतिशत कर दी गयी है।

सीमेंट

सामान्य दर

- ऐसी सीमेंट पर उत्पाद शुल्क 400 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 350 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिसका खुदरा बिक्री मूल्य 190 रुपये प्रति 50 कि.ग्रा बैग से अधिक या 3800 रुपये प्रति मीट्रिक टन से अधिक न हो।

- ऐसी सीमेंट पर उत्पाद शुल्क 400 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिसका घोषित बिक्री मूल्य 190 रुपये प्रति 50 कि.ग्रा. बैग से अधिक या 3800 रुपये प्रति मीट्रिक टन से अधिक न हो।

मिनी सीमेंट प्लांट

- ऐसी सीमेंट के लिए उत्पाद शुल्क 250 रुपये प्रति मीट्रिक टन से कम करके 220 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिसका घोषित बिक्री मूल्य 190 रुपये प्रति 50 कि.ग्रा बैग से अधिक या 3800 रुपये प्रति मीट्रिक टन से अधिक न हो।
- ऐसी सीमेंट के लिए उत्पाद शुल्क 250 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिसका घोषित बिक्री मूल्य 190 रुपये प्रति 50 कि.ग्रा बैग से अधिक या 3800 रुपये प्रति मीट्रिक टन से अधिक न हो।
- सीमेंट को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, ताकि ये व्यवस्था की जा सके कि 252329 शीर्षक के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के संबंध में, यूनिट कंटेनर में पैकिंग या पुन: पैकिंग, लेबलिंग अथवा पुन: लेबलिंग पैकेजों को 'विनिर्माण' की श्रेणी में शामिल किया जा सके। इसमें पैकेजों पर खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा या तत्संबंधी संशोधन या उपभोक्ता को उत्पाद बाजार योग्य बनाने संबंधी किसी अन्य उपचार का स्वीकार किया जाना भी शामिल है।

सूचना प्रौद्योगिकी

'यूएसबी फ्लैश मेमोरी' और 'डीवीडी ड्राइव' उत्पाद शुल्क से मुक्त थे अब सामान्य 'फ्लैश मेमोरी' और 'डीवीडी ड्राइव/डीवीडी राइटर' को भी छूट के दायरे में शामिल कर लिया गया है।

जलापूर्ति परियोजनाएं

जलाशयों सहित जल उपचार संयंत्रों से पानी को प्रथम संग्रह बिंदु तक ले जाने के लिए काम आने वाले पाइपों पर लागू उत्पाद शुल्क से मौजूदा छूट का विस्तार अब 20 सेंटीमीटर से अधिक बाहरी व्यास वाले सभी पाइपों तक कर दिया गया है, बशर्ते वे जलापूर्ति परियोजना का अभिन्न अंग हों, भले ही उनका इस्तेमाल किसी भी प्रयोजन के लिए किया गया हो।

खुदरा बिक्री मूल्य आधारित मूल्यांकन

खुदरा बिक्री मूल्य आधारित मूल्यांकन का विस्तार पर्सनल कंप्यूटरों (लैपटॉप और अन्य पोर्टेबल कंप्यूटरों सहित), प्रिंटरों, मॉनिटरों, कंप्यूटर की-बोर्डों, स्कैनरों, कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर प्लाटर, फैक्स मशीन, मोडम और सैट-टॉप-बाक्सों तक किया गया है।

छूट वापस लेना

1. निम्नांकित वस्तुओं पर छूट/रियायत वापस ली गयी है :

- हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित कैमिकल रीएजेंटों, जिनका इस्तेमाल नशीली दवाओं और मनश्चिकित्सीय (साइकोट्रोपिक) पदार्थों के परीक्षण के लिए किट विनिर्मित करने में किया जाता है;
- सेंटर ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इन्स्ट्यिूट, कोलकाता द्वारा विनिर्मित आप्टिकल ग्लास, जिनका इस्तेमाल केंद्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किया गया हो;

- झाड़ू, हाथ से चलित मैकेनिकल फ्लोर स्विपर्स, मोप्स (झाड़न), फेदर डस्टर्स, झाड़ू के तैयार गांठ और टफ; फिरकी के पैड और रोलर, स्क्यूज़िज आदि वस्तएं;
- टेलीविजन प्रसारण के लिए बनाए गए रिकार्डिड वीडियो कैसेट, जिनकी आपूर्ति यू-मैटिक, बेटाकैम या अन्य इसी तरह के फार्मेट में की गयी हो;
- निकोटिन पोलाक्रिलेक्स गम;
- सिंथेटिक पत्थरों का चूर्ण और पाउडर;

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्दिष्ट इकाइयों द्वारा विनिर्मित तंबाकू युक्त पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों को दी जा रही उत्पाद शुल्क में छूट वापस ले ली गयी है।

सेवा कर

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर

सेवाओं पर लगने वाले कर पर एक प्रतिशत उपकर लगाया गया है। इन्पुट सेवाओं पर अदा किए गए उपकर को आउटपुट सेवाओं पर उपकर के भुगतान के लिए क्रेडिट दिया गया है।

अन्य बजटीय परिवर्तन

2007-08 के बजट में किए गए प्रमुख परिवर्तन नीचे दिए गए हैं :

क. निम्नांकित सेवाएं अलग-अलग कर योग्य सेवाओं के रूप में निर्दिष्ट की गयी हैं :

- दूरसंचार सेवा (इनमें दूरसंचार संबंधी सेवाएं शामिल हैं, जो फिलहाल अलग कर योग्य सेवाओं के रूप में निर्दिष्ट हैं);
- खनिज, तेल और गैस के खनन के लिए जुटाई गयी बाहरी सेवाएं;
- आवासीय संपत्तियों और खाली भूमि से भिन्न अचल संपत्ति के किराये के संबंध में प्रदान की गयी सेवाएं, जिनका इस्तेमाल व्यापार या वाणिज्य के दौरान या उनके विस्तार (किसी धार्मिक निकाय को या धार्मिक निकाय द्वारा प्रदान की गयी ऐसी सेवाएं इसमें शामिल नहीं हैं) के लिए किया गया हो;
- दूरसंचार सेवाओं, विज्ञापन एजेंसी सेवाओं और ऑनलाइन सूचना एवं डाटा बेस ऐक्सेस या रिट्रिवल सेवाओं में प्रयुक्त होने वाली विषय वस्तु का विकास और आपूर्ति;
- पोर्टफोलियों मैनेजमेंट सहित किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली परिसंपत्ति प्रंबधन सेवाएं और सभी प्रकार की धन प्रबंधन सेवाएं, परंतु किसी बैंकिग कंपनी या गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी सहित वित्तीय संस्थान या कार्पोरेट अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सहित किसी अन्य निकाय द्वारा प्रदान की गयी सेवाएं इसमें शामिल नहीं होंगी;
- डिजाइन सेवाएं
- कार्य अनुबंध के निष्पादन के संबंध में प्रदान की गयी सेवाएं

ख. निर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं के क्षेत्र में निम्नांकित संशोधन किए गए हैं :

1. निम्नांकित को शामिल किया जाना :
    - बिजनेस डायरेक्टरियों, येलो पेजिज और ट्रेड कैट्लॉग्स में स्थान की बिक्री, जिनका संबंध

मुख्य रूप से विज्ञापन सेवा के लिए स्थान या समय की बिक्री के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों के साथ हो;

- कैब सेवा किराये पर देने के अंतर्गत 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने में सक्षम मोटर वाहन को रेंटिग में शामिल करना। व्यावसायिक प्राशिक्षण और कोचिंग सेंटर को छोड़कर किसी शैक्षिक निकाय को मोटर वाहन या मैक्सीकैब किराये पर देना, सेवा क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है;
- मंडप कीपर सेवा, पंडाल या शामियाना सेवा और गतिविधि प्रबंधन सेवा के अंतर्गत विवाह समारोह के संबंध में प्रदान की गयी सेवाएं;
- परामर्श इंजीनियर्स सेवा के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग कन्सल्टेंसी;

2. निम्नांकित में संशोधन
   - बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं, ताकि :
     (क) कर योग्य सेवा की परिभाषा में ''कोई अन्य व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर ''वाणिज्यिक प्रतिष्ठान'' के इस्तेमाल का प्रावधान किया जाये;
     (ख) रोकड़ प्रबंधन को इसके दायरे में शामिल करना; और
     (ग) ''फाइनेंशियल लीजिंग'' यानी ''वित्तीय पट्टेधारी'' को स्पष्ट करना;
   - प्रबंधन सलाहाकार सेवा ताकि उसे प्रबंधन या व्यापार परामर्श सेवा का नाम दिया जा सके और इसके अधिकार क्षेत्र में व्यापार परामर्श को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके;
3. यह स्पष्ट करना कि—
   - भर्ती अथवा कार्मिक सेवा सप्लाई में निम्नांकित से सम्बद्ध सेवाएं शामिल हैं:
     (क) भर्ती-पूर्व चयन (स्क्रीनिंग)
     (ख) उम्मीदवार के प्रत्यायकों (पहचान-पत्रों) और पूर्व-वृत्तांतों की जांच करना; और
     (ग) उम्मीदवारों द्वारा जमा कराए गए दस्तावेज की प्रामाणिकता;
   - प्रबंधन, रखरखाव या मरम्मत सेवा में वर्णित ''वस्तुओं'' में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल है।

ग. सेवा कर से छूट :

1. लघु सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा कर छूट की न्यूनतम सीमा वर्तमान 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की जा रही है।

2. निम्नांकित को सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है :
   - टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई)/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमशीलतापार्क (एसटीईपी), जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हों और जिन्हें ''इन्क्यूबेटर्स'' के रूप में भी जाना जाता है।
   - किसी इन्क्यूबैटी (उद्यमी) द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवा, जिसका व्यापार कारोबार एक वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक न हो और जो निर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी इन्क्यूबेटर के परिसर में स्थित हो;

- किसी रेजिडेंट वेल्फेयर एसोशिएशन द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जहां सदस्य का प्रतिमाह योगदान 3000 रुपये से अधिक न हो।
- इलेक्ट्रोनिकली इन्क्रिपशन के बाद सिनेमा की विषय-वस्तु की डिजिटल रूप में डिलिवरी के संदर्भ में प्रदान की गई सेवाएं;
- टीकों और हर्बल (जड़ी-बूटी) दवाओं सहित नई औषधियों के संबंध में तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं, जो भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा क्लिनिकल परीक्षणों के लिए मान्यता प्राप्त किसी क्लिनिकल अनुसंधान संगठन (सीआरओ) द्वारा मानव भागीदारों पर परीक्षण के रूप में प्रदान की जा रही हों।

केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी)

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत अन्तर-राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) लगाया जाता है। केंद्रीय बिक्री कर केंद्रीय सूची की प्रविष्टि 92 ए के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, किंतु ऐसा ही कर लगाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 269 के आधार पर राज्यों को भी सौंपा गया है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर) स्रोत आधारित कर होने के नाते वैट के संदर्भ में असंगत है (जो लक्ष्य आधारित कर है)। इसके अलावा सीएसटी क्रम-प्रपाती-प्रकार का कर है क्योंकि यह वैट के संदर्भ में छूट योग्य नहीं है। इसलिए केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) चरण बद्ध रूप में समाप्त होना चाहिए।

वास्तव में, केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के बाद 31.03.2010 तक (यानी जी एस टी प्रारंभ करने की नियत तारीख से पहले) सीएसटी को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की रूप-रेखा तय की जा चुकी है। राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की भरपायी के लिए पैकेज को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। तदनुरूप 01.04.2007 से सीएसटी 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किए जाने के साथ ही सीएसटी को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रस्ताव है कि हर वर्ष पहली अप्रैल से सीएसटी में 1 प्रतिशत की कमी की जाये।

राज्य स्तरीय मूल्य संवर्द्धित कर (वैट)

राज्यों में वैट शुरू किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यस्तरीय कर सुधार उपाय है। राज्य वैट ने राज्यों की बिक्री कर प्रणाली का स्थान लिया है। 'किसी राज्य में वस्तुओं की खरीद-फरोख्त पर कर' के रूप में वैट राज्य का विषय है। तत्संबंधी प्रावधान भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची (राज्य-सूची) की प्रविष्टि संख्या 54 के आधार पर किया गया है। भारत सरकार ने राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है ताकि बिक्री-कर सुधार/राज्य वैट संबंधी सभी मुद्दों पर विचार करके निर्णय किए जा सकें। राज्य वैट उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा शुरू किया जा चुका है।

चूंकि बिक्री कर/वैट एक राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार वैट के सफल कार्यान्वयन के लिए सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा कर रही है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

- वैट लागू होने से राज्यों को होने वाली किसी प्रकार की राजस्व-हानि को पूरा करने के लिए राज्यों को मुआवजा देने का एक पैकेज शुरू किया गया है।

- पूर्वोत्तर राज्यों/विशेष श्रेणी राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वे वैट कंप्यूटरीकरण शुरू कर सकें।
- वैट संबंधी प्रचार और जागरूकता अभियानों के लिए अधिकार प्राप्त समिति एवं राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
- अंतर–राज्य करोबार का पता लगाने के लिए 'टिनएक्ससिस' परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अधिकार प्राप्त समिति को 50 प्रतिशत धन प्रदान किया जा रहा है।

वैट के कार्यान्वयन के अनुभव अभी तक अत्यंत उत्साह–जनक रहे हैं। नई प्रणाली से सभी सम्बद्ध पक्ष संतुष्ट हैं। नई व्यवस्था में रूपांतरण की प्रक्रिया अत्यंत सुचारु रही है। वैट कार्यान्वयन राज्यों के अनंतिम कर राजस्व में 2005–06 में 13.8 प्रतिशत और 2006–07 के दौरान करीब 21 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899

कार्पोरेट बंध–पत्र और प्रतिभूतिकरण के बारे में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (डॉक्टर आर.एच.पाटिल, अध्यक्ष, यूटीआई की अध्यक्षता में) का गठन किया गया। समिति ने भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत विभिन्न प्रपत्रों को युक्ति संगत बनाने की सिफारिश की। इनमें डिबेंचर (अनुच्छेद 27), वचन–पत्र (प्रोमिसरी नोट्स) (अनुच्छेद 49) और समनुदेशन (असाइनमेन्ट) आदि शामिल हैं। समिति की सिफारिशों को राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस बारे में 11.05.2007 को एनआईपीएफपी में हुई स्टॉम्प एवं पंजीकरण से सम्बद्ध राज्य सचिवों की स्थायी समिति की बैठक में सहमति व्यक्त की गई। इन प्रपत्रों के बारे में नई दरें अधिसूचित करने की प्रक्रिया जारी है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का अर्थ है वस्तु एवं सेवाओं पर एकीकृत कराधान, न कि अलग–अलग, जैसा कि अभी तक प्रचलित रहा है। वस्तु एवं सेवाओं के बीच सीमांकन रेखा धुंघली होती जा रही है, जिससे इन दोनों पर अलग–अलग कराधान तर्क–संगत नहीं रह गया है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वैट सिद्धान्तों पर आधारित है, जो परोक्ष कराधान के सर्वाधिक आधुनिक एवं सक्षम रूप में विकसित हुआ है। इसे विश्व के अनेक देशों (संघीय देशों सहित) द्वारा स्वीकार किया गया है। यूरोपीय देशों में भी वैट के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाएं दोनों शामिल हैं। भारत में भी परोक्ष कराधान की प्रक्रिया का विकास वैट की दर्ज पर हो रहा है और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर उन सुधार प्रयासों की सहज परिणति है, जो पिछले दो दशकों से किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 01.04.2010 से जीएसटी प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जीएसटी प्रारंभ करने के लिए चूंकि केंद्रीय और राज्य–करों का पुनर्निर्धारण करना होगा, इसलिए जीएसटी को अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श की व्यापक प्रक्रिया की आवश्यकता है। यह फैसला किया गया है कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति 01.04.2010 से जीएसटी प्रारंभ करने की रूप–रेखा तैयार करने के लिए केंद्र सराकर के साथ मिलकर काम करेगी। समिति ने मई 2007 में एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल किए गए हैं, ताकि जीएसटी के लिए विभिन्न मॉडलों और विकल्पों का परीक्षण किया जाये और 4 महीने के भीतर अधिकार प्राप्त समिति को अपने आकलन से अवगत कराया जा सके।

अफीम की खेती

भारत विश्व बजार में अफीम का विधि सम्मत एकमात्र उत्पादक और निर्यातक है। अफीम उगाने वाले अन्य देश खसखस की सांद्रण विधि का अनुसरण करते हैं। केंद्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सीबीएन) द्वारा जारी लाइसेंसों के तहत् अफीम-पोस्त की खेती की जाती है तथा अफीम का निर्यात पूरी तरह केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। केंद्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख स्वापक आयुक्त होता है, जो तीन राज्यों—मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में निर्दिष्ट क्षेत्रों में अफीम की विधिसम्मत खेती पर निगरानी रखता है। 2006-07 के फसली मौसम के दौरान (एक अक्टूबर 2006 से शुरू और 30 सितंबर 2007 को समाप्त) 60232 किसानों द्वारा 5913 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अफीम-पोस्ट की खेती की गई। अप्रैल 2007 में 90 डिग्री सघनता पर 269 मीट्रिक टन (346 मीट्रिक टन 70 डिग्री सघनता पर) अफीम का उत्पादन किया गया।

सीबीएन ने अफीम की खेती के आंकड़ों को माइक्रो प्रोसेसर चिप आधारित कार्डों के जरिए सुचारु और डिजिटल बनाने की स्मार्ट कार्ड परियोजना शुरू की है। यह परियोजना अपने अंतिमचरण में है। इस प्रणाली से डिविजन स्तर पर ट्रायल (परीक्षण) के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का काम प्रारंभ हो गया है।

वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान (31 मार्च 2007 तक) 90 डिग्री संसक्ति के साथ 342.631 मीट्रिक टन अफीम (फसल वर्ष 2005-06 से) प्राप्त हुई, 340 मीट्रिक टन अफीम सुखाई गई और 495 मीट्रिक टन (भौतिक भार) अफीम निर्यात की गई।

सरकारी अफीम एवं एल्केलाइड कारखाना, गाजीपुर और नीमच द्वारा वर्ष 2006-07 में एल्केलाइड उत्पादन/बिक्री आदि के संदर्भ में ब्योरा नीचे सारणी में दिया गया है :

क्र. सं.	एल्केलाइड का नाम	प्रारंभिक स्टाक (कि.ग्रा. में)	उत्पादन (कि.ग्रा. में)	बिक्री (कि.ग्रा. में)	बिक्री राशि (रुपये/लाख)
1.	कोडीन फास्फेट-देशी	2525	10498	12628	4167.14
2.	कोडीन फास्फेट-आयात	550	5000	5550	1831.46
3.	कोडीन सल्फेट	38	510	530	214.60
4.	थिबेन	369	643	400	170.00
5.	मार्फिन साल्ट	58	215	235	106.42
6.	डाइनोनिन आई.पी.	19	545	564	236.36
7.	नॉस्केपाइन बी.पी.	412	3217	2842	972.88
8.	एस.आर. पापावरिन	974	1321	881	4.00
9.	मूल्य संवर्द्धित उत्पाद	13	213	215	81.27
10.	आई.एम.ओ. पाउडर	4342	3600	5820	223.46
11.	आई.एम.ओ.केक	397	1551	1787	64.51

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य कार्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा), 1999 को लागू करना है। निदेशालय मामलों को निपटाने और पहले के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के

अंतर्गत दर्ज शिकायतों पर आगे की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी संभालता है। यह निदेशालय एक जुलाई, 2005 से अस्तित्व में आए प्रीवेंशन आफ मनी लॉडरिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है।

निदेशालय विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र कर फेमा के तहत उनकी पड़ताल करता है और मुकदमे दायर करता है। वर्ष 2006–07 के दौरान निदेशालय ने 76 छापे मारे और 868.89 लाख रुपये तथा 11.16 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की। वर्ष 2006–07 के दौरान निदेशालय ने फेमा के तहत 129.20 लाख रुपये और फेरा के तहत 715.36 लाख रुपये जुर्माना वसूला। इसके अतिरिक्त निदेशालय ने वर्ष के दौरान फेरा के तहत 24.54 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा तथा 06.39 लाख रुपये के समकक्ष विदेशी मुद्रा और फेमा के तहत 85.45 लाख रुपये भारतीय मुद्रा तथा 09.25 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की। वर्ष के दौरान निदेशालय ने फेरा के 140 मामले और फेमा के 393 मामले निपटाए।

इसके अतिरिक्त प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग ऐक्ट (पीएमएलए), 2002 यानी काले धन को इस्तेमाल में आने से रोकने संबंधी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत 34 मामलों में जांच शुरू की गई है। ये मामले राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने संबंधी मनी लांडरिंग अपराधों, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नशीले पदार्थों की तस्करी, मूल्यन सुरक्षा/मुद्रा संबंधी जालसाजी आदि आईपीसी अपराधों, हथियार अधिनियम/वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम/अनैतिक व्यापार (निवारक) अधिनियम के अंतर्गत अपराधों से सम्बद्ध थे। इनमें से 29 मामलों में नियमित केस दर्ज किए गए हैं। शेष मामलों में प्रारंभिक पूछताछ शुरू की गई है।

तस्करी विरोधी अभियान

शुल्क और शुल्क–इतर बाधाओं के कारण तस्करी भी तभी से होती रही है, जबसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता आ रहा है। करीब एक दशक पहले तक अधिकतर जिन्सों पर शुल्क और शुल्क–इतर बाधाओं के कारण उपभोक्ताओं के पसंद की अनेक चीजों की तस्करी को प्रोत्साहन मिलता था। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के तेजी पकड़ने के साथ ही तस्करी की आशंका वाली वस्तुओं की सूची, आर्थिक अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्रों और उनके क्रियाकलापों में प्रमुख परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों, जिनमें रियायती दर से शुल्क देकर सोने के वैध आयात करने की इजाजत भी शामिल है, के परिणामस्वरूप सोने की तस्करी कम हो गई है। चांदी की तस्करी में भी कमी आई है। लेकिन वर्ष के दौरान सूती धागे/वस्त्र, बाल बियरिंग्स, कंप्यूटर के हिस्सेपुर्जे, इलेक्ट्रोनिक सामान जैसे मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरे, पीडीए, एमपी–3 प्लेयर्स और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी होने की सूचना मिली। देश से बाहर विदेशी मुद्रा की तस्करी भी जारी रही, जो मुख्य रूप से सामान के माध्यम से हुई।

सीमा शुल्क विभाग, जिसमें राजस्व और गुप्तचर विभाग भी शामिल है, द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान जब्त किए गए तस्करी के सामान और सीमा शुल्क की चोरी के मामलों का ब्योरा इस प्रकार आगे सारणी में दिया गया है :

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	जब्त सामान का मूल्य	सीमा शुल्क की चोरी के मामले
2003-04	611.56	1093.05
2004-05	859.30	1080.40
2005-06	288.29	468.65
2006-07	377.88	748.05

पिछले चार वर्षों के दौरान कोफेपोसा कानून और पीआईटीएनडीपीएस कानून के तहत हिरासत में लिए गए तथा सीमा शुल्क कानून के तहत गिरफ्तार किए गए, चलाए गए मुकदमों और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों का ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	तस्करी कानून 1962 के तहत जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई			कोफेपोसा कानून के तहत जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई	पीआईटीएनडीपीएस कानून के तहत जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई
	गिरफ्तारियां	मुकदमे	सजा	हिरासत में लिए गए	हिरासत में लिए गए
2003-04	433	125	66	38	34
2004-05	334	112	44	11	07
2005-06	113	031	04	57	03
2006-07	201	32	04	51	03

टैक्स चोरी में संलिप्त व्यक्तियों पर दंड लगाया जाता है तथा उनके खिलाफ वैधानिक प्राप्तियों के लिए छापे मारे जाते हैं। तलाशी और शुरू किए गए निरुद्धात्मक मामलों का ब्योरा वित्तीय वर्ष 2001-2002 से अब तक इस प्रकार है :

तलाशी के परिणाम

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**वारंटों की संख्या**	**जब्त सामान का मूल्य**
2001-02	4,358	344.33
2002-03	4,902	515.87
2003-04	2,492	231.37
2004-05	2,377	202.28
2005-06	704	199.39
2006-07	1,054	153.76

अभियोग के आंकड़े

वि.वर्ष	शुरू किए गए अभियोगों की संख्या	कार्रवाईयों की संख्या	कार्रवाई जहां अपराध सिद्ध हुआ	कार्रवाईयों की संख्या जहां समझौते हुए	दोषमुक्त हुए मुकदमों की संख्या
2001-02	38	212	5	8	199
2002-03	102	433	18	11	404
2003-04	37	115	12	55	48
2004-05	103	350	1	262	87
2005-06	53	34	22	03	02
2006-07	45	127	13	01	08

अफीम और अल्केलाइड के सरकारी कारखाने

सरकारी अफीम एवं एल्केलाइड कारखाना, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग का एक विभागीय प्रतिष्ठान है, जिसमें कच्ची अफीम से निर्यात के लिए ओपिएट एल्केलाइड तैयार की जाती है। कारखानों का मुख्य नियंत्रक इस संगठन का प्रमुख होता है।

सरकारी अफीम और एल्केलाइड फैक्टरी (जीओएडब्ल्यू) की दो यूनिटें हैं—जीओए डब्ल्यू, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) और जीओएडब्ल्यू, नीमच (मध्य प्रदेश)। प्रत्येक यूनिट के दो-दो भाग हैं—अफीम का कारखाना और एल्केलाइड का कारखाना। अफीम कारखाने के मुख्य कार्यों में खेतों से अफीम की खरीद, भंडारण और परिरक्षा करना, उसे सुखाना और निर्यात के लिए पैकेजिंग करना शामिल है। एल्केलाइड फैक्टरी में कच्चे अफीम से दवा ग्रेड के एल्केलाइड तैयार किए जाते हैं, ताकि फार्मास्युटिकल उद्योग की घरेलू मांग पूरी की जा सके। देश में अफीम के उत्पादन और बिक्री तथा इसके एल्केलाइड्स पर फिलहाल पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है, जो जीओएएफ के माध्यम से इस पर एकाधिकार रखती है।

अवैध संपत्ति को जब्त करना

तस्करी और विदेशी मुद्रा की हेराफेरी करने वालों की (संपत्ति जब्त करने) संबंधी अधिनियम, 1976 [एसएएफईएम(एफओपी)ए] में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों की अवैध रूप से हासिल की गई संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, जिनको समुद्री सीमा शुल्क कानून, 1878, सीमा शुल्क कानून, 1962 और विदेशी मुद्रा विनियमन कानून 1973 के तहत सजा हुई हो, और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत हिरासत में लिए गए हों। मादक पदार्थ एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ कानून, 1985 के प्रावधानों के अनुसार इस कानून के तहत सजा पाने वाले व्यक्ति अथवा इसी के समकक्ष किसी विदेशी कानून के तहत नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थ अवैध व्यापार रोकथाम कानून, 1988 और जम्मू कश्मीर नशीले पदार्थ और साइकोट्रोपिक पदार्थ अवैध व्यापार रोकथाम कानून, 1988 के तहत सजा पाने वाले व्यक्ति की अवैध संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

एसएएफईएम (एफओपी) ए तथा एनडीपीएस अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अवैध ढंग से हासिल की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। इस समय सक्षम अधिकारियों के कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई में स्थित हैं। वर्ष

2007–08 (मार्च, 2008 तक) सक्षम अधिकारियों ने 37 मामलों में 670.38 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की।

कंपनी मामलों का मंत्रालय (www.mca.gov.in)

भारत का कॉर्पोरेट क्षेत्र उसके आर्थिक विकास को गति देने वाला मुख्य कारक है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर छोटे और मझोले उद्यमों तक और विनिर्माण, निर्माण, दूरसंचार तथा सेवा समेत तमाम उद्योगों में फैले हुए कॉर्पोरेट क्षेत्र ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की इस वृद्धि और विकास में उन उदारवादी सुधारों ने भी खासा सहयोग किया है, जिन्हें समय–समय पर देश में लागू किया गया है।

कॉर्पोरेट क्षेत्र का विकास

मार्च में समाप्त वर्ष	कंपनियों की संख्या	पेड अप पूंजी (करोड़ रुपये में)	जीडीपी में योगदान (प्रतिशत में)
1982	72402	18935.5	11.1
1987	140670	43967.8	14.0
1992	250361	84642.3	12.9
1997	450950	190518.6	13.8
2002	589246	405753.2	17.8
2003	612155	457058.7	18.7
2004	641512	498790.8	18.1
2005	679649	654021.6	21.0
2006	732169	619152.0	17.3
2007	743678	649490.0	15.7

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर लगातार बदलते कारोबारी माहौल में कॉर्पोरेट क्षेत्र और इससे जुड़े लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय ने अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है और इसके तहत ''सुचारू प्रशासन'' लागू करने के लिए उसने कई प्रकार के कदम उठाए हैं। इन सभी पहलों का उद्देश्य वैधानिक ढांचे और प्रशासनिक प्रणाली में सुधार लाना है, ताकि कंपनियों के लिए काम करना आसान हो, कॉर्पोरेट प्रशासन में सभी कानूनों का पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सुविधाजनक तरीके से पालन किया जाए।

कंपनी मामलों का मंत्रालय मुख्य रूप से कंपनी कानून, 1956 और उससे जुड़े हुए दूसरे कानूनों को ठीक तरीके से लागू करने का कार्य करता है और उसने भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए हैं। इन कदमों और पहलों में महत्वाकांक्षी ई–प्रशासन परियोजना को लागू करना और उसे सुचारू रूप से चलाना शामिल है। इस परियोजना का नाम एमसीए 21 है और यह राष्ट्रीय ई–प्रशासन योजना के तहत भारत सरकार की अभियान के स्तर की परियोजना है। अन्य कदमों में व्यापक सलाह मशविरे के बाद कंपनी कानून, 1956 में विस्तृत संशोधन, सीमित जिम्मेदारी साझेदारियों पर नई कानूनी प्रक्रिया लागू करना, सनदी लेखाकारों, कॉस्ट और वर्क लेखाकारों तथा कंपनी सचिवों के तीन व्यावसायिक संस्थानों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन, लेखा मानकों का विकास और अधिसूचना जारी करना, दफ्तरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समुचित बुनियादी ढांचा विकसित करना,

दफ्तरों में काम करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और भारतीय कंपनी मामलों के संस्थान की स्थापना करना आदि शामिल हैं।

कॉर्पोरेट क्षेत्र देश के लिए धन–संपत्ति तो जुटाता ही है, उसके अलवा भारत की जनता के बीच में से करोड़ों लोगों को निवेश करने और रोजगार प्राप्त करने के अवसर देकर देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका भी निभाता है। 1957 में जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी, उस समय देश में कुल 30 हजार कंपनियां पंजीकृत थीं और काम कर रही थीं। मार्च 2008 के अंत में इस संख्या में कई गुना इजाफा हो गया और इस समय तकरीबन 788 हजार कंपनियां पंजीकरण के बाद भारत में कार्य कर रही हैं।

कॉर्पोरेट क्षेत्र में मुख्य तौर पर गैर सरकारी कंपनियां काम करती हैं, जिनकी इस क्षेत्र में तकरीबन 99 फीसद हिस्सेदारी है। सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां कॉर्पोरेट क्षेत्र में महजएक फीसद हैं। कंपनियां तीन तरह की होती हैं – गारंटीशुदा लिमिटेड कंपनियां, शेयरों यानी हिस्सेदारी के जरिये संचालित होने वाली लिमिटेड कंपनियां और अनलिमिटेड कंपनियां। कॉर्पोरेट क्षेत्र में ज्यादातर कंपनियां हिस्सेदारी यानी षेयर वाली लिमिटेड कंपनियां हैं। इनकी हिस्सेदारी लगभग 98 फीसद है।

भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र में छोटी और मझोली कंपनियों का बोलबाला है। इस क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी तकरीबन 92 फीसद है। इन कंपनियों की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये से भी कम है। बाकी 8 फीसद कंपनियों के पास एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा की अधिकृत पूंजी है। केवल एक फीसद कंपनियां ऐसी हैं, जिनकी अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

जिन औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की तादाद ज्यादा है, उनमें खास तौर पर विनिर्माण क्षेत्र, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और कारोबारी गतिविधियां, थोक एवं खुदरा व्यापार, होटल और रेस्टॉरेंट तथा निर्माण प्रमुख हैं। कुल कंपनियों में से 31 फीसद तो विनिर्माण क्षेत्र में ही काम करती हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा कंपनियां वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की लगभग 30 फीसद कंपनियां इन्हीं क्षेत्रों में कारोबार कर रही हैं। थोक और खुदरा व्यापार, होटल और रेस्टॉरेंट में लगभग 16 फीसद कंपनियां हैं, जबकि कॉर्पोरेट क्षेत्र की 8 फीसद कंपनियां निर्माण से जुड़ी हुई हैं।

भारतीय कंपनियों का राज्यवार वितरण

भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की सबसे ज्यादा कंपनियां तीन राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में हैं। कुल 54 फीसद कंपनियां इन्हीं राज्यों में हैं। सबसे ज्यादा कंपनियों की गतिविधियों वाले देश के 15 राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और चंडीगढ़ हैं। इन राज्यों में भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की 96 फीसद कंपनियां काम करती हैं।

वैधानिक सुधार

मंत्रालय कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े वैधानिक ढांचे में कई तरह के सुधार करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इस दिशा में उठाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार से हैं :

कंपनी कानून, 1956 की व्यापक समीक्षा

आज के वैश्विक माहौल में भारत का कॉर्पोरेट क्षेत्र अपनी गतिविधियों को तेजी के साथ भारत की सीमा से भी आगे फैला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों का भरोसा जीतने लायक प्रबंधन और प्रशासन के

स्तर हासिल करने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के वास्ते कानूनी और नियामक प्रणाली मुहैया कराई जा रही है, ताकि निवेशकों और अन्य शेयरधारकों की सुरक्षा से संबंधित तमाम जरूरतों के साथ समझौता किए बगैर उद्यमियों के लिए कारोबार के लिए अनुकूल ढांचा प्रदान किया जा सके। यह कवायद संदर्भ पत्र तैयार करने और उसे जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रसारित करने के साथ शुरू की गई, जिसके बाद डा. जे जे ईरानी के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। इस दल में कॉर्पोरेट, औद्योगिक संगठनों और पेशेवरों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। विभिन्न हलकों से मिली टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ सलाह मशविरे के बाद कंपनी विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे जरूरी मंजूरियों के बाद संसद में पेश किया जाएगा। नए कानून में शेयरधारकों के लोकतंत्र यानी आजादी, पारदर्शिता पर आधारित प्रणाली, तार्किक दंडात्मक प्रावधानों और निवेशकों के हितों की समुचित सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।

सीमित जवाबदेही साझेदारी विधेयक

देश में ज्ञान और सेवा क्षेत्रों के विकास की जबरदस्त संभावनाओं को देखते हुए मंत्रालय ने नया कानूनी ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत सीमित जवाबदेही वाली साझेदारी को नए कॉर्पोरेट प्रारूप के तौर पर खड़ा करने में मदद मिलेगी। सीमित जवाबदेही साझेदारी विधेयक, 2006 को दिसंबर 2006 में संसद में पेश किया गया था। सरकार ने संशोधित किए गए विधेयक, 2008 को संसद में विचार करने और पारित करने के लिए प्रस्तुत करने की भी मंजूरी दे दी।

लेखा मानक

कंपनी कानून, 1956 की धारा 210 ए के तहत गठित लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) ने लेखा मानक 1—29 (एएस 8 के अलावा, जिसे पहले ही एएस 26 में मिला दिया गया है) को इस कानून के दायरे में लाने की सिफारिश की है। इन लेखा मानकों की समीक्षा विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ सलाह मशविरे के माध्यम से की गई और उन्हें 7 दिसंबर 2006 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 739 (ई) के जरिये कंपनी कानून 1956 के दायरे में लाया गया। नए लेखा मानकों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य कार्य प्रणालियां शामिल हैं और उनके क्रियान्वयन से भारतीय लेखा व्यवस्था मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के समकक्ष हो जाएगी।

कंपनी कानून, 2002

भारत ने वैश्वीकरण के मौजूदा दौर के मुताबिक स्वयं को ढालते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को खोला है, नियंत्रण और बाधाएं दूर की हैं और ज्यादा उदार प्रशासन शुरू किया है। स्वाभाविक रूप से यह महसूस किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के देश के भीतर और बाहर बढ़ रहे मुकाबले का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। बाजार में प्रतियोगिता होने के काफी अहम फायदे हैं, मसलन आर्थिक सक्षमता और ग्राहकों का कल्याण बढ़ जाता है, लेकिन बाजार को नाकाम होने से रोकने के लिए भी समुचित उपाय करने पड़ते हैं। बाजार की सबसे बड़ी नाकामी प्रतियोगिता रोधी कानूनों जैसे कार्टेल यानी गुट बनाने, छोटी कंपनियों को खत्म करने के लिए बेहद कम कीमतें रखने, किसी खास कंपनी के साथ आपूर्ति या वितरण की व्यवस्था लागू करने जैसे कदमों और अपनी सत्ता कायम करने के लिए विलय जैसी गतिविधियों के रूप में होती है। इस तरह की गतिविधियों को रोकने और नियंत्रित करने के इरादे से कंपनी कानून, 2002 लागू किया गया और इस कानून के प्रावधानों के तहत भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई।

कंपनी कानून, 2002 के कुछ प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी गई और उच्चतम न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए कंपनी कानून में संशोधन के प्रस्ताव संसद के सामने रखे गए। संशोधन के प्रस्तावों को 2007 के वर्षाकालीन सत्र के दौरान मंजूरी दी गई। कानून के संशोधित प्रावधान में प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए एक विशिष्ट संस्थान स्थापित करने की बात है। इस संस्थान में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) और प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय पंचाट (कैट) शामिल हैं। कैट सीसीआई के आदेशों के खिलाफ होने वाली अपीलों की सुनवाई करेगा। अब केंद्र सरकार भी सीसीआई और कैट को पूरी तरह क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इसके लिए वह संशोधन के बाद कंपनी कानून, 2002 के प्रासंगिक नियमों की अधिसूचना जारी कर रही है, सीसीआई और कैट के अध्यक्षों तथा सदस्यों का चयन कर रही है, बताए गए संगठनों की निगरानी करने के लिए जरूरी कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है और उनके प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास के लिए सहायता कर रही है।

मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (आईईपीएफ)

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) की स्थापना कंपनी कानून, 1956 की धारा 205 सी के तहत कंपनी संशोधन कानून, 1999 के माध्यम से की गई थी। इसका उद्देश्य निवेशकों के हित में उनकी जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना था। आईईपीएफ के तहत निवेशकों की शिक्षा और जागरूकता के लिए आईईपीएफ में पंजीकृत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों या संस्थाओं के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता दी गई है और उन्हें आयोजित भी किया गया है। अब तक लगभग 69 संगठन अथवा संस्थाएं आईईपीएफ के तहत पंजीकृत हैं। मंत्रालय ने निवेशकों के बीच जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करने के लिए वर्ष 2007–08 के दौरान विभिन्न कदम उठाए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:

1. निवेशक शिक्षा पर कई प्रकार के विज्ञापन राष्ट्रीय समाचार पत्रों और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में जारी किए गए। इन विज्ञापनों के माध्यम से निवेशकों को आईपीओ, बाजार उपकरणों, म्युचुअल फंड आदि में निवेश करने के लिए शिक्षित करने के प्रयास किए गए हैं।
2. विभिन्न समाचार पत्रों में मीडिया अभियान शुरू किए गए हैं, जिनमें ऊपर बताए गए शिक्षाप्रद संदेशों के अलावा, गैर सरकारी संगठनों या स्वयंसेवी संगठनों को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में शामिल किया गया है। खास तौर पर उन संगठनों से आईईपीएफ योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी खासी पैठ है। इसके अलावा उन संगठनों को भी अपने प्रस्ताव आईईपीएफ में जमा करने के लिए कहा गया है, जो निवेशकों की शिक्षा या सुरक्षा के विषय पर अनुसंधान करने के लिए उत्सुक हैं।
3. निवेशकों से संबंधित मुद्दों और आईईपीएफ के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रसार भारती के माध्यम से निवेशक शिक्षा से संबंधित संदेश ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किए गए।
4. आईईपीएफ के तहत मिडास टच इनवेस्टर्स एसोसिएशन के माध्यम से निवेशकों के लिए एक निवेशक हेल्पलाइन परियोजना www.investorhelpline.in भी शुरू की गई। इसके तहत शिकायतों के निवारण के लिए निवेशकों को जागरूक करने के लिए प्रणाली लागू की गई। यह सेवा प्रभावी तरीके से निवेशकों की मदद कर रही है।
5. इसके अलावा एक अन्य वेबसाइट www.watchoutinvestors.com भी निवेशकों और संभावित निवेशकों की प्रभावी सेवा कर रही है। यह वेबसाइट वकीलों, सनदी लेखाकारों और कंपनी सचिवों

जैसे पेशेवरों की भी मदद कर रही है। यह वेबसाइट दरअसल वित्तीय डिफॉल्टरों की राष्ट्रीय रजिस्टरी है और विभिन्न नियामक संस्थाओं के द्वारा दिए गए दंडों की जानकारी देती है।

6. कंपनी मामलों के माननीय मंत्री ने इसी वर्ष के दौरान एक अन्य वेबसाइट www.iepf.gov.in भी शुरू की, जो निवेशकों को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में जानकारी साझा करने के मंच के तौर पर कार्य कर रही है।
7. इसी वित्त वर्ष के दौरान सितंबर 2007 को कंपनी मामलों के मंत्रालय ने पहली बार ''निवेशक जागरूकता माह" घोषित किया। यह कार्यक्रम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सहयोग से संचालित किया गया और इसके तहत देशभर में 61 स्थानों पर निवेशकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
8. क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत भारतीय पूंजी बाजार संस्थान, मुंबई के माध्यम से "ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स" कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो खास तौर पर तालुकार स्तर पर गठित नए संगठनों के लिए थे।
9. इसके अतिरिक्त पूंजी बाजार अनुसंधान एवं विकास संगठन, दिल्ली ने एक अनुसंधान परियोजना भी अपने हाथ में ली, जिसमें शेयरों के असूचीबद्ध होने के निवेशकों पर पड़ने वाले प्रभाव को विषय बनाया गया था।

राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन न्यास

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने गैर लाभकारी ट्रस्ट के तौर पर राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन न्यास (एनएफसीजी) की स्थापना की है। इसका उद्देश्य अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित प्रमुख मसलों को मंच प्रदान करना और कॉर्पोरेट प्रमुखों को अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन की अहमियत का अहसास दिलाना, कॉर्पोरेट प्रमुखों, नीति निर्माताओं, नियामकों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के बीच अनुभवों तथा विचारों का आदान प्रदान सुनिश्चित करना है।

एनएफसीजी के प्रबंधन का तीन स्तर वाला ढांचा है। इसमें कंपनी मामलों के मंत्री के नेतृत्व में प्रशासनिक परिषद है, ट्रस्टी का बोर्ड है और कार्यकारी निदेशालय है।

बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए नीतियों को प्रसारित करने के उद्देश्य से एनएफसीजी की वेबसाइट भी शुरू की गई है। एनएफसीजी ने एक कार्य योजना तैयार की थी, जिसमें तीन विषयों पर अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों का विकास शामिल है। ये विषय हैं : 1. संस्थागत निवेशकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के नियम, 2. स्वतंत्र निदेशकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के नियम, 3. लेखा परीक्षण अर्थात ऑडिट के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के नियम। इसके लिए तीन कोर समूहों की स्थापना की गई है।

इसके अलावा एनएफसीजी उत्कृष्टता के विभिन्न संस्थानों के माध्यम से निदेशकों के लिए ओरियंटेशन कार्यक्रमों को भी प्रायोजित कर रहा है और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन की नीचे दी गई प्रणालियों की जरूरत बताने के लिए संगोष्ठियां तथा सम्मेलन भी आयोजित कर रहा है।

वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए एनएफसीजी के तहत निम्न कदम उठाए गए :

(i) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के साथ साझेदारी में कॉर्पोरेट प्रशासन पर संकाय विकास कार्यक्रम मई 2007 में आयोजित किया गया।
(ii) लेखा परीक्षण समिति के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रशासन पर विचार गोष्ठी आईसीएआई के साथ साझेदारी में जून 2007 में आयोजित की गई।

(iii) भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन जुलाई 2007 और अक्टूबर 2007 में किया गया।

(iv) लेखा परीक्षण समितियों पर कॉर्पोरेट निदेशकों के कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संसथान, बेंगलुरु के साथ सहयोग में जुलाई–अगस्त 2007 में आयोजित किए गए।

(v) कंपनी निदेशकों के लिए के साथ नवंबर 2007 में भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के साथ साझेदारी में कॉर्पोरेट प्रशासन ओरियंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(vi) कॉर्पोरेट प्रशासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी चेन्नई में जनवरी 2008 में लोयोला व्यापार प्रशासन संस्थान के साथ साझेदारी में आयोजित की गई।

(vii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2008 में नैसकॉम ने किया था। इस सम्मेलन को एनएफसीजी के माध्यम से प्रायोजित गिया गया था।

(viii) राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों और छोटे एवं मझोले उद्योगों के निदेशकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारों पर संगोष्ठियों का आयोजन मार्च 2008 में एनएफसीजी के साथ साझेदारी में प्रशासनिक कर्मचारी कॉलेज में किया गया।

(ix) इसके अतिरिक्त एनएफसीजी की छत्रछाया में कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान अध्ययन भी किए गए।

एनएफसीजी की भावी योजनाओं में कॉर्पोरेट प्रशासन पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने के मसले को उठाना, दक्षिण एशिया विशेष तौर पर दक्षेस देशों में कॉर्पोरेट प्रशासन सहयोग को बढ़ावा देना और छोटी तथा मझोली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणालियों का प्रसार करना शामिल हैं।

गंभीर धोखाधड़ी की जांच का कार्यालय (एसएफआईओ)

गंभीर धोखाधड़ी की जांच के कार्यालय की स्थापना भारत सरकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के नौ जनवरी 2003 के फैसले के अनुसार दो जुलाई 2003 को पेश प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी मामलों के मंत्रालय में की थी। यह कार्यालय गंभीर और जटिल किस्म की कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करने के लिए स्थापित किया गया है। यह कार्यालय कंपनी कानून के प्रावधानों के दायरे में जांच करता है और कंपनी कानून तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मुकदमे दायर करता है। जांच एक बहुपक्षीय दल के माध्यम से की जाती है, जिसमें लेखा, अपराध लेखा परीक्षण, कराधान, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सूचना प्रौद्योगिकी, पूंजी बाजार, वित्तीय कार्य (बैंकिंग समेत) और सीबीआई, आईबी तथा क्रियान्वयन निदेशालय जैसी एजेंसियों से विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

एसएफआईओ उन धोखाधड़ियों की जांच अपने हाथ में लेता है, जिनमें (i) जटिलता होती है, अंतर विभागीय होती हैं और बहुपक्षीय मामले होते हैं, (ii) अच्छा खासा जनहित जुड़ा होता है, जिसका फैसला आकार से होता है, जिसमें मौद्रिक अनियमितता या प्रभावित लोगों की संख्या देखी जाती है और (iii) व्यवस्था, कानूनों या प्रक्रिया में स्पष्ट सुधार की दिशा में योगदान करने के लिए जांच की संभावना होती है।

यह कार्यालय पिछले साढ़े चार वर्ष से चल रहा है और अब तक इस संगठन को जांच के लिए 65 मामले मिल चुके हैं। उसने कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के 31 मामलों की जांच की है और उनसे संबंधित जांच रिपोर्ट मंत्रालय के सामने पेश की है। इन रिपोर्टों के आधार पर उक्त कंपनियों के निदेशकों या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामले तय किए जा चुके हैं। उन मामलों के आधार पर अब तक कंपनी कानून और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अदालतों में कुल 739 मामले दायर कर दिए गए हैं।

कंपनी मामलों का भारतीय संस्थान (आईआईसीए)

कंपनी मामलों का मंत्रालय कंपनी मामलों के भारतीय संस्थान (आईआईसीए) की स्थापन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, जो मंत्रालय और सरकार के दूसरे विभागों को विचार, नीति अनुसंधान, क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रबंधन समेत तमाम तरह की सेवाएं प्रदान करेगा। यह निवेशक शिक्षा, कॉर्पोरेट प्रशासन और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री के मामलों से संबंधित विशिष्ट कार्यक्रमों में मंत्रालय की सेवा आपूर्ति शाखा के तौर पर काम करेगा। स्थापना की प्रक्रिया के दौरान संस्थान कंपनी मामलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ घनिष्ठ संबंध भी विकसित कर रहा है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और मंत्रालय ने आईएमटी मनेसर, गुड़गांव में परिसर स्थापित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। नियमित परिसर की स्थापना अभी की जानी है, लेकिन संस्थान के अंतरिम क्रियाकलाप जल्द ही अस्थायी परिसर में आरंभ होने वाले हैं।

एमसीए 21 ई–प्रशासन परियोजना

कंपनी मामलों के मंत्रालय एमसीए ने ई–प्रशासन के लिए एक कार्यक्रम संचालित किया है, जिसका नाम एसीए 21 ई–प्रशासन परियोजना है। यह परियोजना सरकार के उस विचार पर आधारित है, जिसमें सरकारी सेवाओं की डिजायन और आपूर्ति में सेवा केंद्रित रवैया शुरू करने की बात है। इस परियोजना में पंजीकरण से संबंधित सभी सेवाएं शामिल हैं, मसलन दस्तावेज जमा करना, कंपनियों का पंजीकरण होना और सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से सभी लोगों को कंपनी की जानकारी देना। पोर्टल सेवाओं का इस्तेमाल किसी भी स्थान से ऐसे किसी भी समय किया जा सकता है, जो कॉर्पोरेट निकायों, पेशेवरों और आम जनता को अनुकूल लगता हो। इस प्रकार एमसीए 21 आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटरों के इस्तेमाल के जरिये आसान और पारदर्शी तरीके से सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति और कॉर्पोरेट गतिविधियों की निगरानी आसान कर देती है।

ई–प्रशासन कार्यक्रम का उद्देश्य पारदर्शी तरीके से एमसीए की सेवाओं की आपूर्ति में सुनिश्चितता लाना और उनकी गति तेज करना है। यह सुधार प्राथमिक रूप से कंपनियों के पंजीयक द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (ई–फाइलिंग) और आसान ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया के जरिये सुनिश्चित किए जाते हैं। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से ई–फाइलिंग करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के व्यापक इस्तेमाल के साथ सरकारी सेवाओं की पूर्णतया कागज रहित आपूर्ति की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कोयंबटूर में 18 फरवरी 2008 में इसका पहला परीक्षण शुरू किए जाने के और 18 मार्च 2008 को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दूसरा बड़ा परीक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने के साथ ही यह कार्यक्रम 4 सितंबर 2006 तक चरणबद्ध तरीके से सभी स्थानों पर लागू कर दिया गया। डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन के जरिये 16 सितंबर 2006 से अनिवार्य कर दिया गया। क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी इस पोर्टल पर सुरक्षित पेमेंट गेटवे के जरिये दी जा रही है, ताकि भुगतान की तुरंत पुष्टि और सेवाओं की जल्द आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

सिद्धांत और विचार के मामले में, समाधान प्रदाता के तौर पर इस परियोजना की बुनियाद बेहद मजबूत है और उसमें मजबूत बीपीआर तथा स्तरीय सेवा की सख्त प्रणाली भी है। पूरी तरह परिणाम आधारित और सेवा आपूर्ति पर ध्यान देने वाली इस परियोजना से शेयरधारकों और संबद्ध लोगों के विभिन्न वर्गों को निम्न प्रकार के लाभ मिलते हैं :

कारोबार : इससे कंपनी को पंजीकरण कराने और वैधानिक दस्तावेजों को सुविधाजनक तरीके से शीघ्रता तथा आसानी से जमा करने में मदद मिलती है।

जनता : जनता को प्रासंगिक दस्तावेजों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है और उनकी शिकायतों का ज्यादा प्रभावी ढंग से निवारण हो जाता है।

पेशेवर : पेशेवरों को अपनी क्लाइंट कंपनियों को प्रभावी सेवाएं देने में मदद मिलती है।

वित्तीय संस्थान : पंजीकरण और आरोपों की पुष्टि करने में मदद मिलती है।

एमसीए : संबंधित कानूनों और कॉर्पोरेट प्रशासन के सक्रिय एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

कर्मचारी : सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने में सक्षम हो जाते हैं।

समाधान कार्यक्रम के तहत दिल्ली में एक डैटा केंद्र स्थापित किया गया है, चेन्नई में एक आपदा निवारण केंद्र है और देशभर में 52 स्थानों पर सुविधा केंद्रों का नेटवर्क है। किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकीगत समस्या आने पर अथवा डैटा केंद्र से सेवाएं बाधित होने पर आपदा निवारण केंद्र की सेवाएं लेकर महज 12 घंटे के भीतर सेवाओं को बहाल किया जा सकता है। परियोजना को अंतर क्रियाशीलता के प्रावधानों और अन्य सरकारी विभागों अथवा मंत्रालयों के साथ सहयोग के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन आश्चर्यजनक रूप से बेहद सुगम रहा और इसमें बाहरी शेयरधारकों के साथ बेहतरीन संचार योजन और एमसीए कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा सहयोग के जरिये सारा काम कर लिया गया। पेशेवरों और कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए 24 स्थानों पर संगोष्ठियां और अधिवेशन हुए, ऑपरेटरों के द्वारा 55 स्थानों पर पूरे दिन की कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 9000 से ज्यादा पेशेवरों ने हिस्सा लिया और उसके बाद 16 सितंबर 2006 को ई–फाइलिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कॉर्पोरेट निकायों और जनता समेत शेयरधारकों को हाथ के द्वारा फाइलिंग की प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की प्रणाली तक पहुंचने में शुरुआत में कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, ये सुविधा केंद्र ऐसे शेयरधारकों को दस्तावेजों की ई–फाइलिंग के लिए संपूर्ण प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनके पास अपने दफ्तर से ही ई–फाइलिंग के लिए जरूरी कंप्यूटर संबंधी सुविधाएं और आईटी बुनियादी ढांचा अथवा क्षमता नहीं हैं। इस परियोजना के तहत परियोजना का क्रियान्वयन पूरा होने की तिथि से तीन वर्ष तक की अवधि के दौरान संबंधित पक्षों के यह सेवा और सुविधा बिना किसी शुल्क के मुहैया कराई जाती रहेगी।

देशभर में 52 स्थानों पर अत्याधुनिक सुविधाओं वाले सुविधा केंद्रों का नेटवर्क है, जिसके जरिये देशभर में ई–फाइलिंग की सुविधाओं को किसी भी शुल्क के बगैर मुहैया कराया जाता है। उनके अतिरिक्त प्रमाणीकृत फाइलिंग केंद्रों (सीएफसी) की भी एक योजना है, जिनका प्रबंधन पेशेवरों के द्वारा किया जाता है। ये फाइलिंग केंद्र शुल्क लेकर सुविधाएं प्रदान करते हैं। देशभर में ऐसे लगभग 900 अधिकृत सीएफसी हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज की तारीख में लगभग 92 फीसद दस्तावेज वर्चुअल दफ्तरों से दाखिल किए जाते हैं और उनमें किसी प्रकार की मदद भी नहीं करनी पड़ती।

निदेशक पहचान क्रमांक (डिन) की एक नई व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत सभी मौजूदा निदेशकों और भविष्य में निदेशक बनने की इच्छा रखने वाले लोगों को डिन प्राप्त करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। कुछ विशेष प्रकार की फाइलिंग के दौरान निदेशक को आवंटित किए गए डिन का उल्लेख करना अनिवार्य है। चूंकि यह प्रक्रिया कंपनियों के निदेशकों को पहचान देती है और इसे कंपनी पहचान क्रमांक (सीआईएन) और डिन के बीच संबंध बनाने के लिए शुरू

किया गया है, इसलिए इससे मंत्रालय को कंपनी कानून के वैधानिक प्रावधानों को खास तौर पर कंपनियों के निदेशकों के मामले में लागू करने में सार्थक मदद मिलेगी।

एमसीए 21 कार्यक्रम को राष्ट्रीय पुरस्कार

मंत्रालय के एमसीए 21 कार्यक्रम को भारत सरकार की ओर से 'ई प्रशासन के लिए 2007–08 का राष्ट्रीय पुरस्कार' दिया गया है। यह पुरस्कार सरकारी प्रक्रियाओं की रीइंजीनियरिंग के मामले में उत्कृष्टता के लिए स्वर्णिम श्रेणी में रखा जाता है।

स्कॉच चैलेंज अवार्ड 2008

एमसीए 21 परियोजना को 'राष्ट्रीय महत्व की परियोजना' मानते हुए स्कॉच कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 19 मार्च 2008 को 'स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2008' प्रदान किया।

31 जुलाई 2008 को परिचालन आंकड़े इस प्रकार हैं :

क्रमांक	विवरण	संख्या
	31 जुलाई 2008 को फाइलिंग की स्थिति	
1	प्रतिदिन पोर्टल पर औसत हिट	29.80 लाख
2	पोर्टल पर सबसे ज्यादा हिट (28 नवंबर 2007)	141.80 लाख
3	एक दिन में सर्वाधिक फाइल होने वाले दस्तावेज (29 नवंबर 2007)	41,832
4	अब तक हुई कुल फाइलिंग	49.00 लाख
5	ऑनलाइन पंजीकृत हुई कंपनियां	1,43537
6	अब तक जारी किए गए डिन	8.64 लाख
7	ऑनलाइन देखे गए कंपनियों के दस्तावेज	5.78 लाख
8	फाइल की गई बैलेंस शीट की संख्या	3.80 लाख
9	फाइल किए गए वार्षिक रिटर्न की संख्या	3.80 लाख
10	फाइल किए गए डिन–3 की संख्या	4.88 लाख
11	वीएफओ के जरिये ई–फाइलिंग	92 प्रतिशत
12	ऑनलान भुगतान की गतिविधियां	58.69 प्रतिशत

कंपनी मामलों पर भारत–ब्रिटेन कार्य बल

कंपनी मामलों पर भारत–ब्रिटेन कार्य बल की दूसरी बैठक पांच से आठ फरवरी 2008 तक आयोजित की गई। निम्न क्षेत्रों में विचार विमर्श करने और सहयोग करने के लिए पांच उपवर्ग इस दौरान बनाए गए :

(i) नियामक और वैधानिक मसले, जिनमें संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं

(ii) कॉर्पोरेट प्रशासन

(iii) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

(iv) वित्तीय और संबंद्ध व्यवसायों में मानक

(v) इनसॉल्वेंसी और संबद्ध मसले

इस बैठक के बाद निम्नलिखित कदम उठाए गए :

- पांच अधिकारियों का एक दल 15 से 20 सितंबर तक ब्रिटेन की यात्रा करेगा और इनसॉल्वेंसी सेवाओं के क्षेत्र में ब्रिटेन में प्रचलित सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का अनुभव करेगा और क्षमता विकास करेगा। इससे सेवा आपूर्ति के सक्षम और प्रभावी तंत्र तथा अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों के संरक्षण के मामले में कंपनी मामलों के मंत्रालय में तैनात अधिकारियों का अनुभव बढ़ेगा।
- ब्रिटेन में इनसॉल्वेंसी के विशेषज्ञ और वरिष्ठ नीति सलाहकार टोबी वाटकिंसन भारत की यात्रा पर आए और कंपनी मामलों के मंत्रालय के चुनिंदा अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेशकों, आधिकारिक तरलता अधिकारियों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय वर्क एवं कॉस्ट लेखाकार संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की तथा अपने अनुभव बांटे, जिसका उद्देश्य बेहतर और पारदर्शी कॉर्पोरेट प्रशासन एवं तरलता प्रक्रिया के लिए मानसिकता को बदलना था।
- पांच अधिकारियों का एक दल क्षमता विकास करने और ब्रिटेन में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के बारे में प्रचलित व्यवस्थाओं का अनुभव करने के लिए वहां के व्यापार उद्यम एवं नियामक सुधार विभाग का दौरा कर रहा है। इससे निरीक्षण, तकनीकी परीक्षण और जांच की प्रभावी प्रणाली के बारे में कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों की जानकारी बढ़ने की संभावना है और उसके अतिरिक्त धोखाधड़ी रोकने के लिए चेतावनी प्रणाली विकसित होने की भी संभावन है।

वर्ष की गतिविधियां

एमसीए के नए कार्यालय

मंत्रालय के अधिकारियों को आधुनिक और रचनात्मक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जहां जयपुर, चंडीगढ़ और कटक में नए कार्यालय परिसर बनाए जा रहे हैं, वहीं चेन्नई और बेंगलुरु में यूटीआईआईएसएल से बने बनाए परिसर लिए गए हैं और पहले से बने कार्यालयों को नए सिरे से संवारा जा रहा है।

जयपुर में कॉर्पोरेट भवन

कंपनी मामलों के माननीय मंत्री महोदय ने 10 मई 2007 को मंत्रालय के पहले समग्र कर्यालय की आध ाारशिला जयपुर में रखी, जिसका नाम 'कॉर्पोरेट भवन' रखा गया है। इस नए कार्यालय परिसर के पूरा होने के बाद इसमें जयपुर के कंपनी पंजीयक का कार्यालय, लिक्विडेटर, जयपुर का कार्यालय होगा और जयपुर में एनसीएलटी की प्रस्तावित पीठ का कार्यालय भी इसी में होगा।

वर्ष के दौरान आयोजित संगोष्ठियां अथवा बैठकें

कॉर्पोरेट प्रशासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन न्यस ने 30 जुलाई 2007को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका विषय था "भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन : व्यापारिक वातावरण का कायाकल्प"। इस संगोष्ठी में विभिन्न उद्योगपतियों, संबंधित पक्षों, व्यापार प्रमुखों और पेशेवरों ने हिस्सा लिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संबंधि ात पक्षों के बीच सहभागिता पूर्ण रवैये के महत्व को रेखांकित करना था, जो पिछले दो वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की पहचान बन चुका है। इसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र से संबंधित विभिन्न वैधानिक और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा की गई।

आरडी और आरओसी की वार्षिक कार्यशाला

आरडी और आरओसी की दो दिन की आवासीय कार्यशाला राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में 10 अगस्त और 11 अगस्त 2007 को आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य इन कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार करने और उसके पुनर्गठन के लिए वार्षिक कार्य योजना विकसित करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए रणनीति तैयार करना था। अपने दफ्तरों का माहौल पूरी तरह बदलकर उन्हें नया रंगरूप देने वाले कंपनी पंजीयकों को पुरस्कार दिए गए। पहला पुरस्कार आरओसी कटक को दिया गया। दूसरा पुरस्कार आरओसी ग्वालियर और तीसरा पुरस्कार आरओसी केरल को प्रदान किया गया।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 29 और 30 जनवरी 2008 को नई दिल्ली में किया गया। इसे एसोचैम ने आयोजित किया था और राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन न्यास (एनएफसीजी) के तत्वावधान में कंपनी मामलों के मंत्रालय ने इसे प्रायोजित किया था।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर एशिया नेटवर्क

कॉर्पोरेट प्रशासन पर एशिया नेटवर्क की एक बैठक ओईसीडी के द्वारा 25 और 26 जून, 2008 को नई दिल्ली के ओबेरॉय होटल में आयोजित की गई थी। इसका प्रायोजन राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन न्यास ने सीआईआई, आईसीएआई और आईसीएसआई के सहयोग से किया था। यह न्यास कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया संगठन है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत-ब्रिटेन सहयोग

ब्रिटेन से लंदन शहर के सेवानिवृत्त माननीय लॉर्ड मेयर एल्डरमैन जॉन स्टुटार्ड एमए के नेतृत्व में वित्तीय और विधि विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल 21 मई 2007 को कंपनी मामलों के मंत्रालय के दौरे पर आया। लॉर्ड मेयर भारत–ब्रिटेन उद्योग के राजदूत भी हैं, जिस संस्था का मुख्यालय लंदन में है और जिसमें क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र जैसे एडिनबर्ग, ग्लासगो, लीड्स, मैनचेस्टर और ब्रिस्टल भी शामिल हैं। मेयर की भूमिका वित्तीय सेवाओं के राजदूत की भी है। स्टुटार्ड के पास चीन समेत कई देशों का व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। उन्हें 1981 में राष्ट्रीयकृत उद्योगों और उनके निजीकरण के मसले पर सलाह देने के लिए दो साल के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्यालय में भी नियुक्त किया गया था। वह दौरे पर आए राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की अगवानी भी ब्रिटिश सरकार की ओर से करते हैं। लॉर्ड मेयर की कारोबारी पहलें लंदन को वित्तीय ज्ञान के शहर के रूप में विकसित करने पर केंद्रित रहती हैं। भारत सरकार के माननीय कंपनी मामलों के मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कंपनियों की वित्तीय जानकारी को तैयार करने, पेश करने और उसकी लेखा जांच करने के लिए नियामक ढांचे के संबंध में एक दूसरे की चिंताओं और पक्षों पर बातचीत की। बातचीत में लेखा पेशेवरों के नियमन के लिए संस्थागत प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के कॉर्पोरेट प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी शामिल किया गया। दोनों देशों की सरकारें कॉर्पोरेट कानूनों और कॉर्पोरेट प्रशासन समेत कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित सभी मुद्दों पर परस्पर सहयोग के लिए एक भारत–ब्रिटेन संयुक्त कार्य दल की स्थापना पर पहले ही सहमत हो चुकी हैं। दोनों पक्ष चुनिंदा ब्रिटिश संस्थानों और मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जा रहे प्रस्तावित "कंपनी मामलों के भारतीय संस्थान" के बीच गठबंधन की संभावनाएं तलाशने पर भी सहमत हुए।

भारत-ब्रिटेन कार्यबल

कॉर्पोरेट मामलों में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग को मजबूत करने के इरादे से कंपनी मामलों पर दोनों देशों के कार्य बल की पहली बैठक एक अगस्त, 2007 को आयोजित की गई। कार्य बल ने चर्चा की और सहयोग के लिए निम्न मुद्दों पर सहमत हुए : कंपनी कानून, सहभागिता कानून, प्रतिस्पर्द्धा कानून, लेखा व्यवसायों के नियमन और प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने समेत नियामक और वैधानिक मसले; कॉर्पोरेट प्रशासन; कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व; वित्तीय व्यवसायों में विधि मानक; इनसॉल्वेंसी; अंतरराष्ट्रीय सहयोग; क्षमता विकास और सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां और निवेशक सुरक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण सेवाएं।

ब्रिटेन के व्यापार एवं निवेश मंत्री ने कंपनी मामलों के मंत्री से भेंट की

ब्रिटेन के व्यापार एवं निवेश राज्य मंत्री लॉर्ड डिग्बी जोंस ऑफ बर्मिंघम ने 15 जनवरी 2008 को कंपनी मामलों के मंत्री के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कॉर्पोरेट कानून में शामिल किए गए विभिन्न सुधार मसलन एलएलपी विधेयक, लेखा मानक, प्रतिस्पर्द्धा कानून में संशोधन और कंपनी अधिनियम, 1956 में सुधार पर बातचीत की गई।

लंदन के लॉर्ड मेयर ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री से भेंट की

लंदन शहर के रिटायर्ड माननीय लॉर्ड मेयर एल्डरमैन डेविड लुइस एमए के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 22 अप्रैल 2008 को कंपनी मामलों के माननीय मंत्री से भेंट की और कॉर्पोरेट प्रशासन, एलएलपी विधेयक की ताजा स्थिति और कंपनी कानून, वित्तीय सेवा, नियमन और कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे तथा कॉर्पोरेट मामलों पर भारत–ब्रिटेन कार्य बल के कामकाज से संबंधित मसलों पर बातचीत की।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ब्रिटेन यात्रा

कंपनी मामलों के मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व वाला एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल कॉर्पोरेट मामलों पर भारत–ब्रिटेन कार्य बल की दूसरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए 7 फरवरी 2008 को ब्रिटेन गया। प्रतिनिधिमंडल आईएनएसओएल, कंपटीशन कमीशन, नेशनल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, यूके, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, यूके, टेक ओवर पैनल, यूके, फाइनैंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल और चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स, यूके का भी दौरा किया।

यूरोपीय आयोग से प्रतिनिधियों की यात्रा

- यूरोपीय आयोग के फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कंपनी लॉ ऐंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के निदेशक पियरे डेल्सॉ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 7 मार्च 2008 को कंपनी मामलों के मंत्रालय में सचिव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लेखा और लेखा परीक्षण, लेखा मानकों और आईएफआरएस को समांगी बनाने, लेखा व्यवसाय के आधुनिकीकरण और अन्य संबंधित मसलों पर बातचीत की गई।
- यूरोपीय आयोग में आंतरिक बाजार और सेवाओं के लिए उत्तरदायी महानिदेशक जोर्गेन होमक्विस्ट ने 10 अप्रैल 2008 को कंपनी मामलों के मंत्रालय में सचिव से मुलाकात की। इस दौरान नियामक प्रणाली, लेखा, लेखा परीक्षण और परस्पर हित के अन्य क्षेत्रों में संभावित सहयोग से संबंधित मसलों पर बातचीत की गई।